



सीहोर

विकास योजना - 2031 (प्राक्ष्य)




संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

सीहोर

विकास योजना - 2031 (प्रारूप)

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973
के प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

प्रस्तावना

सैनिक छावनी के रूप में स्थापित वर्तमान सीहोर नगर, राजकीय राजमार्ग क्रमांक 18 तथा पश्चिमी रेलवे की भोपाल-मक्सी-उज्जैन रेलवे लाईन पर, पार्वती नदी की सहायक सीवन नदी के किनारे स्थित है। सीहोर नगर भोपाल राजस्व संभाग का प्रमुख जिला एवं तहसील मुख्यालय है।

मालवा के पठार की तारतम्यता में स्थित होने से यहां की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है, जिसके कारण यह क्षेत्र कृषि उत्पाद में अग्रणी है। नगर के प्रमुख कार्यकलापों में जिला स्तरीय प्रशासकीय केन्द्र, उपक्षेत्र स्तरीय शैक्षणिक केन्द्र तथा कृषि आधारित व्यापारिक गतिविधियां सम्मिलित है।

सीहोर निवेश क्षेत्र की प्रथम विकास योजना वर्ष 2011 की जनसंख्या 1.50 लाख को आधार मानते हुए तैयार की गई थी यह विकास योजना म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 11.6.2004 से प्रभावशील की गई थी।

योजनावधि में हुए नगर विकास, जनसंख्या वृद्धि तथा अधोसंरचना विभाग को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2031 की अनुमानित जनसंख्या 2.40 लाख को आधार मानते हुए, योजना में भूमि उपयोग के युक्तियुक्तकरण, वाणिज्यिक विकास को गति देने, वर्तमान मार्गों का उन्नयन, तालाब एवं जल स्रोतों का संरक्षण के साथ ही यहाँ स्मार्ट सिटी की स्थापना की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव दिए गये हैं।

मुझे आशा है कि जनसामान्य एवं विकास कार्यो मे संलग्न समस्त शासकीय, अर्ध शासकीय एवं निजी संस्थाएं सीहोर विकास योजना 2031 के प्रारूप प्रकाशन पर अपने बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत करेंगे और प्रारूप विकास योजना को अंतिम रूप देने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करेंगे।

गुलशन बामरा
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.भोपाल

सीखेर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

योजना दल

संयुक्त संचालक
व्ही.पी.कुलश्रेष्ठ

विजय सावलकर

उप संचालक
शुभाशीष बैनर्जी

सहायक संचालक
जयवर्धन राय

शालिनी सक्सेना

कर्मचारी गण

मनोज गहोदिया

सुदेश राय

एस.के. आथनकर

अरविंद सक्सेना

शैलेन्द्र निम्बालकर

जयन्तशील

अनिल सक्सेना

योगेश पाठक

विजय सिंह कहार

विमलेश विश्वकर्मा

मनोहर दरियानी

सरिता ठाकुर

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

विषय सूची

	पृष्ठ क्र.
प्रस्तावना	६
योजना दल	६##
विषय सूची	६###
सारणी सूची	०####
मानचित्र सूची	०#

अध्याय-1 नियोजन दृष्टिकोण

1.1	नियोजन एवं विकास संदर्भ	1
1.2	क्रियान्वयन परिदृश्य	2
1.3	योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन	2
1.3.1	आवासीय	3
1.3.2	वाणिज्यिक	4
1.3.3	औद्योगिक	4
1.3.4	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	4
1.3.5	आमोद-प्रमोद	5
1.3.6	यातायात एवं परिवहन	5
1.3.7	क्षेत्रीय बस स्टेण्ड	5
1.4	विकास योजना में उपान्तरण	6
1.5	विकास योजना में विकास अनुज्ञाएँ	6
1.6	विकास योजना 2031 के उद्देश्य	8

अध्याय-2 विकास परिदृश्य एवं प्रस्तावित नगरीय संरचना

2.1	क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ	13
2.2	व्यवसायिक संरचना	14
2.3	निवेश क्षेत्र	15
2.4	नगरपालिका परिषद्	17
2.5	जनसंख्या परिवर्तन	17
2.6	अनुमानित जनसंख्या	20
2.6.1	भूमि मूल्य	21

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

2.6.2	बड़े तालाब का जल अधिग्रहण क्षेत्र	21
2.7	नगरीय विस्तार	22
2.8	नगर विकास हेतु आवश्यक क्षेत्रफल	24
2.9	नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता	24
2.9.1	अनुपयुक्त क्षेत्र	25
2.9.2	कम उपयुक्त क्षेत्र	26
2.9.3	उपयुक्त क्षेत्र	26
2.10	पर्यावरणीय संवेदनशीलता	27
2.11	नगरीय विकास हेतु उपयुक्तता क्षेत्र	30

अध्याय—3 विकास योजना प्रस्ताव एवं प्रस्तावित यातायात संरचना

3.1	विकास योजना पुर्नविलोकन के आधार बिन्दू	32
3.1.1	प्रमुख घटक जो क्रियान्वित नहीं हो सके	33
3.2	भूमि उपलब्धता	33
3.3	प्रस्तावित विकास योजना 2031	34
3.3.1	आवासीय	35
3.3.2	वाणिज्यिक	35
3.3.3	औद्योगिक	36
3.3.4	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	36
3.3.5	सार्वजनिक सेवाये एवं सुविधायें	36
3.3.6	आमोद—प्रमोद	36
3.3.7	यातायात एवं परिवहन	37
3.3.8	विकास योजना में विशिष्ट प्रस्ताव	37
3.4	निवेश इकाईयाँ	38
3.5	गंदी बस्तियाँ	40
3.6	जल स्रोत संरक्षण एवं पर्यावरण उन्नयन	41
3.7	असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग	41
3.7.1	विकास योजना 2011 के प्रस्तावित मार्गों में रूकावट	44
3.7.2	2011 के प्रस्तावित भूमि उपयोग के विकास में विचलन	45
3.8	सामाजिक एवं सांस्कृतिक	45
3.9	वाणिज्यिक विकास हेतु एफ.ए.आर.	46
3.10	बाय—पास मार्गों पर नियंत्रण	46
3.11	नगरीय अधोसंरचना	
3.11.1	जल आपूर्ति	47
3.11.2	जल—मल निकास	48

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

3.11.3	ठोस अवशिष्ट प्रबंधन	49
3.11.4	विद्युत प्रदाय	50
3.11.5	श्माशान एवं कब्रिस्तान	50
3.11.6	धोबीघाट	50
3.11.7	अग्निशमन	51
3.11.8	डेयरी एवं पशुपालन	51
3.11.9	तरल पेट्रोलियम गैस	51
3.11.10	अन्य सेवायें	52
3.12	प्रस्तावित यातायात संरचना	52
3.12.1	यातायात की वर्तमान स्थिति	53
3.12.2	वाहन वृद्धि प्रचलन	53
3.12.3	सार्वजनिक एवं परिवहन	56
3.12.4	यातायात एवं परिवहन	56
3.13	सड़क तंत्र एवं इसकी विशिष्टतायें	56
3.13.1	2011 विकास योजना में प्रस्तावित मार्गों की समीक्षा	57
3.13.2	मार्गों का विवरण	59
3.14	वर्तमान मार्ग संरचना का विश्लेषण	62
3.15	प्रस्तावित यातायात अधोसंरचना	63
3.15.1	2031 प्रस्तावित मार्ग संरचना	64
3.15.2	यातायात नगर में प्रस्तावित सुविधायें	64
3.15.3	ट्रक टर्मिनल हेतु प्रस्तावित सुविधायें	65
3.16	यातायात अवसान केन्द्र	65
3.16.1	बस स्थानक	65
3.16.2	बस डिपो	66
3.16.3	रेल्वे स्टेशन एवं माल गोदाम	66
3.16.4	ट्रक स्थानक	66
3.17	यातायात तंत्र में सुधार	
3.17.1	मार्ग संगमों का सुधार	66
3.17.2	वाहन विराम स्थल	67
3.17.3	रेल्वे ओव्हर ब्रिज एवं समतल पारण	67
3.17.4	नदी/नालों के पुल	68
3.17.5	मार्गों का उन्नयन	68
3.17.6	रोड़ क्रास-सेक्शन	69

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अध्याय-4 विकास नियमन

4.1	प्रवृत्तशीलता	70
4.2	क्षेत्राधिकार	70
4.3	परिभाषायें	72
	4.3.1 स्मार्ट सिटी	73
4.4	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	73
4.5	आवासीय उपयोग परिक्षेत्रों हेतु नियमन	74
	4.5.1 उपयोग परिक्षेत्र का उपयोग परिसरों में उप-विभाजन	74
	4.5.2 आवासीय भूखण्डीय विकास के नियम	75
	4.5.3 विकसित क्षेत्रों के मध्य उपलब्ध भूमियों/भूखण्डों पर अपार्टमेंट हाउसिंग के नियमन	77
	4.5.4 समूह आवास हेतु नियोजन मापदण्ड	77
	4.5.5 12.5 मीटर ऊंचे भवनों संबंधी नियमन	78
	4.5.6 फार्म हाऊस	78
4.6	वाणिज्यिक क्षेत्र	
	4.6.1 वाणिज्यिक क्षेत्रों में विकास हेतु नियमन	78
	4.6.2 वाणिज्यिक विकास हेतु नियमन	79
	4.6.3 उप विभाजित वाणिज्यिक भूखण्डों हेतु नियमन	80
	4.6.4 स्थानीय दुकानों में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ	80
	4.6.5 सुविधाजनक दुकानों में संचालित की सकने वाली गतिविधियाँ	81
	4.6.6 अनौपचारिक वर्ग के लिये प्रावधान	81
4.7	औद्योगिक परिक्षेत्र	82
4.8	अन्य सुविधायें	
	4.8.1 सुविधाओं हेतु विकास मानक	83
	4.8.2 खुले स्थलों एवं आमोद-प्रमोद क्षेत्रों के मापदण्ड	83
	4.8.3 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन/हरित क्षेत्र/पर्यावरण वनिकी संबंधी नियमन	84
	4.8.4 प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्र	85
4.9	यातायात एवं परिवहन	
	4.9.1 मार्गों/गलियों की अनुशांसित चौड़ाई	85
	4.9.2 मंदगति वाहनों हेतु मानक	86
	4.9.3 विराम स्थल	86
	4.9.4 यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक	87
	4.9.5 यातायात नगर में सुविधाओं के मापदण्ड	87
4.10	मिश्रित उपयोग हेतु नियमन	
	4.10.1 आवासीय परिसर में स्वीकार्य अन्य उपयोग एवं गतिविधियाँ	89

सीढेर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

4.10.2 उददेशित मिश्रित भू-उपयोग	90
4.11 उपयोग परिक्षेत्र के विकास नियमन	
4.11.1 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकार्य उपयोग	90
4.11.2 उपयोग परिक्षेत्रों/परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण	100

अध्याय-5 विकास योजना क्रियान्वयन

5.1 योजना क्रियान्वयन की लागत (2031)	228
5.2 योजना क्रियान्वयन की नीति	230
5.3 प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम	231
5.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना	231
5.5 भूमि विकास नीति	
5.5.1 विकास प्रबंधन	233
5.5.2 योजनायें एवं कार्यक्रम	234
5.5.3 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व	235
5.6 प्रथम चरण कार्यक्रम	235
5.7 संसाधन गतिशीलता	236
5.8 योजना पर्यवेक्षण तंत्र	237
5.9 योजना की व्याख्या	238

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

सारणी सूची

सारणी क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
1-सा-1	सीहोर क्रियान्वयन स्थिति 2011	2
1-सा-2	विकास योजना में उपान्तरण	6
1-सा-3	सीहोर विकास अनुज्ञा	6
2-सा-1	सीहोर व्यावसायिक संरचना 2011	14
2-सा-2	सीहोर निवेश क्षेत्र	16
2-सा-3	सीहोर जनसंख्या परिवर्तन	18
2-सा-4	सीहोर वार्ड के अनुसार जनसंख्या एवं घनत्व	19
2-सा-5	सीहोर नगरपालिका जनसंख्या वृद्धि का आंकलन 2011-2013	21
2-सा-6	सीहोर निवेश क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि का आंकलन 2011-2013	21
2-सा-7	सीहोर नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल	22
2-सा-8	सीहोर शहर का विस्तार	22
2-सा-9	नगरीय विकास हेतु उपयुक्त क्षेत्र	26
2-सा-10	वायु गुणवत्ता	27
2-सा-11	पेयजल गुणवत्ता	28
3-सा-1	भूमि संसाधन	33
3-सा-2	सीहोर प्रस्तावित भूमि उपयोग भूमि आवंटन 2031	34
3-सा-3	सीहोर निवेश इकाईयाँ (भूमि विभाजन)	39
3-सा-4	सीहोर निवेश इकाईवार भू-उपयोग वितरण 2031	39
3-सा-5	सीहोर असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग	42
3-सा-6	योजना 2011 के प्रस्तावित मार्गों में अवरोध	44
3-सा-7	योजना 2011 की प्रस्तावित भूमि उपयोग में विचलन	45
3-सा-8	नगर की जलापूर्ति का विवरण	48
3-सा-9	सीहोर जिले में वाहन वृद्धि की प्रवृत्ति	54

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

3-सा-10	सीहोर वाहन दुर्घटनाओं का विवरण	55
3-सा-11	सड़क तंत्र एवं इसकी विशिष्टतायें	57
3-सा-12	2011 में प्रस्तावित मार्गों की जानकारी	57
3-सा-13	सीहोर मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई	58
3-सा-14	सीहोर वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई	60
3-सा-15	विद्यमान विभिन्न मार्गों का "अधिकृत मार्ग"	62
3-सा-16	नवीन मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई व लम्बाई	64
3-सा-17	प्रस्तावित ओव्हर ब्रिज	68
4-सा-1	उपयोग परिक्षेत्र	74
4-सा-2	आवासीय भूखण्ड विकास नियमन	76
4-सा-3	वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र के अनिन्यास हेतु नियमन	79
4-सा-4	उपविभाजित वाणिज्यिक भूखण्डों हेतु नियमन	80
4-सा-5	अनौपचारिक वर्ग के लिये योजना प्रावधान	82
4-सा-6	सुविधाओं के विकास मानक	83
4-सा-7	खुले स्थलों एवं आमोद-प्रमोद क्षेत्रों के मापदण्ड	84
4-सा-8	सड़कों के किनारे कार विराम हेतु स्थल का आकार	86
4-सा-9	यातायात/मैकेनिक नगर के मानक	87
4-सा-10	यातायात नगर में सुविधाओं के मापदण्ड	88
4-सा-11	उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति	91
5-सा-1	सीहोर योजना क्रियान्वयन की लागत 2031	229
5-सा-2	सीहोर प्रथम चरण क्रियान्वयन घटक	235
5-सा-3	सीहोर प्रथम चरण क्रियान्वयन लागत	236

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

मानचित्र सूची

मानचित्र क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
मानचित्र क्रमांक 1.1	— जलाशय एवं अन्य जल स्रोत	9(अ)
मानचित्र क्रमांक 2.1	— क्षेत्रीय परिदृश्य	13(अ)
मानचित्र क्रमांक 2.2	— सीहोर निवेश क्षेत्र	15(अ)
मानचित्र क्रमांक 2.3	— जनसंख्या घनत्व	17(अ)
मानचित्र क्रमांक 2.4	— भूमि मूल्य	21(अ)
मानचित्र क्रमांक 2.5	— बड़े तालाब का जल अधिग्रहण क्षेत्र	21(ब)
मानचित्र क्रमांक 2.6	— नगरीय विस्तार	22(स)
मानचित्र क्रमांक 2.7	— भूमि उपयोग उपयुक्तता	26(अ)
मानचित्र क्रमांक 3.1	— प्रस्तावित भूमि उपयोग 2031	34(अ)
मानचित्र क्रमांक 3.1§	स्मार्ट सिटी के रूप में विकास	35(अ)
मानचित्र क्रमांक 3.2	— निवेश इकाईयों	38(अ)
मानचित्र क्रमांक 3.3	— प्रस्तावित मार्गों में अवरोध## # # #	44(अ)#
मानचित्र क्रमांक 3.4	— भूमि उपयोग के विकास में विचलन# # #	45(अ)#
मानचित्र क्रमांक 3.5	— वर्तमान मार्ग संरचना	56(अ)
मानचित्र क्रमांक 3.6	— सीहोर योजना 2011 प्रस्तावित मार्ग संरचना	57(ब)
मानचित्र क्रमांक 3.7	— 2031 प्रस्तावित यातायात संरचना	64(अ)
मानचित्र क्रमांक 3.8	— रोड़ कास सेक्शन	69(अ)
मानचित्र क्रमांक 5.1	— प्रथम चरण	235(अ)

1.1 नियोजन एवं विकास संदर्भ

नगर नियोजन का प्रमुख उद्देश्य नगर विकास की सतत प्रक्रिया को नियोजित स्वरूप प्रदान कर नगरवासियों के उन्नत जीवन स्तर की प्राप्ति हेतु प्रयास करना है, पार्वती नदी की सहायक सीवन नदी के किनारे स्थित सीहोर नगर 23⁰ 12¹ उत्तरी अक्षांश तथा 76⁰ 05¹ पूर्वी देशांश पर समुद्र सतह से लगभग 500 मीटर की ऊँचाई पर, प्रदेश की राजधानी से लगभग 37 किलोमीटर दूर भोपाल-इंदौर मुख्य मार्ग (SH-18) पर स्थित है। पश्चिमी रेलवे की भोपाल-उज्जैन-इन्दौर रेलवे लाईन पर स्थित यह नगर, प्रदेश के प्रमुख नगरों से रेलमार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। नगर के प्रमुख कार्यकलापों में जिला स्तरीय प्रशासकीय केन्द्र, उपक्षेत्र स्तरीय शैक्षणिक केन्द्र तथा कृषि आधारित व्यापारिक गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। औद्योगिक गतिविधियों में यह नगर पिछड़ा हुआ है। राजधानी भोपाल के निकट होने तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के कारण इस नगर का विकास भोपाल के उप नगर के रूप में किये जाने की पर्याप्त संभावना है।

सीहोर की विकास योजना वर्ष 2011 की अनुमानित जनसंख्या 1.50 लाख को दृष्टिगत रखते हुये तैयार की गई थी, जिसे मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक – एफ-3-67-2001-32 दिनांक 31.05.2004 द्वारा अनुमोदित होकर मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक – 11.06.2004 में प्रकाशन दिनांक से प्रभावी है।

सीहोर विकास योजना निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी:

1. भूमि का समुचित एवं सक्षम उपयोग ।
2. कुशल परिवहन व्यवस्था का विकास करना ताकि अंतर नगरीय एवं नगरान्तर्गत यात्री एवं माल का आवागमन सुचारु रूप से हो सके ।
3. भवनों के निर्माण हेतु उपयुक्त आवासीय क्षेत्र ।
4. पर्यावरण में सुधार के प्रयास ।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

5. उद्योगो हेतु भूमि का विकास इस तरह प्रस्तावित करना ताकि विकास योजना काल के पश्चात् भी निर्मित होने वाले उद्योगो हेतु भूमि उपयोग संरचना में कोई असंबद्धता निर्मित न होते हुये स्थान उपलब्ध हो सके ।
6. मूल भूत सेवाएं, एवं सुविधाओं का समुचित प्रावधान ।
7. नवीन औद्योगिक क्षेत्र के विकास प्रस्ताव ।

1.2 क्रियान्वयन परिदृश्य

विकास योजना 2011 में क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर नागरिको की सक्रिय सहभागिता अर्जित करना था। क्रियान्वयन के समुचित प्रयास न होने के कारण असम्बद्ध एवं अवांछित नगरीय स्वरूप विकसित हुआ। कुछ क्षेत्रो में असम्बद्ध भूमि उपयोग का विस्तार, अवैध कॉलोनियों, बस्तियों की संख्या में वृद्धि, अप्रभावी भूमि उपयोग नियंत्रण तथा कारगर प्रबंधन के अभाव में भी योजना प्रभावित हुई। विकास योजना के प्रस्तावों के अनुरूप अधोसंरचनाएं जैसे प्रस्तावित मार्ग इत्यादि विकसित नहीं हुये हैं।

1.3 योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन

सीहोर अंगीकृत विकास योजना के निवेश क्षेत्र में समाविष्ट 16655.89 हेक्टर में से विकास योजना 2011 में 1373.40 हेक्टर क्षेत्र में प्रस्ताव प्रस्तावित किये गये थे । नगर नियोजन के लिए एक विशिष्ट समय अवधि निर्धारित की जाती है, ताकि उस समयावधि में निर्धारित कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रस्तावों के अनुरूप हो सके । सीहोर विकास योजना 2011 के लिए जो प्रस्ताव दिए गए थे वे योजनाकाल के उपरांत भी प्रभावी रहेंगे । विकास योजना क्रियान्वयन की स्थिति का भू-उपयोगवार विवरण सारणी 1-सा-1 में दिया गया है।

सीहोर : क्रियान्वयन स्थिति 2011

1-सा-1

क्र.	भूमि उपयोग	अनुमोदित विकास योजना 2011 में आवंटित भूमि (हेक्टर में)	विकसित क्षेत्र 2011	उच्चावचन (-) (+)	क्रियान्वयन स्तर का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	आवासीय	911.50	591.71	-319.79	64.91

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

क्र.	भूमि उपयोग	अनुमोदित विकास योजना 2011 में आवंटित भूमि (हेक्टर में)	विकसित क्षेत्र 2011	उच्चावचन (-) (+)	क्रियान्वयन स्तर का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
2.	वाणिज्यिक	137.00	47.92	-89.08	34.98
3.	औद्योगिक	142.50	85.22	-57.28	59.80
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	182.50	136.58	-45.92	74.83
5.	सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधाएं	25.00	24.81	-0.19	99.22
6.	आमोद-प्रमोद	149.00	31.77	-117.23	21.32
7.	यातायात एवं परिवहन	353.90	213.38	-140.52	60.29
	योग	1901.40	1131.39		

टीप :-

- रेल्वे का क्षेत्रफल सीहोर विकास योजना 2011 में आवंटित क्षेत्रफल में सम्मिलित नहीं था। अब यातायात एवं परिवहन के विकसित क्षेत्र में रेल्वे क्षेत्र सम्मिलित है, जो अधिनियम की धारा 1(4)(ग) के प्रावधान अनुसार नियंत्रित होगा।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सीहोर विकास योजना 2011 में विकास हेतु जो प्रस्ताव दिए गए थे उनमें से लगभग 59.50 प्रतिशत तक क्रियान्वयन किया जा चुका है किन्तु कुछ प्रस्तावित भू-उपयोगों के अंतर्गत निर्धारित स्तर तक क्रियान्वयन नहीं हो सका है। विभिन्न भू-उपयोगों के अंतर्गत क्रियान्वयन विवरण निम्नानुसार है :-

1.3.1 आवासीय

सीहोर नगर की वर्तमान आवासीय संरचना के अध्ययन अनुसार नगर पालिका क्षेत्र सामान्यतः मध्यम सघन रूप से बसा हुआ है।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

सीहोर विकास योजना 2011 में सम्पूर्ण नगर हेतु 911.50 हेक्टर आवासीय क्षेत्र विकसित करना प्रस्तावित था जिसमें वर्ष 2011 के लिए नये अद्यतन सेटेलाईट सर्वेक्षण के अनुसार नगरीय क्षेत्र में 591.71 हेक्टर भूमि का विकास हुआ है। नगर विकास योजना का प्रमुख दबाव मुख्यतः भोपाल-इन्दौर (SH-18) मार्ग पर है, तथा उक्त मार्ग पर कालोनी एवं आवासों का निर्माण किया गया है।

1.3.2 वाणिज्यिक

सीहोर नगर की विकास योजना 2011 के प्रकाशन/अंगीकरण के पूर्व 30.0 हेक्टर भूमि वाणिज्यिक उपयोग में थी। विकास योजना 2011 में वाणिज्यिक उपयोग हेतु भूमि उपयोग दर 0.73 हेक्टर प्रति हजार जनसंख्या के लिए 137 हेक्टर भूमि प्रस्तावित थी, जिसमें 47.92 हेक्टर का विकास हुआ। वाणिज्यिक भूमि उपयोग का जितना क्रियान्वयन होना आवश्यक था, नहीं हुआ है।

1.3.3 औद्योगिक

नगर की प्रथम विकास योजना के प्रकाशन एवं अंगीकरण के पूर्व 36.5 हेक्टर भूमि औद्योगिक उपयोग में थी। अतः प्रथम विकास योजना 2011 में 142.50 हेक्टर भूमि औद्योगिक उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 85.22 हेक्टर क्षेत्र में औद्योगिक विकास हुआ।

1.3.4 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

सीहोर विकास योजना में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु 182.50 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित था, जिसके विरुद्ध 136.58 हेक्टर क्षेत्र का विकास हुआ। अंगीकृत सीहोर विकास योजना में 61.50 हेक्टर क्षेत्र पूर्व विकसित क्षेत्र दर्शाया गया था। इसके अन्तर्गत शैक्षणिक, स्वास्थ्य, प्रशासनिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ आती हैं।

नगर में महाविद्यालय -8, तकनीकी संस्थान, उच्चतर मा.वि.-12, माध्यमिक शाला-15 एवं प्राथमिक शालाएं -50 हैं। महाविद्यालयों में कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं विधि विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि तक की शैक्षणिक व्यवस्था है। बस स्टैण्ड के निकट स्थित श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी संस्थान में यांत्रिकी उपाधि तक की शैक्षणिक व्यवस्था

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

उपलब्ध है। शासकीय कृषि महाविद्यालय में कृषि क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था है। नगर में एक शासकीय चिकित्सालय, एक शासकीय कुष्ठ चिकित्सालय तथा एक स्वास्थ्य केन्द्र है। उक्त के अलावा निजी चिकित्सालय एवं नर्सिंग होम भी नगर में संचालित है। विशेषीकृत स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक सुविधाओं का नगर में अभाव है। नगर में एक पशु चिकित्सालय भी है। उक्त के अतिरिक्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु नगर में टैगोर भवन एवं गीता भवन सभागृह स्थित है। यहाँ विभिन्न समाजों के सांस्कृतिक भवन भी उपलब्ध है। कुछ अधिसूचित गंदी बस्ती क्षेत्रों में भी सभा भवन हैं।

1.3.5 आमोद—प्रमोद

विकास योजना 2011 के प्रस्ताव अनुसार आमोद—प्रमोद के अंतर्गत कुल 149.00 हेक्टर भूमि प्रस्तावित की गई थी जिसमें से केवल 31.77 हेक्टर भूमि का विकास हुआ जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 3.23 प्रतिशत है।

1.3.6 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना 2011 में यातायात उपयोग के अंतर्गत 353.90 हेक्टर भूमि का प्रस्ताव था जिसमें से 213.88 हेक्टर भूमि का विकास हुआ जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 60.29 प्रतिशत है। रेल्वे का क्षेत्रफल 2011 की विकास योजना में आवंटित क्षेत्रफल में सम्मिलित नहीं था। अब यातायात एवं परिवहन के विकसित क्षेत्र में रेल्वे का क्षेत्र भी सम्मिलित है। प्रस्तावित मार्गों का क्रियान्वयन न होने का मूल कारण बजट की उपलब्धता न होने के कारण भूमि का अधिग्रहण न होना है। प्रस्तावित मार्गों में सिर्फ इन्दौर—भोपाल बायपास रोड़ का क्रियान्वयन हुआ, जो कि 94.82 हेक्टर भूमि में है।

1.3.7 क्षेत्रीय बस स्टेण्ड

वर्तमान बस स्टेण्ड जहाँ स्थित है राज्य मार्ग क्रमांक (S-H) 18 के किनारे नगर के भीड़ वाले क्षेत्र में स्थित है जहाँ पर निजी परिवहन के रुकने के कारण यातायात का दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण नगर में दुर्घटना एवं प्रदूषण उत्पन्न होता है। अतः बस स्टेण्ड को अकार्यक्षम भूमि उपयोग में शामिल किया जाकर अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया था तथा वर्तमान

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

बस स्टैण्ड को विकसित कर उप बस स्टैण्ड सह पिकअप स्टेशन के रूप में प्रस्तावित किया था।

1.4 विकास योजना में उपान्तरण

अंगीकृत विकास योजना में केवल 1 उपान्तरण किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

1-सा-2

क्रमांक	ग्राम का नाम	स्थल का खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टर में	विकास योजना 2011 के अनुसार भू उपयोग	धारा 23(क) के तहत उपांतरित भू उपयोग
1	शेरपुर	81/1 एवं	10.315 हेक्टर	कृषि एवं मार्ग	औद्योगिक एवं मार्ग

1.5 विकास योजना में विकास अनुज्ञा

सीहोर विकास योजना 2011के प्रावधानों अनुसार कुल 9 विकास अनुज्ञाएं स्वीकृत की गईं, जिनका कुल क्षेत्रफल 61.13 हैक्टर है, जिसका विवरण सारणी 1-सा-3 अनुसार है:-

सीहोर विकास अनुज्ञा

1-सा-3

क्र 0	फाइल नम्बर	आवेदक का नाम	खसरा नम्बर	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6
1	एल.पी. 04/29-201 3	श्री गेंदालाल राय चेरिटेबल फाउन्डेशन ट्रस्ट	189/2	जंहागीरपुरा	1.6

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

क्र 0	फाइल नम्बर	आवेदक का नाम	खसरा नम्बर	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टेय र में)
1	2	3	4	5	6
2	एल.पी. 04/29-201 3	श्री नंदगोपाल मोदी	116/1/1, 116/1/2, 116/1/3, 116/4, 148/1, 115, 104, 105/1, 105/2/क, 105/2/ख, 113, 111, 110, 112, 109, 106/2/1, 106/1/4, 106/1/3	शेरपुर	8.91
3	एल.पी. 04/29-201 3	द्वारिकाधाम	125/1, 125/2, 144/1	शेरपुर (सेवड़ाखेड़ी)	3.65
4	एल.पी. 04/29-201 3	रिद्धी सिद्धी बिल्डर एण्ड डव्हलपर्स	61/3	छवनी	4.65
5	एल.पी. 04/29-201 3	श्री राजेश गुप्ता	643, 645, 647	कस्बा सीहोर	3.57
6	एल.पी. 04/29-201 3	श्री सुदेश राय	98/3/1, 98/3/3	अलहदाखेड़ी	0.99
7	एल.पी. 04/29-201 3	पेरलस रोयल ग्रीन फार्म हाऊस	71/3/1/1/3, 71/3/1/1ख/1, 71/3/2/1/1, 71/3/1/1/1क, 71/3/1/1/2, 71/3/1/1/1ख/ 3,	लसूड़िया परिहार	33.63

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

क्र 0	फाइल नम्बर	आवेदक का नाम	खसरा नम्बर	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टय र में)
1	2	3	4	5	6
			71/3/1/1/1ख/ 2,		
8	एल.पी. 04/29-201 3	पारस लाईफ स्टाइल	845/3, 847/1, 848/1, 849, 850/1, 851/1/1, 851/1/2	कस्बा सीहोर	2.48
9	एल.पी. 04/29-201 3	एम.ई. इन्टरप्राईजे ज	214/2/1ग, 214/2/2/2 पार्ट	तकीपुर	1.65
योग					61.13

1.6 विकास योजना 2031 के उद्देश्य

सीहोर निवेश क्षेत्र की विकास योजना पूर्व विकास योजना 2011 को आधार मानकर तैयार की गई, जिसमें प्रत्येक निवेश इकाई के तहत नगर की भावी जनसंख्या वृद्धि को समाहित करते हुए प्रस्ताव सृजित किए गए हैं। इस विकास योजना की अवधारणा निम्न बिन्दुओं पर आधारित है :-

(अ) जिला मुख्यालय से संबंधित कार्यकलाप

सीहोर नगर जिला मुख्यालय होने से प्रशासनिक कार्यों से इस नगर का काफी विकास हुआ ।

(ब) वाणिज्यिक एवं व्यवसाय का क्षेत्रीय केन्द्र

क्षेत्रीय स्तर पर सीहोर कृषि उपज, अनाज एवं अन्य व्यापारिक गतिविधियों का केन्द्र है तथा यहीं से ग्रामीण क्षेत्रों को किराना कपड़ा, तेल खाद, बीज व अन्य

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

व्यापारिक सामग्री की पूर्ति की जाती है। यहां भोपाल-उज्जैन-इन्दौर रेल मार्ग के होने से यहां विकास की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है।

(स) कृषि एवं वनों पर आधारित उद्योग

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण कृषि एवं वनोपज पर आधारित तथा अन्य उद्योग धंधों के लिए भूमि प्रस्तावित की गई थी।

(द) राजधानी भोपाल का उप नगर

सीहोर नगर, राजधानी भोपाल से मात्र 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, एवं रेल तथा मार्ग से जुड़ा है। अतः इस शहर का विकास राजधानी भोपाल के उन्नत उप नगर के रूप में किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(ई) स्मार्ट सिटी के रूप में विकास

केन्द्र शासन द्वारा देश में 100 नवीन स्मार्ट सिटी स्थापित करने की योजना तैयार की जा रही है। राजधानी भोपाल के समीप होने के कारण सीहोर निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत स्मार्ट सिटी की स्थापना हेतु उपयुक्त है। सीहोर नगर से लगकर नवीन इन्दौर-भोपाल लगभग 5000 हेक्टर शासकीय भूमि उपलब्ध है। उक्त शासकीय भूमि का उपयोग स्मार्ट सिटी की स्थापना हेतु किये जाने पर विचार किया जा सकता है। (मानचित्र क्रमांक 3.1 अ) (पेज नं 35)

(क) सामान्य उद्योग

इस क्षेत्र की मुख्य फसले गन्ना, मूंगफली, गेहूँ, चना, सोयाबीन है, इस कारण इन पर आधारित उद्योग जैसे शक्कर, तेल तथा व्यापारिक फसलो पर आधारित उद्योगों की प्रबल संभावना है।

(ख) भौतिक स्वरूप एवं जल निकास

सीहोर नगर सीवन नदी के किनारे पर स्थित लगभग समतल भूमि पर विकसित हुआ है। सीवन नदी, जिसमें वर्ष भर जल प्रवाहित होता है, नगर को दो भागों में विभक्त करती है एवं लोटिया नाला भी नगर के मध्य से प्रवाहित होकर सीवन नदी में मिलता है। नगर का प्राकृतिक ढाल उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर


DRAINAGE / WATER BODY

SEHORE DEVELOPMENT PLAN 2031



Legend

-  PLANNING AREA
-  VILLAGE BOUNDARY
-  WARD BOUNDARY
-  Water body
-  DRAINAGE DRY
-  DRAINAGE PERENNIAL
-  DRAINAGE RIVER
-  EXISTING ROAD



सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

है। नगर का समस्त जल-मल प्रवाह, गटर एवं नालियों का गंदा पानी तथा वर्षा जल, लोटिया नाले के माध्यम से अंततः सीवन नदी में मिलता है। सीहोर नगर का विकास मुख्यतः रेल्वे लाईन के दक्षिण दिशा में हुआ है। नगर का विकास भोपाल-इन्दौर मार्ग पर स्थित होने एवं राजधानी भोपाल से केवल 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण भोपाल नगर की ओर विस्तार हुआ है। (मानचित्र क्रमांक 1.1)

सीहोर नगर मालवा के पठार पर स्थित होने से इसकी मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है जो गेहूँ, कपास, सोयाबीन, गन्ना इत्यादि फसलों के लिए उपयुक्त है।

(ग) जलवायु

सीहोर नगर ऊष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का नगर है। यहां अक्टूबर से फरवरी माह तक शीत ऋतु, मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु एवं जुलाई से सितम्बर तक वर्षा ऋतु का मौसम रहता है। शीत ऋतु के दौरान नगर का औसत अधिकतम तापमान जनवरी माह में 25.8 डिग्री सेल्सियस तथा औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। वायु

सीहोर नगर सामान्य वर्षा वाले प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। यहां माह जून से सितम्बर के मध्य वर्षा होती है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार अब तक की सर्वाधिक वर्षा, वर्ष 1986 में 1711.5 मि.मी. एवं सबसे कम वर्षा 714.6 मि.मी. वर्ष 1989 में दर्ज की गई है। यहां वार्षिक औसत वर्षा लगभग 1000 मि.मी. होती है।

(घ) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सीवन नदी की चट्टानों में कुछ पर खुदे नामों से ऐसा प्रतीत होता है कि सीहोर नाम का उद्भव "सिंह" से हुआ है क्योंकि पुराकाल में इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में शेर मिलते थे। 320 ईसापूर्व में सीहोर नगर चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनाधीन था, तत्पश्चात् मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक के अधीन। उसके बाद 5वीं शताब्दी तक यह स्थानीय राजघरानों एवं गुप्त साम्राज्य के आधिपत्य में रहा। मध्यकालीन युग में मुस्लिम घुसपैठियों एवं राजपूतों के मध्य संघर्ष होते रहे। इस अवधि में मालवा सल्तनत इस क्षेत्र के प्रमुख शासक रहे जिनकी राजधानी माण्डू थी। आधुनिक युग में इस क्षेत्र में मुगल बादशाह अकबर का प्रभुत्व रहा। 18वीं

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

शताब्दी के आरंभ में मुगल शासन के अस्त होते होते इस क्षेत्र पर मराठा पेशवा का नियंत्रण हो गया। सन् 1715 में दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल राज्य की स्थापना की जिसमें सीहोर को जिले की श्रेणी दी गई। सन् 1761 तक सीहोर पर मुस्लिम एवं मराठाओं का नियंत्रण रहा। 1761 में पानीपत के युद्ध में मराठाओं की हार के साथ ही उनका इस क्षेत्र में प्रभाव समाप्त हो गया। परन्तु आस पास के अन्य क्षेत्रों में मराठाओं द्वारा स्थापित अर्द्ध-स्वत्व प्राप्त राज्य और अधिक स्वत्व के साथ कायम रहे।

अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद द्वारा भोपाल राज्य की स्थापना के साथ ही सीहोर जिले का गठन किया गया था। ब्रिटिश काल में सीहोर नगर दो भागों में सीहोर कस्बा एवं सीहोर स्टेशन में बंटा हुआ था, जो कि ब्रिटिश राजनैतिक प्रतिनिधि के अधीनस्थ था। नगर में सैनिक छावनी की स्थापना ब्रिटिश कैप्टन स्टीवर्ड ने सन् 1818 में की थी। वर्ष 1857 में कर्नल डूरंड, इन्दौर रेसीडेन्सी खाली कर सीहोर आ गया किन्तु सुरक्षा के दृष्टिकोण से ब्रिटिश सरकार ने उसे होशंगाबाद स्थानान्तरित कर दिया। वर्ष 1929 में सीहोर स्टेशन (छावनी) भोपाल राज्य के जिले के रूप में शामिल हो गया। सन् 1940 में नगर पालिका सीहोर की स्थापना की गई तथा 1947 में भोपाल राज्य के साथ सीहोर जिला, स्वतंत्र भारत में शामिल हो गया।

जिला मुख्यालय होने के कारण सीहोर नगर, प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ चिकित्सा, शिक्षा, आमोद-प्रमोद की दृष्टि से भी जिले में महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपितु वर्ष 1972 में भोपाल जिले के गठन होने से सीहोर नगर की प्रशासकीय महत्ता में कमी आई है।

इस क्षेत्र की मुख्य फसलें गन्ना, मूंगफली, गेहूँ, चना, सोयाबीन है एवं इन पर आधारित उद्योग जैसे शक्कर, तेल के उद्योग/संयंत्र यहां स्थापित है। व्यापारिक फसलों पर आधारित अनेक उद्योग भी यहां स्थापित है एवं भविष्य में भी स्थापित होने की प्रबल संभावना है।

(ड़) सीहोर विकास योजना 2031 की योजना अवधारणा :-

सीहोर विकास योजना 2031 निम्नलिखित योजना अवधारणा पर आधारित है :-

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

1. राजधानी भोपाल के सर्व सुविधायुक्त उप नगर के रूप में विकास
2. भूमि का कुशलतम उपयोग
3. केन्द्र शासन द्वारा प्रस्तावित स्मार्ट सिटी की अवधारणा के रूप में विकास
4. पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए समुचित प्रयास ।
5. मध्य एवं बाह्य नगरीय क्षेत्रों में सक्षम एवं सुगम यातायात संरचना ।
6. प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण ।


2.1 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ

सीहोर नगर अपनी पुरातन ऐतिहासिक धरोहर और सीवन नदी के कछार का मुख्य नगर होने के कारण सांस्कृतिक, कृषि उपज व्यवसाय का मुख्य केन्द्र है। सीहोर नगर जिले का प्रशासकीय मुख्यालय है एवं इस कारण प्रशासकीय केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है। शिक्षा की दृष्टि से सीहोर नगर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां सामान्य शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा सत्य साईं संस्थान नगर की प्रमुख तकनीकी संस्था है। क्षेत्रीय संदर्भ में सीहोर जिले में सोयाबीन अधिक मात्रा में उत्पादित होने के कारण यहां एक बड़े तेल उद्योग की स्थापना हुई है। इसके अतिरिक्त गन्ना तथा गेहूँ की पैदावार भी सीहोर जिले में अधिक मात्रा में होती है। सीहोर क्षेत्र में पैदा होने वाला उन्नत गेहूँ समस्त देश एवं विदेश में लोकप्रिय है। इसके साथ ही नगर में कृषि संबंधी औजार बनाने के कई लघु उद्योग की स्थापना है। सीहोर नगर उज्जैन-भोपाल प्रमुख ब्रॉडगेज रेलवे लाईन पर है। सीहोर नगर के मध्य से राजकीय राजमार्ग 36 तथा सीहोर-राजगढ़ मार्ग गुजरता है।

सीहोर राज्य की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 37 किमी की दूरी पर भोपाल इन्दौर राजमार्ग पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1500 से 2000 फीट है। जिले का कुल क्षेत्रफल 6578 वर्ग किमी है तथा 22.5 से 23.67 उत्तरी अक्षांश एवं 76.4 से 78.13 पूर्वी देशांश के मध्य फैले इस जिले की सीमा प्रदेश के 6 जिलों: भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, देवास, शाजापुर एवं राजगढ़ से लगती है। जिले में 7 तहसील व 5 खण्ड; 7 नगर : 2 नगर पालिका एवं 5 नगर पंचायत; तथा 1037 राजस्व ग्राम व 35 वन ग्राम हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जिले की जनसंख्या 13,11,332 थी जिसमें से नगरीय जनसंख्या 2,48,462 तथा ग्रामीण जन संख्या 10,62,870 थी। जिले का साक्षरता दर 51.06 प्रतिशत तथा दशक वृद्धि दर 27.99 प्रतिशत थी। जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है। जिले में कुल 6 कृषि उपज मण्डी हैं जिनमें से सबसे बड़ी सीहोर नगर में है (मानचित्र क्रमांक 2.1)।

सीहोर नगर के प्रभाव क्षेत्र के अन्य प्रमुख नगर हैं:

- | | |
|-------------|---------|
| 1. इछावर | 22 किमी |
| 2. श्यामपुर | 29 किमी |



REGIONAL STUDY MAP

SEHORE PLANNING AREA 2031 AND REGION



Legend

- District Boundary
- Settlement Area
- Planning Area
- Catchment Area of Upper lake
- Forest Area
- Water Bodies
- Rivers
- Railway lines
- NH
- SH
- Other Roads
- Settlements

Directorate of Town and Country Planning, Bhopal

Map No. - **2.1**

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

3. भोपाल	37 किमी
4. आष्टा	43 किमी
5. मण्डीदीप	60 किमी
6. नरसिंहगढ़	70 किमी
7. नसरुल्लागंज	72 किमी
8. ओबेदुल्लागंज	74 किमी
9. बेरसिया	77 किमी
10. सोनकच्छ	85 किमी
11. बुदनी	107 किमी

- संभावित सैटेलाइट नगर होने के बाद भी सीहोर नगर की वांछित वृद्धि एवं संरचना नहीं मिल सकी है।
- रोजगार के अवसर न होने के कारण यह नगर सैटेलाइट नगर के रूप में विकसित होने में असफल रहा है। इसी कारण से जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट अंकित हुई है।
- नगर का औद्योगिक विकास भी रुक गया है। अनेक औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई हैं। ऐसा संभवतः भोपाल राजधानी क्षेत्र के गोविन्दपुरा एवं मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास के कारण हुआ है।
- वर्तमान सीहोर नगर उप क्षेत्रीय स्तर पर शैक्षणिक केन्द्र के रूप में विकसित होता दृष्टिगोचर हो रहा है।

2.2 व्यवसायिक संरचना

सीहोर : व्यावसायिक संरचना 2011

2-सा-1

क्रमांक	वर्ग प्रकार प्राथमिक क्षेत्र	कार्यशील व्यक्ति / श्रमिक	1000 श्रमिकों के पीछे विभाजन	प्रति 1000 जनसंख्या पर श्रमिक
1	2	3	4	5
1.	कृषक	818	23	7
2.	कृषीय श्रमिक	992	28	9
	योग		51	16
	द्वितीयक क्षेत्र			
1.	गृह उद्योग	693	20	6

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

क्रमांक	वर्ग प्रकार प्राथमिक क्षेत्र	कार्यशील व्यक्ति / श्रमिक	1000 श्रमिकों के पीछे विभाजन	प्रति 1000 जनसंख्या पर श्रमिक
1	2	3	4	5
	योग			6
	तृतीयक क्षेत्र			
1.	व्यापार एवं वाणिज्य			
2.	यातायात, संग्रहण	5630	159	51
3.	अन्य	27188	770	245
	योग			
	महायोग	35321	1000	318

स्रोत : जनगणना आंकड़े वर्ष 2011

व्यवसायिक संरचना में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या से ज्ञात होता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की तुलना वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में कमी हो रही है। इसी प्रकार द्वितीयक क्षेत्र पारिवारिक उद्योग में कार्यरत श्रमिकों में भी वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में वृद्धि पाई गई है।

2.3 निवेश क्षेत्र

नगर के भावी विकास को नियंत्रित एवं सुनियोजित करने हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13(1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2644/1-79/33/73 भोपाल दिनांक 30.10.1973 द्वारा सीहोर निवेश क्षेत्र का गठन किया गया।

सीहोर निवेश क्षेत्र में सीहोर नगर पालिका सहित कुल 30 ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, जिनका कुल क्षेत्र लगभग 16655.94 हेक्टर है, निवेश क्षेत्र में सम्मिलित नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र का विस्तृत विवरण सारणी क्रमांक 2-सा-2 के अनुसार है (मानचित्र क्रमांक 2.2)।


SEHORE PLANNING AREA

SEHORE DEVELOPMENT PLAN 2031



Legend

-  Planning Area 2031
-  BMC Boundary
-  Village Boundary
-  Water Body
-  Road Existing
-  railway_line



सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

सीहोर निवेश क्षेत्र

2-सा-2

क्रमांक	नाम	क्षेत्रफल हेक्टर में	जनसंख्या	
			2001	2011
1.	कस्बा सीहोर	1353.05		
2.	छावनी सीहोर	433.70		
3.	बड़ियाखेड़ी	261.01		
4.	मुरली	403.27		
5.	खुर्शीदपुर (भाग)	87.15		
6.	गोपालपुर (भाग)	83.85		
7.	शेरपुर (भाग)	21.00		
	सीहोर नगर पालिका(1 से 6)		92,518	109118
7.	अब्दुलापुर	315.54	386	442
8.	अल्हदाखेड़ी	362.33	600	954
9.	अवन्तीपुरा	227.62	248	312
10.	भगवानपुरा	204.28	83	76
11.	बिजोरा	424.06	729	857
12.	बिजोरी	893.51	2,105	2550
13.	चंदेरी	552.74	746	866
14.	गुड़भेला	756.28	2,029	2497
15.	हसनाबाद	668.81	1,020	1300
16.	जहांगीरपुरा	798.09	1,955	1875
17.	जमोनिया	998.44	1,590	1845
18.	कालापहाड़	709.89	212	1127
19.	लसुड़िया पड़हार	1258.84	1,455	1638
20.	मुंगीसपुर	193.24	939	1730
21.	पचामा	389.18	1,087	1177
22.	रफीकगंज	727.43	1,302	1625
23.	सारंगाखेड़ी	209.09	483	484
24.	सेमलीखुर्द	610.03	669	729
25.	शाहपुर कोडिया	325.37	676	803
26.	शेरपुर (भाग)	378.30	1,272	1825
27.	शिवपुरी	202.41	115	131

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

28.	तकीपुर	535.91	923	1018
29.	थूना कला	1010.85	2,062	2457
30.	थूनाखुर्द	855.73	726	834
31.	खुर्शीदपुर (भाग)	196.90		5
32.	गोपालपुर (भाग)	208.05	505	
	योग	16655.95	116,435	138,294

नोट— उपरोक्त क्षेत्रफल जो दर्शाया गया है वह जी.आई.एस. द्वारा संगणित क्षेत्रफल है जो कि राजस्व अभिलेख से अंशतः भिन्न है।

2.4 नगर पालिका परिषद

सीहोर नगर पालिका परिषद का गठन सर्व प्रथम 26.03.1940 में किया गया था। जिसे बाद में 18 वार्डों में विभक्त किया गया वर्ष 1977 में नगर पालिका की सीमा में वृद्धि की गई तथा इसे 22 वार्डों में विभक्त किया गया। सीहोर नगर की बसाहट में वृद्धि होने के साथ-साथ नगर पालिका सीमा में भी वृद्धि की जाती रही है।

क्रमांक 1332 जिशविअ-न.पा.-वार्ड-प्रकाशन-2005 नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने नगर पालिका सीहोर, को 35 वार्डों में विभक्त किया, जिसका कुल क्षेत्रफल 2643.02 हेक्टर है।

इसमें सीहोर कस्बा, सीहोर छावनी, बड़ियाखेड़ी, मुरली पूर्णत तथा गोपालपुर, खुर्शीदपुर, शेरपुर का कुल भाग शामिल है। मानचित्र क्रमांक 2.3

2.5 जनसंख्या परिवर्तन

सीहोर नगर की जनसंख्या 1901 में 16864 थी जो 1991 में 71945, 2001 में 92,518 तथा 2011 में बढ़कर 110962 हो गई, इस प्रकार नगर की जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती गई, जिसका कारण परिवहन, व्यापारिक एवं प्रशासकीय गतिविधियों में वृद्धि होना है, वर्ष 1981-91 के दशक में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि 37.85 प्रतिशत रही तथा वर्ष 2001 में वृद्धि का प्रतिशत 28.60 एवं वर्ष 2011 में वृद्धि का प्रतिशत 19.94 रहा।

POPULATION DENSITY MAP

SEHORE DEVELOPMENT PLAN 2021



Legend

Planning_area

WARD BOUNDARY

Population Density (Persons/Hact.)

0 - 25

25 - 50

50 - 100

100 - 150

150 - 300


ABOVE 300

VILLAGE BOUNDARY

Water Body

road_28_09_2013

Railway line



Directorate of Town and Country Planning, Bhopal

Map No. 2.3

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

नगर में बढ़ते औद्योगीकरण के कारण नगर जनसंख्या में आब्रजन प्रवृत्ति के फलस्वरूप उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। नगर में स्त्री-पुरुष का अनुपात वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 846 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरुष है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 936 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरुष है।

सीहोर विकास योजना 2011 में वर्ष 2011 के लिये जनसंख्या 1.89 लाख अनुमानित किया जाकर तदानुसार प्रावधान रखे गये थे किन्तु वर्ष 2011 की वास्तविक जनसंख्या 1.38 लाख ही हुई। अतः प्रस्तावित भूमि उपयोग का बड़ा भाग अभी भी स्थल पर विकसित नहीं हुआ है।

सीहोर : जनसंख्या परिवर्तन

2-सा-3

क्रमांक	वर्ष	जनसंख्या नगर समूह	दशक वृद्धि का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	1901	16864	
2.	1911	12105	28.22
3.	1921	13588	12.25
4.	1931	13860	2.00
5.	1941	16831	21.44
6.	1951	20879	24.05
7.	1961	28489	36.45
8.	1971	36136	26.84
9.	1981	52190	44.43
10.	1991	71945	37.85
11.	2001	92518	28.60
12.	2011	110962	19.94

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि नगर की जनसंख्या में 1971 में 26.84 एवं 1981 में 44.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 1911 में 28.22 थी। मध्य में जनसंख्या का अनुपात सामान्यतः कम रहा। वर्ष 1981-91 के दशक में वृद्धि दर 37.85 प्रतिशत रही। वर्ष 2001 में वृद्धि दर 28.60 प्रतिशत रही है तथा 2011 में 19.84 प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि रही है।

सीहोर : वार्ड के अनुसार जनसंख्या एवं घनत्व

2-सा-4

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

क्र०	वार्ड का नाम	जनसंख्या 2011	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	घनत्व
1	2	3	4	5
1.	पटेल जीवन लाल राय वार्ड	2329	321.809361	7.237200
2.	रानी दुर्गावती वार्ड	4427	345.918717	12.797800
3.	कुवेर चैनसिंह वार्ड	3502	594.440029	5.891260
4.	गुरु गोविन्द सिंह वार्ड	2877	123.067406	23.377399
5.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड	3203	13.596984	235.567000
6.	इन्दिरा गांधी वार्ड	2211	25.680458	86.096603
7.	डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी वार्ड	2789	41.328136	67.484299
8.	महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड	3095	18.794008	164.679990
9.	महाराणा प्रताप वार्ड	3527	118.928269	29.656500
10.	जवाहर लाल नेहरू वार्ड	3262	15.484529	210.662000
11.	संत रविदास वार्ड	3577	12.539360	285.261990
12.	मोती लाल वार्ड	6691	36.453154	183.550990
13.	चन्द्रशेखर वार्ड	2607	8.769477	297.281010
14.	सरदार पटेल वार्ड	4275	24.488919	174.569000
15.	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड	2355	6.712250	350.851010
16.	छत्रपति शिवाजी वार्ड	2233	5.271857	423.570010
17.	उमराव सिंह वार्ड	2670	20.482821	130.353000
18.	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड	2248	10.959995	205.110000
19.	राजीव गांधी वार्ड	3580	14.800371	241.886000
20.	डॉ. अम्बेडकर वार्ड	2624	143.596734	18.273399
21.	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड	1739	219.594200	7.919150
22.	बाल्मिकी वार्ड	5836	73.760311	79.121101
23.	वीर सावंरकर वार्ड	3765	42.825328	87.915298
24.	स्वामी विवेकानन्द वार्ड	2056	19.047381	107.941000
25.	चित्रगुप्त वार्ड	4541	262.376565	17.307199
26.	केप्टन अब्दुल हमीद वार्ड	3126	6.511762	480.053990
27.	तात्याटोपे वार्ड	2429	5.823145	417.129000
28.	महात्मा गांधी वार्ड	2532	8.132794	311.332000
29.	महावीर वार्ड	931	25.266342	36.847401
30.	रवीन्द्रनाथ टैगोर वार्ड	2100	4.70922	445.933990

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

क्र०	वार्ड का नाम	जनसंख्या 2011	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	घनत्व
1	2	3	4	5
31.	जी.पी. पीटर्स वार्ड	4107	21.943938	187.159000
32.	मौलाना अब्दुल कलाम आजद वार्ड	3689	8.970839	411.221010
33.	सफी अहमद किदवई वार्ड	3265	8.344824	391.260010
34.	सरदार भगत सिंह वार्ड	2124	17.562281	120.941000
35.	तिलक वार्ड	2587	15.035677	172.057010
	नगरपालिका क्षेत्रफल(अ)	109118	2643.02744	41.28523157
	अन्य क्षेत्र (ब)	29176	10412.93000	2.140734039
	कुल (अ+ब)	138294	16655.94740	8.498895141

2.6 अनुमानित जनसंख्या

नगर की भावी आवश्यकताओं का निर्धारण मुख्यतः भावी अनुमानित जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। नगर की जनसंख्या अनुमानित करने में विभिन्न घटक जैसे नगर की जनसंख्या वृद्धि पर आर्थिक रूप रेखा, शासन की औद्योगिक नीति आदि को विशेष महत्व दिया जाना आवश्यक है। सीहोर नगर की जनसंख्या का अनुमान उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये तथा क्षेत्रीय महत्व आदि की भी दृष्टिगत रखते हुये किया गया है जिसके आधार पर वर्ष 2031 की जनसंख्या 2.4 लाख, अनुमानित करते हुये विकास योजना के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। जिसमें नगर पंचायत, सीहोर बाजार की जनसंख्या भी शामिल है।

सीहोर निवेश क्षेत्र में सन् 2031 में जनसंख्या का अनुमान विभिन्न सांख्यिकीय पद्धतियों से अर्थात् ज्यामितीय वृद्धि पद्धति, लिनियर वृद्धि पद्धति एवं एक्सपेंशल वृद्धि पद्धति से किया गया है, जिसमें ज्यामितीय वृद्धि पद्धति पुराने नगरों के संदर्भ में अधिक भरोसे की है। वर्ष 2001 एवं 2011 के संदर्भ में ज्यामितीय वृद्धि पद्धति के आधार पर सीहोर नगर की अनुमानित जनसंख्या 1.79 होगी। अतः अनुशासित जनसंख्या 2.40 लाख वर्ष 2031 के संदर्भ में होगी। सीहोर नगरीय क्षेत्र में विगत दशक में ग्राम क्रमशः गोपालपुरा, खुर्शीदपुर, शेरपुर, मुरली नगरीय सीमा में समाहित होते जा रहे हैं। भविष्य में भी इन ग्रामों में विकास होने की प्रबल संभावना है। अतः इन ग्रामों की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए 2.40 लाख जनसंख्या हेतु प्रस्ताव दिये गये हैं।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

सीहोर नगर पालिका : जनसंख्या वृद्धि का आंकलन 2011-2031

2-सा-5

क्र.	जनसंख्या उभार पद्धति	1991	2001	2011	2021	2031
1.	अर्थमैटिक वृद्धि पद्धति	71945	92518	110962	129406	147850
2.	जियोमैट्रिक वृद्धि पद्धति	71945	92518	110962	141026	179236
3.	एक्सपेंशल पद्धति	71945	92518	110962	133083	163043

सीहोर निवेश क्षेत्र : जनसंख्या वृद्धि का आंकलन 2011-2031

2-सा-6

क्र.	जनसंख्या उभार पद्धति	1991	2001	2011	2021	2031
1.	अर्थमैटिक वृद्धि पद्धति	89423	116435	138294	160153	182012
2.	जियोमैट्रिक वृद्धि पद्धति	89423	116435	138294	176150	224368
3.	एक्सपेंशल पद्धति	89423	116435	138294	164257	201310

2.6.1 भूमि मूल्य

नगर के विभिन्न ग्रामों के कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2013-2014 के अनुरूप विभिन्न मूल्य श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुये भूमि मानचित्र तैयार किया गया है। (मानचित्र क्रमांक 2.4) उक्त मानचित्र में स्पष्ट है कि नगर के पूर्व की ओर भूमि का मूल्य अन्य दिशाओं से अधिक है।

2.6.2 बड़े तालाब का जल अधिग्रहण क्षेत्र

संचालनालय- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा भोज ताल के मास्टर प्लान का कार्य सी.ई.पी.टी. अहमदाबाद के माध्यम से कराया जा रहा है। सी.ई.पी.टी. द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारम्भिक रिपोर्ट में बड़े तालाब (भोजताल) के जलग्रहण क्षेत्र का मानचित्र प्रस्तुत किया गया (मानचित्र क्रमांक 2.5) इसमें सीहोर जिले के कुछ गाँव को जलग्रहण क्षेत्र में रखा गया है, इसमें से सीहोर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित लसुड़िया परिहार एवं थूनाकलौं ग्राम का कुछ भाग इसके अन्तर्गत आता है जो कि 719.16 हेक्टर है।

LAND VALUE MAP

SEHORE DEVELOPMENT PLAN 2021




Legend

 Planning Area


LAND VALUE Rs./Hect. (In Lacs)

-  7.50 - 10.00
-  10.00 - 20.00
-  20.00 - 40.00
-  40.00 - 70.00
-  70.00 - ABOVE

 Road

 Railway line

As per Collector Guideline year 2013-14



Directorate of Town and Country Planning, Bhopal

Map No. 2.4

UPPER LAKE CATCHMENT AREA MAP

SEHORE DEVELOPMENT PLAN 2031




Legend

-  DISTRICT BOUNDARY
-  Bhopal Planning Area
-  Sehore Planning Area
-  Catchment Area of Upper Lake
-  Village Boundary
-  Khasra Boundary
-  Water Body
-  Regional Road

Directorate of Town and
Country Planning, Bhopal

**Map No.
2.5**



सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

2.7 नगरीय विस्तार

सीहोर निवेश क्षेत्र का नगरीय विस्तार क्रम एकत्रित जानकारी के आधार पर किया गया (मानचित्र 2.6)।

नगरीय विस्तार के इतिहास को नगर विकास के क्रम के माध्यम से स्पष्ट करना संभव है। सीहोर के वर्ष 2002 से 2012 की समयावधि में हुए नगरीय विकास का अध्ययन किया गया। अलग-अलग दिन की सुदूर संवेदन प्रणाली की जानकारी के चित्र गूगल अर्थ से लिये गये हैं। डिजीटल एवं दृश्य की जानकारी का उपयोग किया गया।

सीहोर : नगरीय विस्तार समय एवं क्षेत्रफल

2-सा-7

क्रमांक	नगरीय विस्तार	क्षेत्रफल (क्षेत्रफल)	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	2003 तक	528.00	46.67
2.	2003 से 2006	163.76	14.47
3.	2006 से 2009	174.02	15.38
4.	2009 से 2012	265.61	23.48
	कुल	1131.39	100

सीहोर निवेश क्षेत्र के नगरीय विस्तार का क्रम अलग-अलग तिथियों पर सुदूर संवेदन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर किया गया है। मानचित्र के नगर का प्राकृतिक विकास क्रम एवं दिशा स्पष्ट है प्राकृतिक विस्तार समय एवं क्षेत्रफल सारणी 2-सा-7 में स्पष्ट है।

सीहोर शहर का विस्तार

2-सा-8


क्र०	नगरीय एवं विस्तार	उपग्रहचित्र का माह एवं वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्टर)	विकास विस्तार में वृद्धि (हेक्टर)	विकास विस्तार में वृद्धि (प्रतिशत)	सकल वार्षिक वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7
1	2003 तक	जनवरी 2003	528.00	—	—	—


URBRAN SPWRAL MAP

SEHORE DEVELOPMENT PLAN 2031



Legend

-  PLANNING AREA
-  VILLAGE BOUNDARY
-  UP TO 2002
-  2002 TO 2006
-  2006 TO 2009
-  2009 TO 2012
-  Railway line
-  EXISTING ROAD



Directorate of Town and
Country Planning, Bhopal

Map No.
2.6

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

क्र०	नगरीय एवं विस्तार	उपग्रहचित्र का माह एवं वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्टर)	विकास विस्तार में वृद्धि (हेक्टर)	विकास विस्तार में वृद्धि (प्रतिशत)	सकल वार्षिक वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7
2	2003 से 2006	दिसम्बर 2006	691.76	163.76	31.01	10.34
3	2006 से 2009	अक्टूबर 2009	865.77	174.02	25.16	8.39
4	2009 से 2012	दिसम्बर 2012	1131.39	265.61	30.68	10.23

नगरीय विस्तार के मानचित्र एवं सारणी के आधार पर निष्कर्ष निम्न है –

- वर्ष 2002 के पूर्व नगरीय गतिविधिया मुख्यतः पुराने शहर में केन्द्रित थी। वर्ष 2002 से 2006 तक नगर का विस्तार प्रमुखतः रेल्वे स्टेशन के आस-पास के क्षेत्र में हुआ जबकि 2006 से 2009 तक नगर का विस्तार प्रमुखतः शहर के मध्य की ओर हुआ जबकि 2009 से 2012 तक शहर का विस्तार चारों दिशाओं में हुआ तथा प्रमुखतः विकास भोपाल रोड की ओर एवं दक्षिण दिशा में हुआ।
- सकल वार्षिक दर 2003 से 2006 के मध्य 10.34 प्रतिशत थी, जबकि 2006 से 2009 के मध्य यह घटकर 8.39 प्रतिशत हो गई थी जो 2009 से 2012 में पुनः बढ़कर 10.23 प्रतिशत हो गई है। अतः नगरीय विस्तार में 2009 के बाद तेजी हुई।

वर्ष 2003 के पूर्व नगरीय गतिविधियां प्रमुखतः पुराने शहर में सीहोर के मध्य भाग में केन्द्रित थी। वर्ष 2002-2006 तक नगर का विस्तार चारों दिशा में एवं वर्ष 2006-2009 की समयावधि में नगर का विस्तार भोपाल रोड पर हुआ। 2012 तक नगर का विस्तार चारों दिशा में हुआ। ज्यादातर विकास दक्षिण दिशा में हुआ।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

2.8 नगर विकास हेतु आवश्यक क्षेत्रफल

अध्ययन के आधार पर सीहोर निवेश क्षेत्र अंतर्गत नगरीय क्षेत्र की वर्ष 2031 में जनसंख्या 2.40 लाख के आसपास रहेगी । अतः वृद्धिगत जनसंख्या 1.02 लाख होगी ।

● अतिरिक्त क्षेत्र आवश्यकता की गणना

वर्ष 2031 की आंकलित जनसंख्या हेतु कुल क्षेत्र की आवश्यकता ।	2400 हेक्टेयर
100 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर की दर से सीहोर विकास योजना 2011 में आवंटित कुल क्षेत्रफल	1901 हेक्टेयर
100 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर की दर से 2031 हेतु अतिरिक्त आवश्यक क्षेत्रफल ।	499 हेक्टेयर

सीहोर विकास योजना 2011 में 1901 हेक्टेयर भूमि हेतु प्रस्तावित थी, परन्तु अध्याय-3 में वर्णित विभिन्न कारणों से सिर्फ 984.07 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है। इस कारण 917.33 हेक्टेयर भूमि जो सीहोर विकास योजना 2011 में प्रस्तावित थी, अभी तक विकसित नहीं हुई है। प्रस्तावित विकास योजना हेतु प्रस्ताव एक हेक्टेयर/1000 दर से (100 व्यक्ति/हेक्टेयर) भूमि आवश्यक है। अतः कुल 2400 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी अर्थात् 499 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि आवश्यक होगी । उपरोक्त क्षेत्र को आधार मानकर प्रस्तावित भूमि उपयोग 2031 निर्धारित किया है।

2.9 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

विभिन्न प्राकृतिक घटकों एवं अन्य सुरक्षा कारणों के आधार पर निवेश क्षेत्र में तीन श्रेणियों में भूमि उपयोग उपयुक्तता का आंकलन किया गया है :-

1. अनुपयुक्त
2. कम उपयुक्त

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

3. उपयुक्त

– यह आंकलन सीहोर विकास योजना 2011 में विकास योग्य प्रस्तावित क्षेत्र 1901.90 हेक्टर के उपरान्त शेष बचे 14754.49 हेक्टर हेतु किया गया।

2.9.1 अनुपयुक्त क्षेत्र

अनुपयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 2147.53 हेक्टर भूमि चिन्हित की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) वन क्षेत्र –

अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 682.70 हेक्टर वन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

(ब) जलाशय –

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 5 जलाशयों का रिमोट सेंसिंग के माध्यम से चिन्हित किया गया जिनका कुल क्षेत्रफल 453.78 हेक्टर है।

(स) नदी एवं नाले–

इस श्रेणी के अन्तर्गत लगभग 224.69 हेक्टर भूमि चिन्हित की गई।

(द) नदी नालों एवं जलाशयों से सुरक्षित दूरी (बफर जोन) नदी एवं नालों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

1. प्रमुख नदियाँ –

प्रमुख नदियों में दोनों ओर 30.0 मीटर तक की दूरी का क्षेत्रफल अनुपयुक्त श्रेणी में वर्गीकृत है।

2. प्रमुख नदियों में प्रवाहित वाले प्रथम आर्डर नाले–

इन नालों के दोनों ओर 15 मीटर तक की दूरी का क्षेत्र अनुपयुक्त श्रेणी में वर्गीकृत है।

3. अन्य नाले–

अन्य सभी नालों से दोनों ओर 9.0 मीटर तक की दूरी के क्षेत्र को अनुपयुक्त माना गया है।

4. जलाशय –

जलाशयों से 33.0 मीटर तक के क्षेत्र को अनुपयुक्त माना गया है। इस वर्ग में कुल लगभग 786.36 हेक्टर भूमि चिन्हित की गई है।

5. रेल्वे क्षेत्र –

रेल्वे की भूमि सीमा से दोनों ओर 30.0 मीटर स्थित भूमि का क्षेत्र अनुपयुक्त श्रेणी में है।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

6. बाय-पास –
इन्दौर-भोपाल बाय-पास के दोनो ओर 45 मीटर का क्षेत्र अनुपयुक्त श्रेणी में आता है।

2.9.2 कम उपयुक्त क्षेत्र

इस श्रेणी में कुल 2556.06 हेक्टर भूमि चिन्हित की गई है, इसमें भोपाल के बड़े तालाब का सेप्ट (सी.ई.पी.टी.) द्वारा चिन्हित केचमेंट तथा जमुनिया बांध के केचमेंट का क्षेत्र, कम उपयुक्त श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.9.3 उपयुक्त क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र 14754.49 हेक्टर में से अनुपयुक्त क्षेत्र 2147.53 हेक्टर तथा कम उपयुक्त क्षेत्र 2556.069 हेक्टर को घटाने के उपरान्त कुल 10050.89 हेक्टर भूमि नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि के रूप में प्राप्त होती है (मानचित्र क्रमांक 2.7)।

क्रमांक	अनुपयुक्त वर्ग	क्षेत्रफल (हेक्टर)
1	वन क्षेत्र	628.70
2	जलाशय	453.78
3	नदी / नाले	224.69
4	बफर क्षेत्र	786.36
	कुल	2147.53

नगरीय विकास हेतु उपयुक्त क्षेत्र

2-सा-9


क्रमांक	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टर)
1	2	3
1	निवेश क्षेत्र	16655.88
2	विकास योजना 2011 में विकास योग्य	1901.40


SUITABILITY MAP


SEHORE DEVELOPMENT PLAN 2031



Legend

-  PLANNING AREA
-  Water body
-  Drainage River
-  Not Suitable Area
-  Proposed Area in SDP 2011
-  Less Suitable Area
-  Suitable Area
-  Existing Road



 Directorate of Town and Country Planning, Bhopal

Map No.
2.7

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

क्रमांक	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टर)
1	2	3
	प्रस्तावित क्षेत्र	
3	अध्ययन क्षेत्र	14754.49
4	अनुपयुक्त क्षेत्र	2147.53
5	कम उपयुक्त क्षेत्र	2556.06
6	उपयुक्त क्षेत्र	10050.89

2.10 पर्यावरणीय संवेदनशीलता

सीहोर निवेश क्षेत्र में पर्यावरणीय संवेदनशीलता का विश्लेषण, वायु की गुणवत्ता (एस.ओ.2/एन.ओ.एक्स.एस.पी.एम.आ.एस.पी.एम.) भूमिगत जल गुणवत्ता (पी. एच. क्लोराईड) , नाईट्रेट के आधार पर किया गया है।

ANALYSIS REPORT

Monitoring of : City Ambient Sehore
Sample Collected By : R.O.Bhopal
Date Of Sampling : 30/12/2013
Date Of Received : 01/01/2014
Date Of Analysis : 01/01/2014

AMBIENT AIR QUALITY

2-सा-10

S.NO.	Parameter's in microgram/m3	Result
1	Respirable Suspended Particulate matter	650
2	Oxides of Nitrogen (as Nox)	BDL
3	sulphur-di-oxide	BDL

Note- BDL Below Detectable Limit

स्रोत – प्रदूषण मण्डल

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

सीहोर : समीपस्थ ग्रामों की पेयजल गुणवत्ता

2-सा-11

क्र०	ग्राम का नाम	स्रोत का प्रकार नदी/ भूजल	स्थान	पी.एच.	टी.डी.एस.
1	2	3	4	5	6
1.	गोपालपुर	भू जल			
2.	बिजोरी	भू-जल	1. हनुमान मंदिर 2. सोसायटी के पास 3. हरि मोहल्ला 4. देवीलाल के घर के पास 5. स्वराज भवन के पास 6. सरपंच के घर के पास 7. अर्जुन के घर के पास	7.1 7.5 6.9 7.4 8.6 8.8 8.9	612 401 527 446 433 416 750
3.	रफीकगंज	भू-जल	1. नाले के पास 2. चौकी (टोला) 3. प्रा.शाला 4. मंदिर के पास	7.5 7.9 8.1 7.6	510 236 450 344
4.	जहाँगीरपुरा	भू-जल	1. बजरंग मंदिर के पास 2. नहर वाला 3. पीर बाबा के पास 4. पन्नालाल के घर के पास 5. रामकिशन के घर के पास 6. हनुमान मंदिर के पास	7.3 7.2 8.7 7.1 7.0 8.6	1317 431 371 745 604 453
5.	काला पहाड़	भू-जल	1. मस्जिद के पास 2. नाले के पास 3. स्कूल के पास 4. सलीम के घर के पास	7.6 7.9 7.6 7.8	445 1306 412 805
6.	शाहपुरा कोडिया	भू-जल	1. रोड पर नया मंदिर के पास 2. स्कूल के पास 3. रूपसिंह के घर के पास	7.7 7.6 7.6 7.0	769 735 1539 376

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

क्र०	ग्राम का नाम	स्रोत का प्रकार नदी/ भूजल	स्थान	पी.एच.	टी.डी.एस.
1	2	3	4	5	6
			4. राम मंदिर के पास 5. बजरंग मंदिर के पास 6. कुन्जीलाल के घर के पास 7. शमशान वाला 8. चौकीदार के घर के पास	7.3 7.9 7.6 7.3	922 354 406 406
7.	हसनाबाद	भू-जल	1. चौद खॉ के पास 2. स्कूल में 3. मंदिर वाला 4. पम्प हाऊस 5. हरि मोहल्ला 6. पूर्व सरपंच के घर के पास 7. लौधीपुरा 8. गाँव के बाहर 9. चौराहे पर	7.8 7.6 6.9 7.8 7.9 7.8 7.6 7.6 7.3	691 492 910 351 849 715 1306 321 350
8.	मुगीसपुर	भू-जल	1. मा०शाला 2. लाल खॉ के पास 3. तोमर के घर के पास 4. पठार वाला	7.3 7.5 7.4 8.2	649 410 484 124
9.	जमोनिया	भू-जल	1. सरपंच के घर के पास 2. आंगनावाड़ी 3. नाले के पास 4. बड़ी माता मंदिर के पास	7.9 7.4 7.4 7.5	459 304 248 201
10	लसुड़िया परिहार	भू-जल	1. मंदिर के पास 2. हरि मोहल्ला 3. आंगन बाड़ी 4. स्कूल वाला	7.7 7.2 7.3 7.2	638 611 412 519
11.	गुड़मेला	भू-जल	1. पंचायत भवन 2. कुन्डी वाला	7.2 7.4	420 524

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

क्र०	ग्राम का नाम	स्रोत का प्रकार नदी/ भूजल	स्थान	पी.एच.	टी.डी.एस.
1	2	3	4	5	6
			3. मस्जिद वाला	7.0	796
12.	बिजोरा	भू-जल	प्रा०शाला	7.7	695
13	थूनाकलां	भू-जल	1. रोड पर 2. शमशान वाला 3. दुकान के सामने 4. बबूल पेड़ के पास 5. मढी के पीछे	7.2 7.2 7.3 7.2 7.2	320 188 1076 699 276
14	पचामा	भू-जल	1. स्कूल वाला 2. आंगनवाड़ी वाला	7.2 7.3	588 689
15	सारंगाखेड़ी	भू-जल	1. स्कूल के पीछे 2. रास्ते पर 3. नदी के सामने 4. संतोष के घर के सामने	7.3 7.2 7.4 7.2	399 377 422 1161
16	अलादाखेड़ा	भू-जल	गोया के पास	7.3	743
17	थूनाखुर्द	भू-जल	1. स्कूल के सामने 2. स्कूल के पीछे 3. मंदिर के पास	7.0 7.7 7.4	874 1032 939

स्रोत – जल संसाधन विभाग सीहोर

2.11 नगरीय विकास हेतु उपयुक्त क्षेत्र

सीहोर विकास योजना हेतु वर्तमान विकसित क्षेत्र का निवेश क्षेत्र में स्थित प्रत्येक ग्राम के क्षेत्रफल के संदर्भ में अध्ययन किया गया है तथा प्रत्येक ग्राम में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि की गणना की गई। नगरीय विकास 2031 के लिए अतिरिक्त भूमि का निर्धारण, जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण घनत्व एवं प्रत्येक ग्राम में विकास हेतु उपलब्ध भूमि के निर्धारण के आधार पर किया गया। सीहोर की वर्ष 2031 की अनुमानित जनसंख्या 2.40 लाख होगी। भूमि उपयोगिता दर 100

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व के आधार पर भूमि की आवश्यकता निर्धारित की है जिसका विवरण पैरा 2.8 अनुसार है।

विकास योजना अध्याय क्रमांक 1 एवं 2 में दिये गये क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के आधार पर वर्ष 2031 हेतु प्रस्ताव आगामी अध्याय में दिये जा रहे हैं।

**विकास योजना प्रस्ताव
एवं प्रस्तावित यातायात संरचना**

विकास योजना 2011 का पुर्नविलोकन

सीहोर विकास योजना 2011 मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-67-2001-32 दिनांक 31.05.2004 से अंगीकृत होकर प्रभावशील है। विकास योजना में अनुमानित है, कि वर्ष 2031 तक सीहोर की जनसंख्या 2.40 लाख के आसपास हो जायेगी। वर्ष 2031 की जनसंख्या की आवश्यकता हेतु 1.0 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति के मान से 2.40 लाख की जनसंख्या हेतु भूमि उपयोग निर्धारण किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार सीहोर की जनसंख्या 1.50 लाख थी। जनसंख्या का अर्थमेटिक वृद्धि पद्धति, ज्यामितीय वृद्धि एवं एक्सपेंशल वृद्धि पद्धति से व्यावहारिक तौर पर अनुमान लगाया गया जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सीहोर विकास योजना 2031 को 2.40 लाख की जनसंख्या के आधार पर तैयार किया जाए। वर्ष 2006 से 2012 तक 603.39 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास कार्य किया गया है।

3.1 विकास योजना पुर्नविलोकन के आधार बिन्दु

1. निवेश क्षेत्र में नियोजन की दृष्टि से विकास की निरंतरता बनाये रखने हेतु भूमि उपयोग निर्धारित करना।
2. वाणिज्यिक विकास को गति देने हेतु आवश्यकता अनुसार वाणिज्यिक प्रस्ताव देने होंगे ताकि वाणिज्यिक क्षेत्र में नियोजित विकास हो सके तथा आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक विकास हतोत्साहित हो सके।
3. वर्तमान मार्गों का एलाइनमेन्ट कई स्थानों पर बाधित होने के कारण विकास योजना मार्गों का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा है ऐसे मार्गों की चौड़ाई को युक्तियुक्त ढंग से प्रस्तावित करना।
4. प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण।
5. वर्तमान मार्गों का उन्नयन।
6. वर्ष 2031 की 2.4 लाख जनसंख्या हेतु पेयजल की व्यवस्था तथा सीवरेज व्यवस्था।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

7. औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रस्ताव ।
8. तालाब एवं जल स्रोतों का संरक्षण तथा संवर्द्धन ।

3.1.1 प्रमुख घटक जो क्रियान्वित नहीं हो सके

- (अ) यातायात नगर –
ग्राम मुरली में प्रस्तावित यातायात नगर का विकास नहीं हो सका ।
- (ब) औद्योगिक क्षेत्र–
जमुनिया मार्ग पर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का क्रियान्वयन भी योजना अवधि में नहीं हो सका ।
- (स) आमोद–प्रमोद –
विकास योजना 2011 में प्रस्तावित स्टेडियम तथा नगर वानिकी का विकास नहीं हुआ ।

3.2 भूमि उपलब्धता

सीहोर निवेश क्षेत्र में 30 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है, जिनका कुल क्षेत्रफल 16655.89 हेक्टेयर है। निवेश क्षेत्र नगर पालिका सीहोर का 2613.95 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है। निवेश क्षेत्र में 10050.89 हेक्टेयर भूमि भावी विकास हेतु उपलब्ध है, जो कुल निवेश क्षेत्र का 87.69 प्रतिशत है। निवेश क्षेत्र अंतर्गत भूमि का वर्गीकरण निम्न सारणी में दिया गया है –

सीहोर : भूमि संसाधन

3-सा-1

क्रमांक	भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	विकसित क्षेत्र: – (अ) नगरपालिका सीमा के अंदर	1131.39 848.06	6.77
	(ब) नगरपालिका सीमा के बाहर	283.33	
2.	अनुपयुक्त भूमि: जलाशय / नाले इत्यादि	2147.53	12.89

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

क्रमांक	भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत
1	2	3	4
3.	उपयुक्त भूमि	10050.81	60.34
	योग	16655.88	100.00

3.3 प्रस्तावित विकास योजना 2031

सीहोर विकास योजना 2031 में वर्णित बिन्दुओं के आधार पर भूमि उपयोग के प्रस्ताव तैयार किये गये । प्रत्येक भूमि उपयोग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल को सारणी क्रमांक 3.2 में दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित आवासीय विकास हेतु 519.76 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि वर्तमान विकसित क्षेत्र के अतिरिक्त है। इसी प्रकार वाणिज्यिक विकास 153.38 हेक्टेयर, औद्योगिक विकास 80.57 हेक्टेयर, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के विकास हेतु 104.20 हेक्टेयर एवं सार्वजनिक सेवा एवं सुविधाओं के अंतर्गत 10.65 हेक्टेयर तथा यातायात के अंतर्गत 184.33 हेक्टेयर, आमोद-प्रमोद भूमि के अंतर्गत लगभग 265.73 हेक्टेयर भूमि विकास योजना में प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार विकास योजना में कुल 2450.00 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है (मानचित्र क्रमांक 3.1)।

सीहोर: प्रस्तावित भूमि उपयोग भूमि आवंटन 2031

3-सा-2

क्र.	भूमि उपयोग	वर्तमान 2011			प्रस्तावित 2031			
		वर्तमान क्षेत्र हेक्टेयर में	प्रतिशत	प्रस्तावित क्षेत्र हेक्टेयर में	प्रतिशत	कुल प्रस्तावित क्षेत्र हेक्टेयर (2+5)	प्रतिशत	भूमि उपयोग दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आवासीय	591.71	52.30	519.76	39.42	1111.47	45.37	4.63
2.	वाणिज्यिक	47.92	4.24	153.38	11.63	201.30	8.22	0.84
3.	औद्योगिक	85.22	7.53	80.57	6.11	165.79	6.77	0.69
4.	सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक	136.58	12.07	104.20	7.90	240.78	9.83	1.00
5.	सार्वजनिक	24.81	2.19	10.65	0.81	35.46	1.45	0.15

सीहोर


विकास योजना - 2031 (प्रारूप)




संकेतक

	वर्तमान	प्रस्तावित
आवासीय		
वाणिज्यिक		
मण्डी		
यातायात नगर		
औद्योगिक		
सार्वजनिक / अर्ध सार्वजनिक एवं सेवा सुविधाएँ		
सेवा एवं सुविधाएँ		
आमोद प्रमोद		
स्टेडियम		
नगर बनीकी		
वृक्षारोपण		
आरक्षित वन		
मेला मैदान		
बफर		
यातायात एवं परिवहन		
नडके एवं गलियों		
बस स्थानक		
रेल्वे लाईन		
रेल्वे स्टेशन		
कृषि		
नदी / नाले / तालाब / नहर		
निवेश क्षेत्र सीमा		
नगर पालिका सीमा		
ग्राम सीमा		

0 0.35 0.7 1.4 2.1 2.8 Kilometers



Directorate of Town and Country Planning, Bhopal



सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

क्र.	भूमि उपयोग	वर्तमान 2011			प्रस्तावित 2031			
		वर्तमान क्षेत्र हेक्टेयर में	प्रतिशत	प्रस्तावित क्षेत्र हेक्टेयर में	प्रतिशत	कुल प्रस्तावित क्षेत्र हेक्टेयर (2+5)	प्रतिशत	भूमि उपयोग दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	सेवा एवं सुविधाएं							
6.	यातायात एवं परिवहन	213.38	18.86	184.33	13.98	397.71	16.23	1.66
7.	आमोद-प्रमोद	31.77	2.81	265.73	20.15	297.49	12.14	1.24
	योग	1131.39	100.00	1318.61	100.00	2450.00	100.00	10.21

वर्ष 2031 के लिए अनुमानित जनसंख्या 2.40 लाख हेतु 1.00 हेक्टेयर भूमि प्रति हजार व्यक्तियों के मान से 2400.00 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता प्रस्तावित की गई है।

3.3.1 आवासीय

सीहोर विकास योजना 2031 में सम्पूर्ण नगर हेतु वर्तमान आवासीय क्षेत्र 591.71 हेक्टेयर के अतिरिक्त 519.76 हेक्टेयर आवासीय क्षेत्र विकसित किया जाना है। इस प्रकार विकास योजना में 1179.91 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 49.15 प्रतिशत तथा भूमि उपयोगिता दर 4.91 है।

3.3.2 वाणिज्यिक


सीहोर विकास योजना 2031 में वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र 47.92 हेक्टेयर है तथा 153.38 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है। इस प्रकार विकास योजना में 213.63 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 8.90 प्रतिशत तथा भूमि उपयोगिता दर 0.89 है।


PROBABLE SITE FOR SMART CITY

SEHORE DEVELOPMENT PLAN 2031



Legend

-  Planning Area 2031
-  Village Boundary
-  SITE FOR SMART CITY
-  Water Body
-  Railway Line
-  ROAD
-  BUS STAND
-  RAILWAY STATION



सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

3.3.3 औद्योगिक

सीहोर विकास योजना 2031 में वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र 85.22 हेक्टेयर है तथा 90.72 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है इसमें से 19.06 क्षेत्र श्यामपुर मार्ग पर प्रस्तावित है तथा सीहोर-भोपाल मार्ग पर 11 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है। इस प्रकार विकास योजना में 175.94 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 7.33 प्रतिशत तथा भूमि उपयोगिता दर 0.73 है।

सीहोर विकास योजना 2011 में जमोनिया तालाब के पास प्रस्तावित क्षेत्र को तालाब के कैचमेंट क्षेत्र में आने के कारण इसका प्रस्ताव ग्राम जमोनिया तालाब में स्थित शासकीय भूमि पर स्थानांतरित किया गया है।

3.3.4 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

सीहोर-विकास योजना 2031 में वर्तमान में 136.58 हेक्टेयर क्षेत्र है तथा 118.94 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है। जिसमें से इन्दौर-भोपाल बाय-पास पर 57.77 हेक्टेयर प्रस्तावित है तथा लगभग 10 हेक्टेयर सीहोर-भोपाल मार्ग पर प्रस्तावित है। इसके अलावा शासकीय भूमि पर सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधा मान्य होगी। इस प्रकार विकास योजना में 255.52 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 10.65 प्रतिशत तथा भूमि उपयोगिता दर 1.06 है।

3.3.5 सार्वजनिक सेवायें एवं सुविधायें

सीहोर विकास योजना 2031 में कुल 12.82 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है। इस प्रकार विकास योजना में 37.63 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 1.57 प्रतिशत तथा भूमि उपयोगिता 0.16 है।

3.3.6 आमोद-प्रमोद

सीहोर विकास योजना 2031 में आमोद-प्रमोद के लिये कुल 158.14 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है जिसमें से 16.42 हेक्टेयर भूमि सीवन नदी के तट पर प्राचीन शिव मंदिर के पास नगरीय उद्यान के रूप में प्रस्तावित है। इस प्रकार विकास योजना में 347.86 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 14.49 प्रतिशत तथा भूमि उपयोगिता दर 1.45 है।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

सीहोर विकास योजना 2011 में औद्योगिक के पास प्रस्तावित क्षेत्र को जमोनिया तालाब के किनारे तथा ग्राम जमोनिया में नवीन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के समीप रोड से लगकर 60 मीटर तक का क्षेत्र आमोद-प्रमोद में प्रस्तावित किया जाये।

3.3.7 यातायात एवं परिवहन

यातायात एवं परिवहन के लिये कुल 134.48 हेक्टर भूमि प्रस्तावित है। जिसमें दो बस स्टेण्ड प्रस्तावित है। एक सीहोर-भोपाल रोड पर तथा दूसरा इन्दौर-भोपाल बायपास पर प्रस्तावित है तथा एक पिक-अप स्टेण्ड प्रस्तावित है, जो कि रेल्वे लाइन के उत्तर में प्रस्तावित है। इस प्रकार विकास योजना में 189.91 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 7.91 प्रतिशत तथा भूमि उपयोगिता दर 0.79 है।

3.3.8 विकास योजना के विशिष्ट प्रस्ताव

1. वाणिज्यिक कोरिडोर

वर्तमान में सीहोर रेल्वे स्टेशन से राजकीय राजमार्ग क्र. एस.एच.18 के लिये सीधे मार्ग उपलब्ध नहीं है इसलिये सीहोर विकास योजना में पश्चिम की ओर 36 मीटर चौड़ाई वाला रोड प्रस्तावित किया है। इस मार्ग की लम्बाई लगभग 4.5 किलोमीटर है। उक्त मार्ग के दोनों ओर लगभग 65.43 हेक्टर क्षेत्र वाणिज्यिक कोरिडोर के रूप में प्रस्तावित है। यह मार्ग रेल्वे स्टेशन से सीधा जुड़ा होने के कारण इसलिये इसके दोनों ओर वाणिज्यिक उपयोग प्रस्तावित है। साथ ही इस रोड से प्रसिद्ध गणेश मंदिर को भी एक और मार्ग से पहुँच प्राप्त हो सकेगी।

2. गणेश मंदिर

सीहोर नगर में स्थित गणेश मंदिर प्राचीन होने के कारण धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित हो गया है। अतः इसके क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास तथा यहाँ लगने वाले मेले को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र से 60 मीटर तक का क्षेत्र आमोद-प्रमोद (मेला मैदान) के रूप में प्रस्तावित है।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

3.4 निवेश इकाईयाँ

निवेश इकाई अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण सारणी क्रमांक 3-सा-3 में दिया गया है – मानचित्र क्रमांक 3.2

विकास योजना का स्वरूप स्वसक्षम एवं आत्मनिर्भर निवेश इकाईयों के रूप में रखा गया है। निवेश इकाईयों की सीमा निर्धारित करते समय जनसंख्या, क्षेत्रफल, वर्तमान सुविधायें, प्राकृतिक तथा मानचित्र में निर्मित सीमाओं को ध्यान में रखा गया है। प्रस्तावित निवेश इकाईयों को प्रमुख कार्य केन्द्र, वाणिज्यिक केन्द्र, यातायात एवं सेवा केन्द्रों से जोड़ा गया है। सम्पूर्ण निवेश क्षेत्र को तीन निवेश इकाईयों में विभक्त किया गया है। सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक निवेश इकाईवार विवरण निम्नानुसार है—

निवेश इकाई क्रमांक 1 –

इस निवेश इकाई में भोपाल-इन्दौर रेल्वे लाईन के उत्तर में स्थित निवेश क्षेत्र सीमा तक का समस्त क्षेत्र शामिल है। निवेश इकाई अन्तर्गत प्रमुख रूप से कृषि उपज मण्डी, परेड ग्राउण्ड, वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र, जमुनिया तालाब का क्षेत्र मुख्य रूप से स्थित है। इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 5515 हेक्टर है।

निवेश इकाई क्रमांक 2 –

इस निवेश इकाई में भोपाल-इन्दौर रेल्वे लाईन एवं राजकीय राजमार्ग क्रमांक 18 के मध्य की समस्त वर्तमान बसाहट, प्रस्तावित क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र शामिल किया गया है। पश्चिम में इस निवेश इकाई की सीमा निवेश क्षेत्र तक तथा पूर्व में मुरली समतल पारण तक है। इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल लगभग 2360 हेक्टर है।

निवेश इकाई क्रमांक 3 –

इस निवेश इकाई की सीमा उत्तर में इन्दौर-भोपाल राजकीय राजमार्ग क्रमांक 18 (मुरली रेल्वे समतल पारण तक) तथा इसके आगे इन्दौर-भोपाल रेल्वे

PLANNING UNIT MAP

SEHORE DEVELOPMENT PLAN 2031





Legend

- Planning Area 2031
- Planning Unit
- Village Boundary
- SNP Boundary
- Water Body
- ROAD**
- National Highway/Regional Road
- Major Road
- Minor Road/ Village Road
- Railway Line

Directorate of Town and
Country Planning, Bhopal

Map No. -
3.2



सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

लाईन के साथ-साथ निवेश क्षेत्र इस इकाई में शामिल किया गया है। इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल लगभग 7863 हेक्टर है।

निवेश इकाईवार निवेश क्षेत्र का विभाजन सारणी 3-सा-3 में दर्शित है-

सीहोर : निवेश इकाईयाँ (भूमि विभाजन)

3-सा-3

निवेश इकाई क्रमांक	प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयर में)			कृषि एवं अन्य भूमि	निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
	वर्तमान	अतिरिक्त	कुल		
1	2	3	4	5	6
1	310.53	564.62	875.15	4797.55	5672.70
2	437.88	284.76	722.64	1775.90	2498.54
3	382.98	419.23	802.21	7682.43	8484.64

3.4.1 निवेश इकाईवार भू-उपयोग

सम्पूर्ण निवेश क्षेत्र को तीन निवेश इकाईयाँ में विभक्त कर विकास योजना के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं, जिसमें प्रत्येक निवेश की वर्तमान परिस्थिति अन्य निवेश इकाईयाँ से सह-संबंध तथा वहाँ के वर्तमान भूमि उपयोग इत्यादि को ध्यान में रखा गया है। निवेश इकाई वार वर्तमान एवं प्रस्तावित भू-उपयोग का वर्गीकरण सारणी 3-सा-4 में दर्शाया गया है।

सीहोर : निवेश इकाईवार भू-उपयोग वितरण 2031

3-सा-4

क्र.	आवासीय	वाणिज्यिक	औद्योगिक	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	सार्वजनिक उपयोगिता	आमोद प्रमोद	यातायात एवं परिवहन	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	198.42	76.71	68.57	36.10	—	142.53	97.53	619.86
2	90.54	63.55	3.76	5.60	8.79	83.41	41.47	297.12
3	230.81	13.11	8.24	62.50	1.86	39.78	45.33	401.63
कुल	519.77	153.37	80.57	104.20	10.65	265.72	184.33	1318.61

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

3.5 गंदी बस्तियां

नगर गंदी बस्ती विहीन हो, जिस हेतु समन्वित परियोजना प्रस्ताव तैयार करना नितांत आवश्यक है, जिसका प्रमुख आधार नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि हो। उक्त उद्देश्य पूर्ति हेतु निम्न कार्यवाही प्रस्तावित है –

1. **बस्तियों की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण**— वर्तमान बस्तियों की संख्या का विस्तृत विवरण तैयार करना जिसके आधार पर विभिन्न पुर्नवास कार्यक्रम तैयार कर झुग्गी विहीन सीहोर का लक्ष्य प्राप्त करना।
2. **बस्तियों का पुर्नवास** – चिन्हित क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र इकाईयों का निर्माण, जिन बस्तियों में हो सकता है अथवा नये स्थल पर हो सकता है, जहां पूर्ण अधोसंरचना उपलब्ध होगी प्रस्तावित है। भूतल + 2 मंजिल ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाईयां निर्माण की योजना प्रारंभ करना, जो चिन्हित स्थानों पर होगी, यह निर्माण कार्य बस्तियों के पुर्नवास हेतु सम्पूर्ण अधोसंरचना से युक्त बिजली, सामुदायिक भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि।
3. **अधोसंरचना विकास कार्य** – वर्तमान बस्तियां जिनमें अधोसंरचना घटकों के कमी का सर्वेक्षण कर बस्तियों में यह प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
4. **सामुदायिक विकास एवं अधोसंरचना** – शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य केन्द्र एवं ट्रेनिंग सेंटर जिसके माध्यम से निर्मित अधोसंरचना की देखभाल की जा सके
5. **अवैधानिक बस्तियों का नियमितीकरण एवं गैरकानूनी अभिन्यास** – सीहोर नगर पालिका क्षेत्र में कई अवैधानिक एवं अप्राधिकृत बस्तियां निर्मित हैं, जो नगर के विभिन्न क्षेत्र में स्थित हैं। कई कारणों से जिसमें शासकीय मापदण्डों, नियमों का जटिल होना, भूमि स्वामी का भूमि को टुकड़ों में विभाजन कर विक्रय करना, नगर पालिका सिर्फ उन्हीं स्थलों पर नियमितीकरण करेगी जहां गैर कानूनी कार्य शासन द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हो जिसे शुल्क अधिरोपित कर, उक्त भूमि के भूमि उपयोग को नियमित किया जा सकेगा एवं आवश्यक अधोसंरचना का प्रावधान किया जायेगा।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

3.6 जल स्रोत संरक्षण एवं पर्यावरण उन्नयन

(अ) तालाब –

नगर स्थित जमोनिया तालाब का संरक्षण, संवर्धन किया जाकर इसके निकट के क्षेत्र का भू-दृश्यीकरण किया जाना प्रस्तावित है ताकि तालाब का क्षेत्र एक सशक्त आमोद-प्रमोद स्थल के रूप में विकसित हो सके । तालाब पर आवासीय कालोनियों के निर्माण के परिणाम स्वरूप तालाब वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है। इसके किनारे वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित तीन मीटर चौड़ी पट्टी में स्थित बसाहट को असंगत भू उपयोग मानते हुए तत्काल अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। निवेश क्षेत्र में स्थित अन्य तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र के चारों ओर 50 मीटर चौड़ी पट्टी पर वृक्षारोपण करते हुए जमुनिया एवं तालाब का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाना प्रस्तावित है।

(ब) सीवन नदी एवं इसकी शाखाएं –

सीवन नदी एवं इसकी शाखाओं के किनारे नगर वन, उद्यान, आमोद-प्रमोद स्थल तथा वृक्षारोपण के क्षेत्र विकास योजना में प्रस्तावित किए गए हैं। सीवन नदी (राजस्व रिकार्ड अनुसार) के किनारे कम से कम 30 मीटर चौड़ी तथा इसकी मुख्य शाखाओं के दोनों ओर कम से कम 15 मीटर चौड़ी पट्टी वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है।

(स) पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन –

सीवन नदी के किनारे, घाट, चरण तीर्थ, रेलवे ओव्हरब्रिज के पास नदी बंधान से लगा क्षेत्र छोटी सीवन तथा बीच का क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत लिया जाकर वृक्षारोपण, भू-दृश्यीकरण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही नगर स्थित अन्य छोटे-बड़े उद्यानों का भी उचित रख-रखाव एवं संरक्षण किया जाना आवश्यक है।

3.7 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

कार्य संपादन की विशेषताओं के आधार पर नगर में कुछ गतिविधियाँ स्थान की कमी, संकीर्णता एवं आस-पास के भूमि उपयोग से सामंजस्यता न रखते हुए भी

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

कार्यरत् है जिन्हें यातायात समस्या, पर्यावरणीय समस्या तथा आसपास के वातावरण के दृष्टिकोण से वर्तमान स्थल पर निरंतर रखना उचित नहीं होगा । इन उपयोगों को असंगत भूमि उपयोग की श्रेणी में लिया जाकर अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है ।

उक्त के साथ कुछ गतिविधियाँ ऐसी पाई गई हैं जो आस-पास की आवश्यकता की पूर्ति के दृष्टिकोण से आवश्यक क्षमता के साथ कार्यरत् नहीं है तथा उनका वर्तमान स्थल पर इनकी क्षमता बढ़ाना अथवा विस्तार करना संभव नहीं है । अतः ऐसे भू-उपयोगों को अकार्यक्षम भूमि उपयोग की श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाकर भविष्य में अन्य स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक होगा । नगर स्थित असंगत एवं अकार्यक्षम की सूची सारणी 3-सा-5 में दी गई है :-

सीहोर : असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

3-सा-5

क्रमांक	भूमि उपयोग	वर्तमान स्थल	स्थानांतरण का कारण/समस्या
1	2	3	4
(अ)	असंगत भूमि उपयोग		
1.	आवासीय	ब्राम्हाणपुरा, बकरी पुल से बड़ियाखेड़ी, सीवन नदी किनारे की आबादी	बाढ़ प्रभावित क्षेत्र
2.	घास बाजार	नगर में यत्र-तत्र	यातायात समस्या
3.	सब्जी मण्डी	नमक चौराहा	यातायात समस्या
4.	कबाड़ी बाजार	मछली बाजार, लाल मस्जिद के पास	यातायात समस्या
5.	मांस बाजार	मछली पुल मार्ग	अपर्याप्त स्थल एवं पर्यावरणीय समस्या
6.	मार्ग किनारे की गुमठियाँ	वीर सावरकर मार्ग गंज, सीहोर छविगृह मार्ग	यातायात समस्या
7.	अग्रेषण अभिकरण	नगर में यत्र-तत्र	यातायात समस्या
8.	बोन फेक्ट्री	मोमिनीपुल के पास	पर्यावरणीय समस्या
9.	ईट भट्टे	सीवन नदी किनारे	जल प्रदूषण एवं भूमि कटाव

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

क्रमांक	भूमि उपयोग	वर्तमान स्थल	स्थानांतरण का कारण / समस्या
1	2	3	4
		बड़ियाखेड़ी एवं पौधशाला के पास	
10.	महात्मा गांधी महाविद्यालय	भोपाल मार्ग	यातायात समस्या
11.	महाराज जनक महाविद्यालय	नगर में	यातायात समस्या
12.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद महाविद्यालय	इंग्लिशपुरा	यातायात समस्या
13.	यूनिवर्सल महाविद्यालय	जिला चिकित्सालय के सामने	यातायात समस्या
14.	यांत्रिकी महाविद्यालय	बस स्टैण्ड के सामने	यातायात समस्या
(ब)	अकार्यक्षम भूमि उपयोग		
1.	जिला कार्यालय	नगर मध्य में	यातायात समस्या एवं स्थान की कमी
2.	नगर पालिका कार्यालय	जिला चिकित्सालय के सामने	यातायात समस्या एवं स्थान की कमी
3.	तहसील कार्यालय	जिला कार्यालय परिसर	यातायात समस्या एवं स्थान की कमी
4.	जिला चिकित्सालय	नगर पालिका के सामने	यातायात समस्या एवं स्थान की कमी
5.	टैगोर उच्च. माध्य. शाला	तहसील चौराहा	स्थानाभाव
6.	महारानी लक्ष्मीबाई उ.मा. विद्यालय	तहसील चौराहा	स्थानाभाव
7.	शा. कस्तूरबा कन्या उ.मा. विद्यालय	गंज के पीछे	स्थानाभाव
8.	माडल टिनी टाट्स उ.मा. विद्यालय	सराय छावनी	स्थानाभाव
9.	ब्राइट कैरियर उ.मा. विद्यालय	मण्डी मार्ग पर	स्थानाभाव
10.	बस स्टैण्ड	भोपाल मार्ग	स्थानाभाव

स्रोत :- नगर तथा ग्राम निवेश के सर्वेक्षण पर आधारित ।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

3.7.1 विकास योजना 2011 के प्रस्तावित मार्गों में अवरोध

सीहोर विकास योजना 2011 में प्रस्तावित मार्गों में से कुछ मार्गों में विसंगतियाँ हैं। जिनके कारण इनका विकास नहीं हो सका है। उन मार्गों की जानकारी निम्नानुसार है— (मानचित्र क्रमांक 3.3)।


सीहोर— प्रस्तावित मार्गों में अवरोध

3—सा—6


स. क.	ग्राम	मार्ग का नाम		कहाँ से	कहाँ तक	मार्ग की चौड़ाई	मार्ग में रुकावट का कारण
1	2	3		4	5	6	7
1	जकोनिया	एम. आर.1	45—2	पी—41	पी—43	45.00	तालाब
2	बिजोरी	एम. आर.1	45—2	पी—45	पी—46	45.00	सीहोर जेल
3	मुरली	एम. आर.1	24—6	पी—31	पी—34	24.00	हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी
4	शेरपुर	एम. आर.1	24—2	पी—19	पी—23	24.00	कॉलानी (ड्रीम सिटी)
5	मुरली	एम. आर.1	24—3	पी—18	पी—24	24.00	कॉलोनी
6	छावनी	एम. आर. 10	30—1	पी—15	पी—25	30.00	सरस्वती विद्या मंदिर
7	मुरली	एम. आर.5	30—3	पी—34	पी—35	30.00	कालोनी
8	कस्बा सीहोर	एम. आर.5	24—11	पी—48	पी—50	24.00	सेंटमेरी हाई स्कूल
9	कस्बा सीहोर	एम. आर.5	24—10	पी—49	पी—52	24.00	पुलिस लाईन
10	मुरली	एम. आर.5	24—5	पी—23	पी—26	24.00	कॉलोनी
11	मुरली	एम. आर.6	30—2	पी—27	पी—28	30.00	गल्लामण्डी

OBSTACLE IN ROADS NETWORK OF SEHORE DEVELOPMENT PLAN 2011

SEHORE DEVELOPMENT PLAN 2031



Legend

-  Planning Area 2031
-  SNP Boundary
-  Village Boundary
-  Water Body
-  Railway Line
-  EXISTING ROAD
-  PROPOSED ROAD
-  OBSTACLE IN ROADS

OBSTACLE IN ROADS

TO UJJAIN

TO SHYAMPUR

TO BHOPAL

TO INDORE

TO ICHHAWAR

To BILKISGANJ

SEMALI KHURD

JAMONYA TALAB

THUNAKHURD

THUNA KALAN

BIJAURA

BIJAURI

AWANTIPURA

GOPALPURA

SHIVPURI

SHAHPUR KODIYA

MUGISPUR

KASHBA SEHORE

SARANGA KHEDI

ALAHADA KHEDI

BADIYAKHEDI

CHANDERI

BHAGWANPURA

GUDBHELA

HASNABAD

JAHANGIRPURA

KALAPHAD

CHAWANI SEHORE

SHERPUR

ABDULLAPUR

PACHAMA

LASUDLYA PARIHAR

TAKIPUR

1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

11



सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

3.7.2 सीहोर विकास योजना 2011 के प्रस्तावित भूमि उपयोग के विकास में विचलन

सीहोर विकास योजना 2011 में प्रस्तावित भूमि उपयोग में प्रस्तावित भूमि उपयोग की जगह अन्य उपयोग का विकास हो गया है (मानचित्र क्रमांक 3.4) ।

सीहोर : विकास योजना 2011 के प्रस्तावित भूमि उपयोग में विचलन

3-सा-7

स.क्र.	ग्राम	भूमि उपयोग	स्थल पर उपयोग
1	2	3	4
1	मुरली	प्रस्तावित पी एस पी	कॉलोनी
2	मुरली	प्रस्तावित वाणिज्यिक	बालाजीपुरम
3	शेरपुर	प्रस्तावित वाणिज्यिक	कॉलोनी / स्कूल
4	छावनी	प्रस्तावित पी एस पी	कॉलोनी
5	कस्बा सीहोर	प्रस्तावित वाणिज्यिक	कॉलोनी
6	कस्बा सीहोर	प्रस्तावित पी यू एफ	कॉलोनी
7	कस्बा सीहोर	वर्तमान उद्यान	कॉलोनी
8	कस्बा सीहोर	प्रस्तावित आवासीय	एल टी डी
9	कस्बा सीहोर	वर्तमान आवासीय	खुला क्षेत्र
10	कस्बा सीहोर	वर्तमान आवासीय	खुला क्षेत्र
11	छावनी	वर्तमान आवासीय	कब्रिस्तान
12	कस्बा सीहोर	कृषि	डालडा मील
13	छावनी	प्रस्तावित नगर उद्यान	कॉलोनी

3.8 सामाजिक एवं सांस्कृतिक

इन गतिविधियों हेतु नगर में टैगोर भवन एवं गीता भवन सभागृह स्थित है जहाँ विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। यहाँ विभिन्न समाजों के सांस्कृतिक भवन भी उपलब्ध हैं। कुछ अधिसूचित गंदी बस्ती क्षेत्रों में भी सभा भवन है। जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु स्थल/भवन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। दशहरा मैदान में दशहरा मेला एवं अन्य मेले आयोजित होते हैं। दशहरा मैदान में ऐतिहासिक चमनसिंह की छत्री भी स्थित है। उक्त के अलावा नगर में 2 क्लब भी हैं, जहाँ आंतरिक एवं बाह्य खेलों की व्यवस्था है। नगर में धूमधाम से मेलों का आयोजन किया जाता है :-


VIOLETION IN LANDUSE MAP OF SEHORE DEVELOPMENT PLAN 2011

SEHORE DEVELOPMENT PLAN 2031



Legend

- VIOLATION IN LANDUSE
- ▭ Planning Area 2031
- ▭ SNP Boundary
- ▭ Village Boundary
- ▭ Water Body
- ▭ Railway Line
- ▭ EXISTING ROAD
- ▭ PROPOSED ROAD



सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

क्र.	मेला	दिनों तक	स्थान
1	2	3	4
1.	गणेश मंदिर मेला	3	गणेश मंदिर
2.	नवरात्रि मेला	9	दशहरा मैदान
3.	दशहरा मेला	1	दशहरा मैदान
4.	दूल्हा बादशाह उर्स	3	मजार
5.	पचामा प्लांट के सामने उर्स	3	मजार

3.9 वाणिज्यिक विकास हेतु एफ.ए.आर.

विकास योजना में प्रस्तावित नवीन क्षेत्रों में जब तक आवासीय बसाहट नहीं हो जाती तब तक वहां वाणिज्यिक गतिविधियों की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। वास्तविकता यह है कि जब तक क्षेत्र में आवासीय विकास नहीं हो जाता तब तक उस विकसित क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियां नहीं होने के कारण नवीन आवासीय मकानों में ही वाणिज्यिक गतिविधियां अनियोजित रूप से संचालित की जाने लगती है। अतः वर्तमान आवासीय उपयोग में सुविधाजनक दुकानों, स्थानीय दुकानें 1:0.60 एफ.ए.आर. के साथ अनुज्ञेय किए जाने से नवीन आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास हो सकेगा ।

3.10 क्षेत्रीय मार्गों पर नियंत्रण

सीहोर नगर मे बायपास मार्ग के दोनों ओर 75-75 मीटर भूमि छोड़कर 500 मीटर की गहराई तक तथा अन्य क्षेत्रीय मार्गों पर मार्गों पर 300 मीटर की गहराई तक निम्न गतिविधियां मान्य की जा सकती है :-

1. ईंधन भराव केन्द्र / सर्विस सेन्टर
2. मोटल
3. रिसोर्ट
4. होटल / टूरिस्ट लॉज / रेस्ट हाउस
5. बस स्टैण्ड / पिकअप स्टेशन / टैक्सी स्टैण्ड
6. ढाबा / रेस्टोरेंट
7. पुलिस स्टेशन / पुलिस चौकी
8. नाका / धर्मकांटा / वेबिंग ब्रिज

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

9. भवन सामग्री स्थल
10. कोयला भंडारण
11. दूर संचार केन्द्र / एस.टी.डी.पी.सी.ओ. / साईबर कैफे
12. मल्टीप्लेक्स / सिनेमा
13. स्वास्थ्य केन्द्र / क्लीनिक
14. यात्रियों के लिए अधोसंरचना सुविधा / एम्यूजमेंट पार्क
15. शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय
16. भौतिक अधोसंरचना सुविधा जैसे- जलमल निकास, जल प्रदाय, विद्युत व्यवस्था, मार्ग इत्यादि ।
17. बैंक / ए.टी.एम. / पोस्ट ऑफिस
18. वाणिज्यिक मॉल
19. ट्रक टर्मिनल / कंटेनर डिपो / यातायात नगर / मेकेनिक नगर / रिपेयर / सर्विस सेन्टर
20. प्रेस काम्पलेक्स
21. धर्मशाला
22. पार्किंग
23. अग्निशमन केन्द्र
24. सूचना एवं प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर इकाईयां

टीप- विकास नियमन अध्याय 4 में निर्धारित है।

3.11 नगरीय अधोसंरचना

3.11.1 जल आपूर्ति

सीहोर नगर की वर्तमान जल आपूर्ति व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। किन्तु भावी जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अतिरिक्त जल की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 2.00 लाख जनसंख्या का जल आपूर्ति हेतु कोलार जलाशय से जल प्रदाय की द्वितीय चरण की परियोजना तैयार की है जिसके क्रियान्वयन से नगर की भावी जनसंख्या की जल पूर्ति की जा सकेगी। अतः इस योजना का शीघ्र क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

सीहोर नगर में जल आपूर्ति हेतु पार्वती नदी व जमुनिया टैंक मुख्य स्रोत हैं। कहारी स्थित स्रोत की क्षमता 80 लाख लीटर पानी प्रतिदिन की है परन्तु पानी की कमी के

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

कारण यहां से केवल 50 लाख लीटर पानी प्रतिदिन ही प्राप्त हो पाता है। जमुनिया टैंक से 20 लाख लीटर पानी प्रतिदिन लिया जा रहा है। एक अन्य भूजल स्रोत से 10 लाख लीटर पानी प्रतिदिन लिया जा रहा है। नगर के 369 हैण्डपम्प तथा 96 कुएं भी नगर पालिका के जल आपूर्ति के स्रोत हैं। ग्रीष्म ऋतु में अधिकांश भूजल स्रोत शुष्क हो जाते हैं। नगर की जलापूर्ति स्रोतों का विवरण सारणी 3-सा-8 में दिया गया है।

नगर की जलापूर्ति स्रोतों का विवरण

3-सा-8

क्रमांक	जलापूर्ति स्रोत	दैनिक पानी की मात्रा लाख लीटर में	प्रतिशत अंश
1	पार्वती नदी : कहारी	50.00	62.5 :
2	जमुनिया ग्राम में जमुनिया टैंक	20.00	25.0 :
3	हैण्डपम्प तथा कुएं व ट्यूब वेल	10.00	12.5 :
कुल		80.0	100.0 :

स्रोत – (सी.डी.पी.) सीहोर

3.11.2 जल-मल निकास

नगर में वर्तमान में जल-मल निकास की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। विकास योजना में वर्तमान आबादी वाले क्षेत्रों के साथ-साथ भविष्य में विकसित किये जाने वाले क्षेत्रों हेतु समग्र रूप से संगठित जल-मल निकास व्यवस्था की योजना तैयार कर शीघ्र क्रियान्वयन करना प्रस्तावित है। जलमल निकास की प्रक्रिया में सीवन नदी एवं नालों का जल प्रदूषित न हो इसका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। अतः जल-मल उपचार संयंत्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तथा उपचारित जल का उपयोग कृषि उपयोग तथा वृक्षारोपण में सिंचाई के उपयोग में लाया जावेगा ।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

सीहोर नगर, चम्बल नदी घाटी में स्थित है। नगर के मध्य से बहने वाली सीवन नदी नगर से एकत्र संपूर्ण वर्षा जल को पार्वती नदी में प्रवाहित करती है जो अन्ततः चम्बल नदी में मिल जाता है। नगर की प्राकृतिक प्रवणता नदी की धारा के अनुकूल है अतः नगर से वर्षा जल निकासी सहज एवं निर्बाध है। नगर के विकसित क्षेत्र के दक्षिण में स्थित सीवन एवं उसकी सहायक नदियां नगर से वर्षा जल निकासी का प्राकृतिक तंत्र हैं। नगर में औसत वार्षिक वर्षा 1000 मिमी है। नगर के निर्मित क्षेत्र में सुनियोजित वर्षा जल निकासी तंत्र नहीं है। नगर में लगभग 50 किमी लम्बे मार्गों पर खुली नालियां हैं जिनमें बहता अपशिष्ट जल नगर के पर्यावरण को निरंतर प्रदूषित कर रहा है।

वर्षा जल निकास की उपयुक्त व्यवस्था का भी नगर में आभाव है। संकीर्ण आबादी क्षेत्रों में वर्षा जल का जमाव हो जाता है, अतः वर्षा जल प्रवाह की उपयुक्त व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। नई कालोनियों में भी वर्षा जल निकास की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। अतः इसे मुख्य जल निकास प्रणाली से जोड़ना प्रस्तावित है। मण्डी के निकट स्थित रेलवे अण्डरपास मार्ग पर वर्षा जल निकासी की स्थाई व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

3.11.3 ठोस अवशिष्ट प्रबंधन

वर्तमान में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। नगर पालिका द्वारा इंदिरा नगर में 2.5 हेक्टर भूमि पर ठोस अवशिष्ट का संग्रहण एवं निस्तारण किया जाता है। यह स्थल भावी आवश्यकता के लिये पर्याप्त एवं अनुकूल नहीं है। अतः उत्तर-पश्चिम में जल-मल उपचार संयंत्र गतिविधियों हेतु प्रस्तावित भूमि में अथवा उसके निकट कृषि भूमि का चयन अतिरिक्त ट्रेचिंग ग्राउण्ड हेतु स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय निकाय के परामर्श से सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। ठोस अवशिष्ट के मुख्य स्रोत घरेलू, व्यावसायिक, व्यापारिक, अस्पताल एवं नर्सिंग होम, फल एवं सब्जी बाजार, औद्योगिक क्षेत्र आदि होते हैं। ठोस अवशिष्ट की मात्रा का आंकलन नगर में निवास करने वाली जनसंख्या, व्यावसायिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक स्थापनाएँ आदि के साथ-साथ नगर के आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप के आधार पर निर्धारित करना आवश्यक होगा। औसतन विभिन्न स्रोतों के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निकलने वाले कचरे की मात्रा लगभग 800 ग्राम के आधार पर आंकलन किया जा सकता है।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

प्रबंध तंत्र/प्रणाली के अंतर्गत पुर्नचक्रीकरण प्रणाली अपनाई जा सकती है। जो स्थानीय संस्थाओं के प्रबंध में होने वाले व्यय को पूरा कर, आय का स्रोत एवं भविष्य में एक उपलब्धि सिद्ध होगी। इससे छोटे उद्योगों की स्थापनाओं की संभावना सुदृढ़ होगी, साथ ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ठोस अवशिष्ट का उपयोग ऊर्जा एवं जैविक खाद उत्पादों में किया जा सकता है, जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कृषि कार्य के लिये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे।

3.11.4 विद्युत प्रदाय

वर्तमान में नगर में 5 उपकेन्द्रों द्वारा विद्युत वितरण किया जाता है। अतः विद्युत प्रदाय व्यवस्था संतोषजनक कही जा सकती है, किन्तु वोल्टेज में कम ज्यादा दबाव के कारण समस्या उत्पन्न होती है। अतः उक्त समस्या के स्थाई समाधान के साथ-साथ भावी जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विद्युत प्रदाय क्षमता में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र वितरण कम्पनी, विकास योजना में प्रस्तावित प्रमुख मार्ग संरचना को दृष्टिगत रखते हुए तथा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक आवश्यकता हेतु नगर की आवश्यकता के अनुरूप विद्युत वितरण संबंधी व्यवस्था करेगी। अनुमान है कि इस हेतु निम्न विद्युत दबाव की 50 किलोमीटर 11 के.वी. की 25 किलोमीटर तथा 33 के.वी. की 5 किलोमीटर लम्बी लाईन के विस्तार की आवश्यकता होगी। इस हेतु अतिरिक्त विद्युत उपकेन्द्रों हेतु विकास योजना में भूमि आरक्षित की गई है।

3.11.5 श्मशान एवं कब्रिस्तान

वर्तमान में उपलब्ध श्मशान एवं कब्रिस्तान के अलावा नवीन स्थल का चयन, आवश्यकता के अनुरूप कृषि क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के अलावा जो श्मशान/कब्रिस्तान आबादी क्षेत्र के मध्य अथवा निकट होते जायेगे उन्हें रहवासियों की मांग होने पर अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सकेगा। उक्त हेतु स्थल का निर्धारण स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय निकाय के परामर्श से सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

3.11.6 धोबीघाट

इस कार्य हेतु नगर की वर्तमान व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। धोबीघाट हेतु स्थान विशेष के नियत न होने से सीवन नदी एवं लोटिया नाले का लगभग संपूर्ण

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

क्षेत्रों का जल प्रदूषित होता है। अपितु तीन स्थलों पर धोबी कार्य अधिक मात्रा में होता है। अतः लोक स्वास्थ्य एवं अन्य पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उचित स्थानों पर धोबीघाट विकसित किया जाना तथा अन्य स्थलों में यह कार्य प्रतिबंधित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु स्थल का चयन स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय संस्था के परामर्श से किया जावेगा।

3.11.7 अग्निशमन सेवा

नगर पालिका परिषद के वर्तमान अग्निशमन केन्द्र को अधिक सशक्त, आधुनिक एवं क्रियाशील बनाना प्रस्तावित है। इस हेतु अतिरिक्त अग्निशमन वाहनों एवं आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था किया जाना भी प्रस्तावित है ताकि भावी नगर की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। अतः इसे वर्तमान नगर पालिका परिषद स्टोर के निकट स्थापित किया जाना आवश्यक है जो आबादी क्षेत्र के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकता की भी पूर्ति करेगा। इस हेतु नगर के समस्त वर्तमान संकीर्ण मार्गों को अग्निशमन वाहन के सुगम पहुँच हेतु चौड़ा किया जाना भी आवश्यक है।

3.11.8 डेयरी एवं पशुपालन

वर्तमान में यह गतिविधियाँ नगर में यत्र-तत्र फैली हुई हैं जिसके कारण न केवल नगर का पर्यावरण प्रभावित होता है बल्कि जानवरों के नगर में यत्र-तत्र विचरण से सामान्य यातायात भी प्रभावित होता है। अतः वर्तमान एवं भावी आबादी क्षेत्र में डेयरी एवं पशु पालन की वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाकर नगर के पश्चिम में सीवन नदी के किनारे की कृषि भूमि पर यह गतिविधि संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इसके स्थल का निर्धारण सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय संस्था के परामर्श से किया जावेगा।

3.11.9 तरल पेट्रोलियम गैस

वर्तमान एवं प्रस्तावित आबादी में स्थित तरल पेट्रोलियम गोदामों को कृषि क्षेत्र में स्थानांतरित करना प्रस्तावित है। वर्ष 2011 तक की गैस कनेक्शनों की आवश्यकता के मान से निर्धारित नियमनों के अनुरूप एल.पी.जी. सुविधाओं का निर्धारण आवश्यक होगा। कृषि उपयोग में एल.पी.जी. गोदाम स्थापना नियमानुसार स्वीकार्य होंगे।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

3.11.10 अन्य सेवाएँ

डाक-तार घर, दूरभाष केन्द्र, आरक्षी/उप-आरक्षी केन्द्र, विद्युत उपकेन्द्र, जल वितरण केन्द्र इत्यादि की क्षमता एवं संख्या में भावी जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वृद्धि करनी होगी। इस हेतु विकास योजना में उपयुक्त भूमि प्रस्तावित की गई है।

3.12 प्रस्तावित यातायात संरचना

सक्षम परिवहन संरचना नगर की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इन्दौर-भोपाल राजकीय राजमार्ग 18 एवं सीहोर-ब्यावरा मार्ग नगर के मध्य से गुजरने के कारण, यहाँ अधिकतम क्षेत्रीय यातायात, सड़क मार्ग द्वारा होता है। क्षेत्रीय सड़क यातायात की बहुलता के कारण उक्त मार्गों पर क्षमता से अधिक दबाव पड़ता है तथा यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है। अतः क्षेत्रीय मार्ग संरचना में सुधार आवश्यक है।

सीहोर नगर की यातायात संरचना निम्न अवधारणा पर आधारित है :-

1. विकसित क्षेत्र के मार्गों की निरंतरता में बाह्य क्षेत्रों को जोड़ने वाली मार्ग संरचना का विकास ।
2. क्षेत्रीय यातायात को परिवर्तित करने वाले मार्गों को आपस में जोड़ना ।
3. भोपाल इन्दौर-ब्यावरा की ओर से होने वाले यातायात को नगर के बाह्य क्षेत्र से ही परिवर्तन करना ।
4. प्रमुख आवासीय क्षेत्रों का रेलवे स्टेशन मार्गों द्वारा सीधे संपर्क स्थापित करना ।
5. कार्यात्मक दृष्टि से मार्गों का श्रेणीबद्ध किया विकास ।
6. नगरीय एवं क्षेत्रीय यातायात का पृथक्करण ।
7. प्रमुख ग्रामीण क्षेत्रों के मार्गों का नगरीय मार्गों से संपर्क स्थापित करना ।
8. यातायात समस्याएँ, मार्ग अवरोध एवं अंधे मोड़ संरचना का प्रस्ताव ।
9. मिश्रित वाहन यातायात हेतु उपयुक्त मार्ग संरचना का प्रस्ताव ।
10. मध्य क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु मार्ग संरचना ।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

3.12.1 यातायात की वर्तमान स्थिति

नगर का भौतिक विकास मूलतः परिवहन संरचना पर निर्भर करता है। वर्तमान परिवहन व्यवस्था का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वाहनों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है तथा कार, टेम्पो, आटो रिक्शा, बसें आदि नगर यातायात का प्रमुख साधन हैं।

वर्ष 2003 से 2013 के मध्य वाहनों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि हुई है। तीव्रगति एवं मंदगति वाहनों द्वारा नगर मार्गों का मिश्रित उपयोग करना सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात के लिये गंभीर समस्या है। अतः यातायात प्रबंधन के लिये उपयुक्त नीति तैयार करने की आवश्यकता है। यातायात के साधन के रूप में साईकिल, कार, स्कूटर मोटर साईकिल मोपेड आदि हैं। नगर की वर्तमान यातायात समस्या के सुधार हेतु निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

1. बस स्टैण्ड को सुविधाजनक स्थल पर स्थानांतरित करना ।
2. कार्य केन्द्रों के समीप पार्किंग का प्रावधान ।
3. कार्य केन्द्रों एवं आबादी के क्षेत्र के बीच संपर्क मार्गों का निर्माण का परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करना ।
4. मार्ग संगमों का सुधार ।
5. मार्गों का उन्नयन ।
6. रेलवे ओव्हर ब्रिज एवं समतल पारण ।

3.12.2 वाहन वृद्धि की प्रवृत्ति –

निजी साधनों के अनुसार विभाजन की भविष्य की स्थिति हेतु वर्तमान अभिवृद्धि दर के आधार पर भविष्य का वाहन स्वामित्व स्तर आंकलित किया गया है। सीहोर जिले में वर्ष 2005 से 2011 की अवधि में हुई वाहन विकास प्रवृत्ति सारणी 3-सा-9 में दी गई है।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)


सीहोर : जिले में वाहन वृद्धि की प्रवृत्ति

3-सा-9


वर्ष	स्कूटर/ मोटर सायकिल मोपेड	बस	मालवाहन	टैक्सी एवं तिपहिया वाहन	कार	अन्य ट्रेक्टर, जीप, ट्राली	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
2005	4837	—	10	11	36	1046	5940
2006	7565	—	35	42	37	869	8546
2007	6994	—	51	38	37	669	7789
2008	8040	1	45	9	71	946	9112
2009	8469	7	41	11	72	957	9557
2010	10697	13	87	9	161	1511	12478
2011	11260	14	104	12	96	1111	12597
2012	8678	16	84	7	119	1114	10018
2013	11080	12	150	13	257	991	12503

स्रोत – जिला परिवहन अधिकारी, सीहोर

वर्ष 2011 में सीहोर में कुल पंजीकृत वाहन 12503 थे, जिनमें से 88.61 प्रतिशत दुपहिया वाहन, 2.5 प्रतिशत कार, 0.10 प्रतिशत ऑटो रिक्शा, 0.09 प्रतिशत बस एवं मिनी बस, 1.19 प्रतिशत माल वाहन एवं 7.92 प्रतिशत अन्य वाहन हैं।



सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)



सारणी 3-सा-10 में वर्ष 2005 से 2013 में हुई दुर्घटनाओं का विवरण दिया गया है।

सीहोर : वाहन दुर्घटनाओं का विवरण

3-सा-10

वर्ष	कार/जीप	दुपहिया वाहन	आटो रिक्शा	मिनी बस, ट्रेक्टर, जीप, ट्रेलर	बस, ट्रक	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
2005	39	59	3	24	42	8	175
2006	52	55	2	19	28	5	161
2007	38	64	7	26	39	1	175
2008	57	72	2	20	26	2	179
2009	45	61	8	22	28	1	165
2010	35	68	2	21	32	5	163
2011	59	90	6	14	25	5	199
2012	59	60	3	19	16	3	160
2013	42	76	4	7	18	2	149

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

स्त्रोत : पुलिस अधिक्षक कार्यालय सीहोर

3.12.3 सार्वजनिक परिवहन

वर्तमान में सार्वजनिक परिवहन के रूप में आटो रिक्शा संचालित है, जो कि कार्य केन्द्रों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व कालोनियों तक यात्रियों को पहुँचाते हैं। वर्तमान में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के अभाव में नागरिकों को अपने कार्य केन्द्र तथा अन्य गंतव्य स्थानों तक पहुँचने हेतु टेम्पों व आटो रिक्शा पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः नगर में सार्वजनिक परिवहन (बस) प्रणाली की आवश्यकता है।

3.12.4 यातायात एवं परिवहन

परिवहन अधोसंरचना नगरीय सुविधाओं का अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंग है। इस क्षेत्र के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य सीहोर नगर के वर्तमान परिदृश्य में परिवहन सुविधा का विश्लेषण एवं उसकी भूमिका को जानना है। सीहोर नगर, राजकीय राजमार्ग 18 जो कि नगर के दक्षिण भाग से गुजरजा जाता है, के माध्यम से भोपाल व इन्दौर नगरों से जुड़ा है। सीहोर नगर भोपाल व उज्जैन नगरों से रेल लाइन द्वारा भी जुड़ा है। नगर में परिवहन सड़क मार्ग पर निर्भर है जबकि क्षेत्रीय एवं अंतर्नगरीय पारगम्यता के लिये सड़क व रेल दोनों मार्ग उपलब्ध हैं। चूंकि नगर में परिवहन, सड़क मार्ग पर ही निर्भर है अतः इस क्षेत्र के पक्षों का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है:

- सड़क तंत्र एवं इसकी विशिष्टताएं
- यात्री एवं माल परिवहन
- वाहन स्थानक
- प्रकाश व्यवस्था

3.13 सड़क तंत्र एवं इसकी विशिष्टताएं

सीहोर नगर राजकीय राजमार्ग 18 – भोपाल–इन्दौर मार्ग, इछावर मार्ग, बिल्किसगंज मार्ग एवं श्यामपुर मार्ग के साथ विकसित हुआ है। कुछ ग्रामीण मार्गों पर भी छुटपुट विकास देखा जा सकता है। नगर में सड़क तंत्र की कुल लम्बाई 73.23 किमी है जिसमें राजकीय राजमार्ग 18 – भोपाल–इन्दौर मार्ग, इछावर मार्ग, बिल्किसगंज मार्ग एवं शामपुर मार्ग, झागरिया मार्ग आदि; नगर के मुख्य मार्ग जैसे मध्य क्षेत्र भाग के मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग सम्मिलित हैं। किसी भी मार्ग पर विभाजक

EXISTING TRANSPORT NETWORK

SEHORE DEVELOPMENT PLAN 2031



Legend



BUS STAND

RAILWAY STATION



Planning Area 2031




SNP Boundary



Village Boundary



Water Body



Railway Line

ROAD





National Highway/Regional Road



Major Road



Minor Road/ Village Road



सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

एवं पैदल पथ नहीं हैं (मानचित्र क्रमांक 3.5)। सड़क तंत्र एवं इसकी विशिष्टताओं का विवरण सारणी 3-सा-11 अनुसार है।

सड़क तंत्र विशिष्टताएं

3-सा-11

क्रमांक	मार्गों का प्रकार	लम्बाई किलोमीटर में
1	2	3
1	क्षेत्रीय मार्ग	17.47
2	मुख्य मार्ग	39.96
3	अन्य मुख्य मार्ग	9.62
4	ग्रामीण मार्ग	6.18
5	कुल लम्बाई	73.23

स्रोत: सी.डी.पी.सीहोर

3.13.1. 2011 विकास योजना में प्रस्तावित मार्गों की समीक्षा

क्रियात्मक महत्व, दीर्घकालीन यातायात संरचना, यातायात के प्रकार एवं उनकी विशेषता आदि के आधार पर से मार्गों की चौड़ाई निर्धारित की जाती है। सारणी-3-सा-12 में नगर के विकास हेतु सीहोर विकास योजना 2011 में प्रस्तावित मार्गों की जानकारी दर्शायी गई है (मानचित्र क्रमांक 3.6) एवं सारणी 3-सा-13 में विभिन्न वर्तमान क्षेत्रीय मार्गों की वर्तमान एवं प्रस्तावित चौड़ाई दर्शाई गई है :-

2011 में प्रस्तावित मार्गों की जानकारी

3-सा-12


24.00 मीटर रोड मानचित्र में दर्शित अनुसार	चौड़ाई मीटर में	लम्बाई मीटर में
1	2	3
P-22 to P-9	24.00	1189.82
P-23 to P-3	24.00	1664.68
P-24 to P-7	24.00	1330.16
P-20 to P-17	24.00	1789.23
P-23 to P-26	24.00	2598.81
P-39 to P-31	24.00	1187.20


SEHORE DEVELOPMENT PLAN 2011 ROADS NETWORK DETAIL

SEHORE DEVELOPMENT PLAN 2031



Legend

-  Planning Area 2031
-  SNP Boundary
-  Village Boundary
-  Water Body
-  Railway Line
-  EXISTING ROAD
-  PROPOSED ROAD



सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

24.00 मीटर रोड मानचित्र में दर्शित अनुसार	चौड़ाई मीटर में	लम्बाई मीटर में
1	2	3
P-38 to P-29	24.00	1067.39
P-44 to P-53	24.00	521.52
P-45 to P-51	24.00	677.86
P-46 to P-52	24.00	899.61
P-50 to P-48	24.00	1087.62
30.00 मीटर रोड	चौड़ाई	लम्बाई
P-25 to P-4	30.00	1594.28
P-27 to P-30	30.00	2674.81
P-33 to P-36	30.00	1883.56
P-40 to P-37	30.00	1762.08
P-43 to P-28	30.00	1803.72
36.00 मीटर रोड	चौड़ाई	लम्बाई
P-10 to P-5	36.00	2806.10
P-11 to P-16	36.00	3199.58
P-21 to P-23	36.00	976.67
45.00 मीटर रोड	चौड़ाई	लम्बाई
P-41 to P-42	45.00	1690.38
P-32 to P-47	45.00	5808.85
60.00 मीटर रोड	चौड़ाई	लम्बाई
P-1 to P-21	60.00	3799.19
P-21 to P-2	24.00	1320.85
60.00 मीटर बाय-पास	चौड़ाई	लम्बाई
	60.00	16092.22

सीहोर : मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

3-सा-13

क्र.	मार्ग का नाम	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर)	उद्देश्य
1	2	3	4
1.	क्षेत्रीय मार्ग/बायपास मार्ग		
	(अ) बायपास मार्ग	60	क्षेत्रीय सीधा यातायात
	(ब) इन्दौर-भोपाल मार्ग (राजकीय राजमार्ग क्र 18)		

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

क्र.	मार्ग का नाम	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर)	उद्देश्य
1	2	3	4
	(i) इच्छावर तिराहे से न्यायालय तिराहे तक	36	नगर/क्षेत्रीय यातायात
	(ii) मार्ग का शेष भाग	60	क्षेत्रीय यातायात
	(स) इच्छावर मार्ग	36	क्षेत्रीय यातायात
	(द) बिलकीस गंज मार्ग (वर्तमान बाय-पास से आगे)	36	क्षेत्रीय यातायात
	(इ) श्यामपुर मार्ग (वर्तमान आबादी क्षेत्र से आगे)	36	क्षेत्रीय यातायात
	(फ) अन्य ग्रामीण क्षेत्रीय मार्ग (वर्तमान आबादी क्षेत्र से आगे)	30	क्षेत्रीय यातायात
2.	मुख्य मार्ग		
	क्रमांक -1	45	क्षेत्रीय-सह-नगर यातायात
	क्रमांक -2	45	नगर यातायात
	क्रमांक -3	30	नगर यातायात
	क्रमांक -4	30	नगर यातायात
	क्रमांक -5	30	नगर यातायात
	क्रमांक -6	30	नगर यातायात
	क्रमांक -7	24 / 36	नगर यातायात
	क्रमांक -8	36	नगर यातायात
	क्रमांक -9	36	नगर यातायात
	क्रमांक -10	24 / 30	नगर यातायात
3.	खण्ड स्तरीय मार्ग	24	खण्ड स्तरीय यातायात
4.	उप खण्ड स्तरीय मार्ग	12 / 18	उप खण्ड स्तरीय यातायात
5.	स्थानीय मार्ग	9 / 12	स्थानीय यातायात
6.	साईकिल/पादचारी मार्ग	—	—

3.13.2 मार्गों का विवरण

मार्ग संरचना की विशिष्टताओं के संबंध में अध्ययन से मार्गों की वर्तमान क्षमता तथा वर्तमान समस्याओं का आंकलन किया जा सकता है तथा मार्ग संरचना

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

में सुधार संबंधी आंकलन किये जाने में मदद मिलती है। सीहोर नगर में स्थित मुख्य मार्गों की विशिष्टताओं के संबंध में जानकारी सारणी 3-सा-14 में दी गई है इसमें वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई के संबंध में बताया गया है।

सीहोर : वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

3-सा-14

क्रमांक	मार्ग का नाम	मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर)	
		वर्तमान	प्रस्तावित
1	2	3	4
1.	न्यायालय तिराहे से कोतवाली चौराहे तक	18-24	22-25
2.	मछली पुल तिराहे से नरसिंहगढ़ मार्ग (औद्योगिक क्षेत्र सीमा तक)	18-24	22-25
3.	इन्दौर नाके से स्वास्थ्य केन्द्र चौराहा होते हुए लुनियापुरा चौराहे तक	24-25	25
4.	भोपाल नाके से मुरली ग्राम तक	18	20
5.	वर्तमान बस स्टैण्ड से आनंद डेरी	18	20
6.	वर्तमान बस स्टैण्ड से इंग्लिशपुरा चौराहा	12	15
7.	संजय छविगृह से लाल मस्जिद चौराहा	12	15
8.	जल संसाधन कार्यालय से रोजगार कार्यालय तक	12	15
9.	जिला चिकित्सालय से कोतवाली चौराहा	12	15
10.	कोतवाली चौराहा से माता मंदिर	12	15
11.	माता मंदिर से मुर्दी स्कूल	9-12	12
12.	लुनियापुरा चौराहे से ग्वालटोली होते हुए ग्राम मुरली तक	9-12	12
13.	मुरली मार्ग पुलिया से मुर्दी मोहल्ला	9	12
14.	लाल मस्जिद चौराहा से मोदी स्कूल	9	12
15.	सब्जी मण्डी से बादशाह मार्केट	9	12
16.	नमक चौराहे से पान चौराहा	9	12
17.	चरखा लाइन मार्ग	6-9	9-12
18.	बड़ा बाजार मार्ग	6-9	9-12
19.	खजांची लाइन मार्ग	9	12
20.	कोतवाली चौराहे से तहसील चौराहे तक	12	15

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

क्रमांक	मार्ग का नाम	मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर)	
		वर्तमान	प्रस्तावित
1	2	3	4
21.	जेल से सीहोर छविगृह तक	12	15
22.	तहसील चौराहे से कन्या विद्यालय	12	15
23.	भोपाली फाटक से बोरहा मस्जिद	6-9	9-12
24.	तिलक उद्यान से निजामत	6	9
25.	सालवेण्ट संयंत्र से झुनियाबाड़ी	9	12
26.	पीली मस्जिद मार्ग	6-9	9-12
27.	एक मीनार मस्जिद से बजरिया	6	9
28.	शक्कर फैक्ट्री चौराहे से गणेश मंदिर	12-18	18-20
29.	शक्कर फैक्ट्री चौराहे से रेलवे स्टेशन	12	15
30.	शक्कर फैक्ट्री चौराहे से गंज पुराना बस स्टैण्ड मार्ग तक	18	20
31.	अमर छविगृह से पावर हाऊस होते हुए मण्डी मार्ग तक	12-18	15-20
32.	संतोष सिंह आराकश मोहल्ला से कंजर मोहल्ला	12	15
33.	एक मीनार मस्जिद से आराकश मोहल्ला	9	12
34.	राठौर मार्ग	12	15
35.	राठौर धर्मशाला मार्ग	12	15
36.	साईं बाबा मंदिर मार्ग	9	12
37.	माता मंदिर से राठौर मार्ग	12	15
38.	कंजर मोहल्ला से वन कार्यालय	12	15
39.	पानी की टंकी से श्मशान	12	15
40.	दुर्गा कालोनी से वन कार्यालय	12	15
41.	एस.पी. निवास से ब्लॉक कार्यालय	9	12
42.	मण्डी से विश्राम गृह	12	15
43.	वर्कशाप मार्ग	12	15
44.	शारदा पाठशाला से मण्डी मार्ग	12	15
45.	बड़िया खेड़ी मार्ग	9	15
46.	कोलीपुरा से श्मशान घाट	12	15
47.	न्यायालय भवन मार्ग	12	12

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

क्रमांक	मार्ग का नाम	मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर)	
		वर्तमान	प्रस्तावित
1	2	3	4
48.	गणेश मंदिर से अवन्तिपुरा (प्रस्तावित बायपास तक)	12	24

स्त्रोत :- मार्गों की वर्तमान चौड़ाई नगर पालिका सीहोर द्वारा सर्वेक्षण आधारित ।

टीप :-

- वर्तमान मार्गों की उपलब्ध चौड़ाई जिस खण्ड में प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध होगी, उसे कम न करते हुए भूमि का उपयोग वाहन विराम हेतु सुरक्षित रखा जावेगी ।
- प्रस्तावित मार्ग चौड़ाई का क्रियान्वयन भूमि के उपलब्ध होने अथवा वर्तमान आवासों के पुर्ननिर्माण/नवीनीकरण के समय किया जावेगा ।

3.14 वर्तमान मार्ग संरचना का विश्लेषण

राजकीय राजमार्ग क्र 18के अतिरिक्त किसी भी अन्य मार्ग के अधिकृत वाहन पथ की चौड़ाई 30 मीटर नहीं है। नगरीय सीमा में राजकीय राजमार्ग क्र 18 के अधिकृत वाहन पथ की चौड़ाई 24 से 30 मीटर है।

विद्यमान विभिन्न मार्गों का "अधिकृत मार्ग"

3-सा-15

क्रमांक	अधिकृत मार्ग	लम्बाई किमी में	प्रतिशत अंश
1	2	3	4
1	9 मीटर से कम	32.536	44.43:
2	9 से 12 मीटर	27.188	37.13:
3	12 से 24 मीटर	6.545	8.94:
4	24 मीटर से ऊपर	6.964	9.51:
कुल लम्बाई		73.23	100:

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

राजकीय राजमार्ग क्र 18 सहित किसी भी मार्ग पर विभाजक एवं पैदल पथ नहीं हैं। नगर के सभी मार्ग एकांगी अथवा द्विमागी हैं : 54 प्रतिशत एकांगी व 46 प्रतिशत द्विमागी। नगर के मुख्य मार्ग एवं क्षेत्रीय मार्ग द्विमागी परिवहन पथयुक्त हैं। राजकीय राजमार्ग क्र 18 का बायपास मार्ग 4 लेनयुक्त है परन्तु यह नगर पालिका सीमा में नहीं है।

नगर में 4 मुख्य चौराहे हैं जिन पर न तो संकेतक लगाए गए हैं, न ही इनका रूपांकन यातायात के सहज आवागमन के लिये उपयुक्त है। यह स्थान चिकित्सालय तिराहा, बस स्टैण्ड तिराहा, भोपाल नाका एवं सीहोर टॉकीज़ तिराहा है जो कि पदयात्रियों के लिय भी खतरनाक हैं।

3.15 प्रस्तावित यातायात अधोसंरचना

वर्तमान में नगर में वाहनों की संख्या में हो रही वृद्धि, विद्यमान जनपरिवहन व्यवस्था, विद्यमान मार्ग संरचना एवं दुर्घटनाओं के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि यातायात में सुधार हेतु कुछ उपाय तुरंत किया जाना आवश्यक है। नगर के विद्यमान यातायात में सुधार हेतु लघुकालीन, मध्यम कालीन एवं दीर्घकालीन प्रस्ताव दिये जा रहे हैं। यातायात में सुधार हेतु लघुकालीन प्रस्तावों में रोड मार्किंग, सिग्नल व्यवस्था, फुटपाथों, गति अवरोधक, मार्ग विभाजक का निर्माण एवं अतिक्रमण को हटाना प्रमुख है। यह सुधार शीघ्र प्रारंभ किये जाना प्रस्तावित है। दीर्घकालीन प्रस्तावों में नवीन प्रस्तावित मार्ग, ट्रक टर्मिनल, मल्टी लेवल कार पार्किंग, नवीन बस स्टैण्ड आदि सम्मिलित किये गये हैं। इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन में अपेक्षाकृत रूप से वित्तीय संसाधन एवं समय अधिक लगता है। किसी भी नगर की मार्ग संरचना नगर के भावी स्वरूप एवं नगरीय संरचना का निर्धारण करती है।

नगर की भावी यातायात संरचना क्षेत्रीय, अंतर नगरीय एवं स्थानीय यातायात को दृष्टिगत रखते हुए नियोजित की गई है। विभिन्न कार्य केन्द्रों, उप नगरीय केन्द्रों एवं निवेश इकाईयों को यातायात पद्धतियों से जोड़ा गया है।

सीहोर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित नवीन नगरीय मार्गों को प्रस्तावित संरचना मानचित्र में दर्शाया गया है। नवीन मार्गों में मुख्य रूप से बायपास मार्ग, आउटर रिंग रोड, सेक्टर रोड, सब सेक्टर रोड एवं स्थानीय मार्ग प्रस्तावित किये गये हैं। विभिन्न चौड़ाई के प्रस्तावित मार्गों की लम्बाई का विवरण सारणी में दर्शाया गया है (मानचित्र क्रमांक 3.7)।


SEHORE DEVELOPMENT PLAN 2031 ROADS NETWORK DETAIL

SEHORE DEVELOPMENT PLAN 2031



Legend

-  Planning Area 2031
-  SNP Boundary
-  Village Boundary
-  Water Body
-  Railway Line
-  EXISTING ROAD
-  PROPOSED ROAD
-  OVER BRIDGE



सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

3.15.1 2031 प्रस्तावित मार्ग संरचना

नवीन मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई व लम्बाई

3-सा-16

36.00 मीटर मार्ग मानचित्र में दर्शित अनुसार	चौड़ाई	लम्बाई
N-1 to N-2	36.00	4614.14
N-2 to N-3	36.00	389.78
N-3 to N-4	36.00	1091.31
N-4 to N-5	36.00	753.84
N-5 to N-6	36.00	714.50
N-6 to N-7	36.00	878.51
N-7 to P-16	36.00	577.91
P-11 to N-8b	36.00	342.35
P-10 to N-8c	36.00	353.68
30.00 मीटर मार्ग	चौड़ाई	लम्बाई
N-3 to N-3a	30.00	369.31
N-3a to N-3b	30.00	312.46
N-3a to N-4a	30.00	1087.65
N-5 to N-5a	30.00	485.09
P-33 to N-9	30.00	610.32
N-9 to N-10	30.00	863.81
24.00 मीटर मार्ग	चौड़ाई	लम्बाई
N-9 to N-9a	24.00	463.08
45.00 मीटर मार्ग	चौड़ाई	लम्बाई
P-47 to N-2a	45.00	7213.58

3.15.2 यातायात नगर में प्रस्तावित सुविधाएँ

यातायात नगर में निम्न सुविधाओं का समावेश किया जाना प्रस्तावित है।

- 1- पार्किंग क्षेत्र
- 2- पेट्रोल पंप
- 3- सेवा केन्द्र/स्पेयर पार्ट्स
- 4- गोडाउन
- 5- कोल्ड स्टोरेज
- 6- वेट मशीन

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

- 7- प्रशासनिक कार्यालय
- 8- यातायात एजेंसीज
- 9- रेस्टोरेंट/ढाबा
- 10- विश्राम गृह
- 11- पुलिस स्टेशन
- 12-फायर स्टेशन
- 13-पोस्ट ऑफिस
- 14-डिस्पेंसरी
- 15-बैंक
- 16-टेलीफोन बूथ
- 17-इलेक्ट्रिक बेकअप/विद्युत उप केन्द्र
- 18-दुकान एवं शोरूम
- 19-थोक बाजार
- 20-लॉजिस्टिक हब
- 21-आमोद प्रमोद मनोरंजन केन्द्र सिनेमा गृह

3.15.3 ट्रक टर्मिनल हेतु प्रस्तावित सुविधायें

ट्रक टर्मिनल का मुख्य उद्देश्य उचित स्थान पर माल को उतारना-चढ़ाना है, जिससे ट्रक शहर में प्रवेश न कर सके। ट्रक टर्मिनल पर मुख्य रूप से माल बुकिंग कार्यालय, पेट्रोल पंप, मरम्मत दुकानें, रेस्टोरेंट आदि सुविधाओं का समावेश प्रस्तावित होना चाहिये।

3.16 यातायात अवसान केन्द्र

नगर के मुख्य अवसान केन्द्र, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, कृषि उपज मण्डी, अग्रेषण अभिकरण तथा इन्दौर नाके के निकट का क्षेत्र है, जहाँ बस, ट्रक, मिनी ट्रक एवं अन्य माल वाहक अवसान किये जाते हैं।

3.16.1 बस स्थानक

वर्तमान बस स्थानक लगभग एक हेक्टेयर भूमि पर राजकीय राजमार्ग क्र 18 पर स्थित है जो बढ़ते हुए यातायात के दृष्टिकोण से आवश्यकता की पूर्ति के लिये अपर्याप्त है। यहाँ इसके विकास के लिए पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध नहीं है। अतः इसे

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अकार्यक्षम भूमि उपयोग में शामिल करते हुए भविष्य में स्थानांतरित करना प्रस्तावित है। अतः नवीन बस स्थानक हेतु निवेश इकाई क्रमांक 3 में लगभग 3.0 हेक्टेयर भूमि विकास योजना में उपदर्शित की गई है। नवीन बस स्थानक के निर्माण एवं संचालित होने पर वर्तमान बस स्थानक, उप-बस स्थानक-सह-पिकअप स्टेशन के रूप में प्रयुक्त होगा। उपरोक्त दोनों बस स्थानक मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बसों के साथ-साथ निजी क्षेत्रीय बसों व टैक्सियों के लिये भी प्रयुक्त होंगे।

3.16.2 बस डिपो

मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्तमान बस डिपो को यथावत लोटिया नाले के निकट कार्यरत रखना प्रस्तावित है तथा इसके भावी विस्तार हेतु इससे संलग्न लगभग 1.00 हेक्टेयर भूमि विकास योजना में उपदर्शित की गई है।

3.16.3 रेलवे स्टेशन एवं माल गोदाम

वर्तमान रेलवे स्टेशन एवं यहाँ उपलब्ध सेवा-सुविधाएँ, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त हैं किन्तु भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु रेलवे स्टेशन के दो-मुखी विकास के साथ-साथ यात्रियों हेतु सेवा-सुविधाओं एवं वाहन विराम स्थल का विकास प्रस्तावित है। माल उतारने एवं लदान के लिये वर्तमान उपलब्ध क्षेत्र में भी वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इसका क्रियान्वयन रेलवे प्रशासन द्वारा किया जावेगा।

3.16.4 ट्रक स्थानक

कृषि उपज मण्डी, औद्योगिक क्षेत्र, यातायात नगर आदि यातायात उदित केन्द्रों पर ट्रकों के अवसान हेतु स्थान प्रावधित किये गये हैं। नगर के उत्तर में रेलवे लाईन के उत्तर में निवेश इकाई क्रमांक 1 में लगभग 15 हेक्टेयर भूमि पर यातायात नगर प्रस्तावित किया गया है, जिसमें समस्त अग्रेषण अभिकरण भी समाहित हो सकेंगे।

3.17 यातायात तंत्र में सुधार

3.17.1 मार्ग संगमों का सुधार

नगर के निम्नलिखित मार्ग चौराहों एवं मार्ग संगमों को सुगम यातायात एवं यातायात नियंत्रण हेतु विशेष रूप से विकसित किया जाना आवश्यक है :-

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

शुगर फैक्ट्री चौराहा, सुविधा मोहल्ला चौराहा, मछली बाजार चौराहा, नसरुल्लागंज मार्ग चौराहा, कोतवाली चौराहा, पुराना बस स्टैण्ड चौराहा, अन्दरूनी वृत्तमार्ग चौराहा, तहसील चौराहा उपरोक्त आठ मार्ग संगमों का विशेष रूप से सुधार एवं विकास के साथ नगर स्थित अन्य मार्ग संगमों (तिराहे एवं चौराहे) का भी सुगम यातायात प्रवाह के दृष्टिकोण से सुधार एवं विकास किया जाना प्रस्तावित है।

3.17.2 वाहन विराम स्थल

नगर में उपयुक्त एवं पर्याप्त वाहन विराम स्थल का सर्वथा अभाव है। लगभग प्रत्येक जगह बेतरतीब मार्गाधिकार, क्षेत्र में वाहन विराम किये जाते हैं। अतः समस्त कार्य केन्द्रों अवसान केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों औद्योगिक केन्द्रों, आमोद-प्रमोद स्थलों के निकट उपयुक्त एवं पर्याप्त स्थल वाहन विराम हेतु निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान सघन नगरीय क्षेत्रों में समुचित स्थल उपलब्ध न होने की दशा में ऑफ स्ट्रीट पार्किंग हेतु स्थल नियत किया जाना प्रस्तावित है। इनके स्थल का निर्धारण स्थानीय प्रशासन के सहयोग से किया जावेगा।

3.17.3 रेलवे ओव्हर ब्रिज एवं समतल पारण

नगर में गुजरने वाली रेलवे लाईन पर, यातायात हेतु कोई ओव्हर ब्रिज नहीं है जिसके कारण क्षेत्रीय यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा होती है। अतः इन्दौर-भोपाल मार्ग पर रेलवे लाईन के दक्षिण में बायपास मार्ग प्रस्तावित किया गया है जो बिना रेलवे लाईन पारण किये फंदा रेलवे क्रासिंग के आगे भोपाल मार्ग से मिलता है। अतः क्षेत्रीय मार्गों पर ओव्हर ब्रिज अथवा नवीन समतल पारण का प्रस्ताव विकास योजना में नहीं दिया गया है। अपितु मण्डी गेट समतल पारण पर बढ़ते हुए रेल एवं सड़क यातायात के वर्तमान एवं भावी दबाव को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ ओव्हर ब्रिज का प्रस्ताव किया जाता है। इसी समतल पारण के निकट स्थित वर्तमान रेलवे अण्डरपास को भी विकसित किया जाना प्रस्तावित है ताकि इस मार्ग का छोटे वाहनों द्वारा मण्डी गेट समतल पारण मार्ग के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सके। वर्षा ऋतु में यहाँ पानी भर जाता है, जिसके कारण यह मार्ग अवरूद्ध हो जाता है। अतः वर्षा जल निकास हेतु उपयुक्त स्थायी व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। मुरली समतल पारण को भी मार्ग चौड़ाई के अनुरूप विकसित एवं उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। शक्कर उद्योग के लिये वर्तमान रेलवे लाईन का यदा-कदा ही उपयोग होता है। अतः इसे यथास्थित रखना

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

प्रस्तावित है। निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित ओवर ब्रिजों का विवरण सारणी 3-सा-17 अनुसार है।

निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित ओवर ब्रिज

3-सा-17

स.क्र.	ग्राम का नाम	कहाँ से	कहाँ तक
1	अब्दुल्लापुर	इन्दौर बाय-पास	ऑक्सफोर्ड कान्चेन्ट स्कूल
2	मुरली	भोपाल मार्ग	हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी
3	मुरली	न्यू कलेक्ट्रेट	मंडी तालाब
4	कस्बा सीहोर	रेल्वे स्टेशन	श्यामपुर मार्ग
5	गोपालपुर	इन्दौर बाय-पास	श्यामपुर मार्ग
फलाय ओव्हर			
1	बडीयाखेड़ी	इन्दौर बाय-पास	बिलकिसगंज मार्ग
2	अल्हदाखेड़ी	इन्दौर बाय-पास	इच्छावर मार्ग
3	रफीकगंज	इन्दौर बाय-पास	सीहोर नगर

3.17.4 नदी/नालों के पुल

सीवन नदी एवं लोटिया नाले पर नगर में स्थित पुल/पुलियों के उपयुक्त रख-रखाव की आवश्यकता है। संकरे पुलों एवं रपटों को मार्ग चौड़ाई के अनुरूप चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है तथा रपटों की ऊँचाई बढ़ाना भी प्रस्तावित है ताकि वर्षा में मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति निर्मित न हो। प्रस्तावित बायपास एवं प्रस्तावित मार्ग संरचना रेखांकन में सीवन नदी एवं स्थानीय लोटिया नाले की शाखाएँ स्थित है। अतः इन स्थलों पर ऐसे चौड़े स्थायी पुल/पुलियों का निर्माण प्रस्तावित है ताकि वर्षा ऋतु में भी यातायात अवरुद्ध न हो।

3.17.5 मार्गों का उन्नयन

नगर के पुराने, सघन एवं संकीर्ण क्षेत्रों में सुगम पहुँच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तथा यात्रा, समय, दूरी एवं ईंधन-मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे क्षेत्रों के मार्गों का उपलब्धता के आधार पर चौड़ीकरण एवं उन्नयन किया जाना

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)







प्रस्तावित है। इनमें निम्न मार्गों अथवा मार्ग खण्डों का उन्नयन विशेष रूप से किया जाना प्रस्तावित है :-

1. भोपाल फाटक से बोहरा मस्जिद तक
2. तिलक मार्ग से निजामत मोहल्ला
3. पीली मस्जिद मार्ग
4. सईद-मियाँ एक मीनार मस्जिद से बजरिया
5. चरखा लाईन मार्ग
6. रेलवे अण्डरपास मार्ग
7. मुरली मार्ग पुलिया से मुर्दी मोहल्ला
8. सब्जी मण्डी से बादशाह बाजार
9. नमक चौराहा से पान चौराहा
10. बड़ा बाजार मार्ग
11. खजांची लाईन मार्ग

3.17.6 रोड क्रास सेक्शन

सीहोर विकास योजना में प्रस्तावित मार्गों का क्रास सेक्शन मानचित्र 3. में दर्शित है।

PROPOSED ROAD CROSS SECTION



- FP - FOOT PATH
- GV - GREEN VERGE
- CW - CARRIAGE WAY
- DR - DRAIN
- SR - SERVICE ROAD
- ROW - RIGHT OF WAY



अध्याय-4

विकास नियमन

4.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है, यह नियमन निवेश क्षेत्र के अन्दर समस्त विकास की गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे।

4.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन, राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 (1) के अन्तर्गत हेतु गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे। मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में समय-समय पर होने वाले संशोधनों को विकास योजना का भाग माना जावेगा।
2. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है, यह सम्भावना है, कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों को क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में संशोधित करना पड़े ऐसे संशोधन के संबंध में राज्य शासन का निर्णय अन्तिम होगा, जो कि विकास योजना प्रस्तावों का एक भाग माना जावेगा।
3. विकास योजना मानचित्र में दर्शित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं तथा उक्त प्रस्ताव मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किये गए हैं, उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आन्तरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं आदि हेतु क्षेत्रफल सम्मिलित है, इसी प्रकार नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आदि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित है। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में पृथक से नहीं दर्शाए गए हैं।
4. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व से विधिवत स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान उपयोग हेतु यथावत् रहेंगे।
5. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवाकार्य से जुड़े होते हैं, यदि झुग्गी-झोपड़ियों को किसी स्थान पर व्यवस्थापन कर उसे

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

विकसित किया जाना है, तो उस दशा में सिर्फ नदियों/जलाशय के संदर्भ में प्रतिबंधित क्षेत्र, आमोद-प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों का व्यवस्थापन ग्राह्य होगा।

6. विकास योजना मानचित्र जो रिपोर्ट के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की लम्बाई-चौड़ाई अथवा क्षेत्रफल को नहीं नापा जाये। लम्बाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल सर्वे मानचित्र, जो 1:4000 की माप पर हो के आधार पर नापा जाये।
7. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुरूप अलग-अलग विकास नियमन/परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जावेगी। प्रथम चरण के क्षेत्र की विकास योजना प्रस्ताव के अनुसार परिक्षेत्रिक योजना अधिनियम के प्रावधानों अनुसार त्वरित गति से तैयार करना नितांत आवश्यक है।
8. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई शर्तें, स्थिति एवं विद्यमान वर्तमान मार्ग सीमाएँ स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाडी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जावेगा।
9. जिन अभिन्यासों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई है, अर्थात् म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अर्न्तगत अथवा म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अर्न्तगत भू-व्यपवर्तन हेतु दी गई हो एवं स्वीकृति की समयावधि विकास योजना प्रारूप प्रकाशन की तिथि पर वैद्य है अथवा नगर तथा ग्राम निवेश की अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर/शासन द्वारा कोई शासकीय भूमि किसी प्रयोजन हेतु आरक्षित अथवा आवंटित की गई हो तो उस दशा में यह माना जावेगा कि वह अभिन्यास/ भू-आरक्षण/आवंटन स्वीकृत विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुरूप है।
10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य एवं नगर स्तर की गतिविधियों हेतु विकास अनुमति दे।
11. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप तथा उपयुक्त अधोसंरचना

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

नियोजन एवं रूपांकन के द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होंगे।

12. अधिनियम की धारा 30 एवं 30 (क) स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र में संशोधन आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकारी सभी आवश्यक संशोधन मानचित्र में अंकित कर पुनः संबंधित को वापिस करेंगे। स्वीकृति केवल संशोधित मानचित्र पर ही अंकित की जावेगी।

4.3 परिभाषाएँ

- उपयोग परिक्षेत्र –** मुख्य भू-उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्य कलापों में से किसी एक कार्य कलाप का क्षेत्र।
- उपयोग परिसर –** उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के विभाजन का एक भाग हो एवं जिसे कि अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो।
- अभिन्यास –** अभिन्यास से तात्पर्य योजना की रूप रेखा से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो।
- भूमि उपयोग मानचित्र –** सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र, भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा।
- परिक्षेत्रिक योजना –** निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जो अधिनियम की धारा 20 के अर्न्तगत बनाई गई हो।
- नगरीय ग्राम –** भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अर्न्तगत आने वाले ग्रामीण आबादी नगरीय ग्राम कहलाएँगे।
- नगरीय विरासत –** नगरीय विरासत से तात्पर्य ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो तथा संबंधित अधिनियम के अर्न्तगत अधिसूचित हो।
- बहु-इकाई भूखण्डीय विकास –** नवीन क्षेत्रों में भूखण्डीय विकास विशेषतः मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप परिवारों को समाहित करने हेतु विशिष्ट रूप से रूपांकित किए

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

जावेंगे। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् क्रियान्वित किए जाने वाले इस विकास में आवश्यक सेवाएँ एवं सुविधाएँ प्रावधित की जाएँ। ऐसे विकास हेतु भूखण्ड का आकार 288 वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिए एवं उनके समक्ष न्यूनतम 12.0 मीटर चौड़ा मार्ग स्थित/प्रावधित होना चाहिये।

सक्षम प्राधिकारी— म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 अनुसार

अन्य परिभाषाएं — म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार लागू होंगी।

4.3.1 स्मार्ट सिटी —

सीहोर विकास योजना के भूमि उपयोग मानचित्र क्रमांक 3.1 में स्मार्ट सिटी पृथक से दर्शित नहीं है एवं इसके लिये चिन्हित स्थान जो कि मानचित्र क्रमांक 3-1(A) में दर्शाया गया है, का उपयोग कृषि के अन्तर्गत दर्शाया गया है। किन्तु राज्य शासन द्वारा यदि स्मार्ट सिटी की अवधारणा के अन्तर्गत मानचित्र क्रमांक 3.1(A) में दर्शित भूमि पर कोई परियोजना प्रस्तावित की जाती है तो इसके लिये भूमि उपयोग उपान्तरण किया जाना आवश्यक नहीं है एवं इसके मापदण्ड संचालक द्वारा निर्धारित किये जावेंगे।

4.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

निवेश क्षेत्र को 9 प्रमुख उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उप विभाजित किये गए हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग/उपयोग गतिविधियां शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होंगी। उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 4-सा-1 में दिया गया है।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

उपयोग परिक्षेत्र

4-सा-1

अनु.क्र.	उपयोग परिक्षेत्र	उपयोग श्रेणियां
1	2	3
1.	आवासीय	वर्तमान आवासीय तथा प्रस्तावित आवासीय
2.	वाणिज्यिक	सामान्य वाणिज्यिक, थोक वाणिज्यिक / मण्डी, यातायात नगर
3.	औद्योगिक	वर्तमान उद्योग, प्रस्तावित औद्योगिक
4.	सार्वजनिक अर्द्ध-सार्वजनिक	वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक / प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
5.	सार्वजनिक सेवाएं एवं उपयोगिताएं	वर्तमान सार्वजनिक सेवाएं एवं उपयोगिताएं, प्रस्तावित सार्वजनिक सेवाएं एवं उपयोगिताएं
6.	यातायात एवं परिवहन	रेल्वे स्टेशन, रेल्वे लाईन/बस स्टेण्ड/बस पिकअप स्टेशन/ मार्ग, हवाई पट्टी
7.	आमोद-प्रमोद	क्षेत्रीय/नगर उद्यान, स्टेडियम / खेल मैदान / मनोरंजन स्थल , मेला मैदान, हरित क्षेत्र, वृक्षारोपण
8.	कृषि	कृषि, ग्रामीण परिक्षेत्र (कंडिका 2.19 के अनुसार ग्रामीण आबादी के विस्तार सहित)
9.	आरक्षित वन	आरक्षित वन
10.	जल स्रोत	तालाब, नाले, नहर एवं नदियां

4.5 आवासीय उपयोग परिक्षेत्रों हेतु नियमन

4.5.1 उपयोग परिक्षेत्र का उपयोग परिसरों में उप-विभाजन

- इन नियमनों का उद्देश्य विभिन्न परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने हेतु मार्गदर्शन देना है। इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित हैं। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधानों जैसे-भौतिक संरचनाएं, जल-प्रदाय, जल-मल निकास आदि नगर पालिका के प्रावधानों के अनुरूप होंगे।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

2. भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात अधिकतम 1:3 होना चाहिए।
3. भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, एफ.ए.आर. भूतल आच्छादन, भवन की ऊंचाई तथा स्वीकार्य आवासीय ईकाइयों के मानकों की आवश्यकता होती है। भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है तथा भवन अनुज्ञा हेतु यह पूर्णतः विकसित होना चाहिए। कार्पोरेट विकास की दशा में विकास/भवन अनुज्ञा साथ-साथ दी जा सकेगी।
4. एक भूखण्ड में चार ईकाइयों से अधिक समाहित करने हेतु प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में तैयार किए गए अभिन्यास की स्वीकृति तब ही दी जावेगी जब आवश्यक सेवाएं जैसे— जल प्रदाय, मल निकास, विद्युतीकरण पार्किंग सुविधा आदि का प्रावधान किया हो तथा भवन निर्माण की अनुमति देने के पूर्व उक्त सेवा एवं सुविधाएं वास्तविक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। इस प्रकार के निर्माण हेतु भूखण्ड का न्यूनतम आकार 288 वर्गमीटर होगा तथा उसके समक्ष न्यूनतम 12.0 मीटर चौड़ा मार्ग स्थित अथवा प्रावधित होना चाहिये।
5. वर्तमान विकसित क्षेत्र में पूर्णतः या आंशिक रूप से विकसित एकल/संयुक्त परिवार ईकाई को आवश्यक सेवा तथा सुविधाओं के भौतिक सत्यापन के पश्चात् बहुईकाई भूखण्डीय विकास में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है।
6. आवासीय अभिन्यासों में राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं समय-समय पर प्रसारित आदेशानुसार समाज के कमजोर वर्ग/ निम्न वर्ग/अनौपचारिक वर्ग तथा अन्य किसी वर्ग हेतु भूखण्ड/भवन का आरक्षण प्रावधान करना होगा।
7. अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार करते समय मध्य-प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 99 ;परिशिष्ट-ज में निहित प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।

4.5.2 आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन

- | | |
|---|-------------|
| 1. भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल | 2.00 हेक्टर |
| 2. आवासीय अभिन्यास में न्यूनतम खुला क्षेत्रफल | 10 प्रतिशत |
| 3. सेवाओं हेतु न्यूनतम आरक्षित क्षेत्र | 1.5 प्रतिशत |
| 4. सुविधाजनक दुकानें हेतु अधिकतम | 5 प्रतिशत |

सीडोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

5. आवासीय प्रयोजन के स्वीकृत अभिन्यास के भूखण्डों पर भवन निर्माण संबंधी नियोजन मापदण्ड सारणी क्र. 4-सा-2 अनुसार होंगे
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अल्प आय वर्ग हेतु प्रावधान म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 / म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 / म.प्र. पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुरूप।

आवासीय भूखण्ड विकास नियमन

4-सा-2

क्र.	भूखण्ड का आका (मीटर में)	क्षेत्र (वर्गमीटर) न्यूनतम	विकास का प्रकार	भू-आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में	एफ.ए. आर. अधिकतम	एम. ओ. एस (मीटर) में				भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)	अधिकतम ऊँचाई (मीटर में)	एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आवासीय इकाईयाँ
						अग्र	पार्श्व	आजू	बाजू			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4.0×8.0	20-32	पंक्ति	60	1.25	3.0	0.0	0.0	0.0	6	9	2
2	4.0×12.0	33-48	पंक्ति	60	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	6	9	2
3	5.0×15.0	49-75	पंक्ति	60	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	6	9	2
4	7.0×15.0	76-105	पंक्ति	50	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	7.5	9	2
5	9.0×15.0	106-135	अर्द्धपृथक्कृत	50	1.20	3.0	1.5	0.0	0.0	7.5	12.5	3
6	11.10×18.0	136-200	अर्द्धपृथक्कृत	50	1.20	3.0	2.0	0.0	0.0	9.0	12.5	3
7	12.0×18.0	201-216	अर्द्धपृथक्कृत	42	1.20	3.5	0.0	0.0	0.5	9.0	12.5	3
8	12.0×24.0	217-288	पृथक्कृत	40	1.15	4.5	2.5	3.5	1.5	9.0	12.5	4
9	12.0×24.0	288-360	पृथक्कृत	35	1.15	6.0	2.5	3.0	3.0	12.0	12.5	6
10	15.0×27.0	361-405	पृथक्कृत	33	1.15	7.5	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5	7
11	18.0×30.0	406-540	पृथक्कृत	33	1.15	8.0	3.0	4.0	3.0	12.0	12.5	8
12	20×30.0	541-600	पृथक्कृत	33	1.15	9.0	3.0	4.5	3.0	12.0	12.5	9
13	25×30.0	601-750	पृथक्कृत	30	1.15	12.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	10
14	30×30.30	751-999	पृथक्कृत	30	1.15	12.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	10.

नोट : 1. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष यदि 12 मीटर या उससे अधिक चौड़ा मार्ग उपलब्ध है तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् क्रियान्वित किए जाने वाले इस विकास में आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं प्रावधानित हो तो ऐसे भूखण्डों पर बहु आवासीय इकाईयां मान्य होगी अन्यथा केवल 4 आवासीय इकाईयां की संख्या मान्य होगी।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

2. यदि आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊंचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊंचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, क्रमशः भवन ऊंचाई तथा एफ.ए.आर. से नहीं की जाएगी।

4.5.3 विकसित क्षेत्रों के मध्य उपलब्ध भूमियों/भूखण्डों पर अपार्टमेंट हाउसिंग के नियमन

- | | | |
|------|---|----------------------|
| (1) | न्यूनतम भूमि/भूखण्ड का क्षेत्रफल | 750 वर्गमीटर से अधिक |
| (2) | भूमि/भूखण्ड का फ्रन्टेज | 21 मीटर |
| (3) | भूमि/भूखण्ड के समक्ष मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई | 12 मीटर |
| (4) | अधिकतम एफ.ए.आर. | 1.30 |
| | (12.5 मीटर ऊंचाई तक के मकानों के लिये) | |
| (5) | एम.ओ.एस. – सामने | 6.0 मीटर |
| | अन्य ओर | 4.5 मीटर |
| (6) | भवन की ऊंचाई | 12.5 मीटर |
| (7) | दो अपार्टमेंट के ब्लॉकों के मध्य की दूरी सबसे ऊंचे अपार्टमेंट की ऊंचाई के 1/3 के बराबर होगी। | |
| (8) | पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल की दर से। | |
| (9) | आगंतुक कार/वाहन पार्किंग हेतु भूखण्ड के क्षेत्र का 2 प्रतिशत क्षेत्रफल, आरक्षित रखना होगा। | |
| (10) | वृक्षारोपण/उद्यान अंतर्गत क्षेत्रफल = (भूखण्ड/भूमि का क्षेत्रफल-ग्राउण्ड कवरेज) गूणा 25 प्रतिशत | |
| (11) | 12.5 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों के लिए मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानानुसार होंगे। | |
| (12) | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अल्प आय वर्ग हेतु म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 / म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961/म.प्र. पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार होगा। | |

4.5.4 समूह आवास हेतु नियोजन मापदण्ड –

- (1) इस तरह के विकास हेतु न्यूनतम भूमि/भूखण्ड का क्षेत्रफल 0.40 हेक्टर होगा।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

- | | | |
|------|--|------------|
| (2) | भूमि/भूखण्ड के समक्ष न्यूनतम मार्ग की चौड़ाई | 15.0 मीटर |
| (3) | न्यूनतम ग्राउण्ड कवरेज = | 35 प्रतिशत |
| (4) | भूमि/भूखण्ड का न्यूनतम फ्रन्टेज = | 24 मीटर |
| (5) | अधिकतम एफ.ए.आर. 12.5 मीटर तक ऊँचे भवनों हेतु | 1 : 1.40 |
| (6) | एम.ओ.एस. : सामने : | 7.50 मीटर |
| | अन्य ओर : | 6.00 मीटर |
| (7) | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अल्प आय वर्ग हेतु प्रावधान म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 / म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961/पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार होगा। | |
| (8) | पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल की दर से। | |
| (9) | भवन ब्लाकों के मध्य की दूरी परिसर में प्रस्तावित/निर्मित सबसे ऊँचे भवन की ऊंचाई के 1/3 बराबर | |
| (10) | 12.5 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों का निर्माण म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानानुसार। | |

4.5.5 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

12.5 मीटर से ऊँचे भवनों के मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे। यह प्रावधान सभी भू-उपयोगों (आमोद-प्रमोद एवं कृषि को छोड़कर) मान्य होंगे।

4.5.6 फार्म हाउस

फार्म हाउस का निर्माण म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 अनुसार मान्य होगा।

4.6 वाणिज्यिक क्षेत्र

4.6.1 वाणिज्यिक क्षेत्रों में विकास हेतु नियमन –

वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु विकास योजना में थोक एवं सामान्य वाणिज्यिक हेतु व्यापक स्वरूप के प्रस्ताव दिये गये हैं, जिनमें निम्नलिखित गतिविधियां विकसित हो सकेंगी:-

नगरीय केन्द्र, उपनगरीय केन्द्र, स्थानीय शापिंग, सुविधाजनक शापिंग सेन्टर, खेरची दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय इत्यादि।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

4.6.2 वाणिज्यिक विकास हेतु नियमन –

वाणिज्यिक विकास हेतु सारणी 4-सा-3 के अनुसार स्थान उपलब्ध होने पर विकास स्वीकार्य होगा ।

वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र के अभिन्यास हेतु नियमन

4-सा-3

क्र.	वाणिज्यिक केन्द्र का स्तर	आवश्यक न्यूनतम भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)	न्यूनतम खुला क्षेत्र (प्रतिशत में)	पार्किंग क्षेत्र (प्रतिशत में)	इंफार्मल सेक्टर (प्रतिशत में)	मार्ग एवं उपयोगिता एवं सेवाएं (प्रतिशत में)	अधिकतम स्वीकार्य भू-खण्डीय क्षेत्रफल (प्रतिशत में)	भूमि का न्यूनतम अग्रभाग मीटर में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नगरीय केन्द्र, थोक वाणिज्यिक (मंडी सहित)	3.0 से अधिक	30	10	10.0	3.0	35	50	75.00
2	उप नगरीय केन्द्र, सामान्य (0.15 से 0.5 लाख आबादी हेतु)	2.00 से अधिक	24.00	10	10.0	2.5	35	50	50.00
3	समुदायिक केन्द्र	1.00	18.00	10	7.5	2.0	35	50	40.00
4	स्थानीय शापिंग (अभिन्यास स्तर पर)	0.5 से अधिक	12.00	10	7.5	1.5	35	—	30.00
5	सुविधाजनक दुकानें (अभिन्यास स्तर पर)	0.10 से अधिक	9.00	10	5.0	1.5	35	—	20.00

टीप:- 'स्थानीय दुकानें एवं सुविधाजनक दुकानें कुल अभिन्यास क्षेत्रफल के अधिकतम 5 प्रतिशत भाग पर ही स्वीकार्य होंगी ।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

4.6.3 उप विभाजित वाणिज्यिक भूखण्डों हेतु नियमन :-

वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत विभिन्न वाणिज्यिक केन्द्र हेतु अनुमोदित अभिन्यास में वाणिज्यिक भू-खण्डों पर निर्मित क्षेत्र एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात सारणी 4-सा-4 में दर्शाए अनुसार मान्य होगा:-

उपविभाजित वाणिज्यिक भूखण्डों हेतु नियमन

4-सा-4

क्रमांक	श्रेणी	अधिकतम निर्मित क्षेत्र (कवरेज)	एफ.ए.आर
1	2	3	4
1	नगरीय केन्द्र / थोक वाणिज्यिक (मंडी)	50 प्रतिशत	2.50
2	उप नगर केन्द्र / सामान्य	50 प्रतिशत	2.00
3	समुदायिक केन्द्र	50 प्रतिशत	1.75
4	स्थानीय दुकानें (अभिन्यास स्तर पर)	50 प्रतिशत	1.50
5	सुविधाजनक दुकानें (अभिन्यास स्तर पर)	50 प्रतिशत	1.25

4.6.4 स्थानीय दुकानों में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां :-

1. औषधि दुकानें
2. कार्यालय
3. पैथेलाॅजी लैब
4. हल्के वाहन (800 सी.सी. तक) / मशीनरी सुधार की दुकानें
5. बैंक
6. ए.टी.एम.
7. गेस्ट हाउस
8. अनौपचारिक दुकानें
9. कोचिंग केन्द्र
10. प्रशिक्षण केन्द्र

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

11. रेस्टोरेन्ट
12. साप्ताहिक हाट
13. मीट एवं मछली की फुटकर दुकानें
14. कम्युनिटी हॉल
15. विद्युत उप केन्द्र
16. आवासीय प्लैट : कुल अनुज्ञेय एफ.ए.आर. का 50 प्रतिशत अधिकतम।

4.6.5 सुविधाजनक दुकानों में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां :-

1. फुटकर दुकानें
2. स्थानीय स्तर पर हल्के वाहन एवं मशीनरी मरम्मत की दुकानें
3. सेवा गतिविधियाँ
4. कार्यालय
5. बैंक
6. ए.टी.एम.
7. अनौपचारिक दुकानें
8. साप्ताहिक बाजार
9. सब्जी बाजार

4.6.6 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए सारणी 4-सा-5 में दिये गये मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किये गये हैं-

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनौपचारिक वर्ग के लिए योजना प्रावधान

4-सा-5

क्र.	विवरण	मानक
1	2	3
1.	फुटकर व्यापार, खण्ड केन्द्र, उपखण्ड केन्द्र, सुलभ शॉपिंग	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें या मानकों में दर्शाये अनुसार सुविधा दुकानें अन्य परिसरों में अनौपचारिक दुकानें।
2.	शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय	5 से 6 इकाई प्रति 1000 कर्मकारों के लिये।
3.	थोक व्यापार एवं मालभाड़ा	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानों के लिए।
4.	चिकित्सालय	3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तरों के लिए
5.	बस विराम स्थल	प्रति 1 बस स्थल के लिए दो इकाईयां
6.	विद्यालय-प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, एकीकृत विद्यालय	3 से 4 इकाईयां 5 से 6 इकाईयां
7.	उद्यान-क्षेत्रीय, नगर उद्यान, निकटवर्ती उद्यान	8 से 10 इकाईयां प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार 2 से 3 इकाईयां
8.	आवासीय	1 इकाई प्रति 1000 जनसंख्या
9.	औद्योगिक	5 से 6 इकाई प्रति 1000 कर्मकार
10.	रेल्वे स्टेशन/बस स्थानक	परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर आधारित

टीप :- प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी।

4.7 औद्योगिक परिक्षेत्र

(1) औद्योगिक परिक्षेत्र के अभिन्यासों में आन्तरिक मार्गों की न्यूनतम चौड़ाई 15 मीटर होगी।

(2) औद्योगिक परिक्षेत्र में अभिन्यासों एवं औद्योगिक भूखण्डों के विकास के मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 48 अनुसार मान्य होंगे।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

4.8 अन्य सुविधाएं –

अभिन्यासों में सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताएं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 अनुसार मान्य होंगी।

4.8.1. सुविधाओं हेतु विकास मानक

सुविधाओं को स्थापित करने हेतु विकास मानक सारणी 4-सा-6 में दिये गये हैं। इन मानकों का पालन यंत्रीकृत साधनों की आवश्यकता को कम किये जाने की दृष्टि से किया जाना चाहिये।

सुविधाओं के विकास मानक

4-सा-6

सुविधाएँ/सेवाएँ	अनुशंसित अधिकतम पैदल दूरी (कि.मी.)
1	2
झूलाघर/नर्सरी विद्यालय	0.30
प्राथमिक शालाएं	0.80
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	1.50
टाट लाट	0.30
नेबरहुड खेल मैदान एवं उद्यान	0.30
पार्क एवं खेल मैदान	0.50
दुकानें व खेल मैदान	0.50
स्वास्थ्य केन्द्र	0.50
डाकघर	0.50
सामुदायिक भवन, वाचनालय	0.50
स्थानीय क्लब इत्यादि	0.75

4.8.2 खुले स्थलों एवं आमोद-प्रमोद क्षेत्रों के मापदण्ड

खुले स्थलों एवं आमोद-प्रमोद क्षेत्रों के मापदण्ड सारणी 4-सा-7 में दिये गये हैं।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

खुले स्थलों एवं आमोद-प्रमोद क्षेत्रों के मापदण्ड

4-सा-7

सुविधायें	निम्नतम भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर) प्रति हजार	निम्नतम प्रति इकाई (हेक्टेयर)	निम्नतम प्रति इकाई की चौड़ाई (मीटर)	सेवा हेतु सामान्य जनसंख्या	सेवा क्षेत्र की अधिकृत त्रिज्या (कि.मी.)
1	2	3	4	5	6
टाटलाट	0.03	0.03	15	1000	0.15
क्रीड़ा क्षेत्र	0.06	0.30	45	5000	0.30
क्रीड़ा मैदान	0.10	1.50	138	15000	0.50
नेवरहुड पार्क	0.20	0.75	60	5000	0.30
वृत्तखण्ड उद्यान	0.20	1.50	100	15000	0.30

नोट :- टाटलाट, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ांगन तथा दो स्तरों के स्थानीय उद्यानों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में परिभ्रमण एवं वाहन विराम की आवश्यकतायें शामिल हैं।

4.8.3 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन/ हरित क्षेत्र/पर्यावरण वानिकी संबंधी नियमन

संवेदनशील क्षेत्रों / हरित क्षेत्र/ पर्यावरण वानिकी वाले क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों का नियंत्रण निम्न नियमन के आधार पर किया जावेगा -

1. नदी, नाला एवं तालाबों के किनारे छोड़ा जाने वाला हरित/वृक्षारोपण का क्षेत्र कम से कम (9/15 /33 मीटर) क्षेत्र म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार होगा।
2. कीचड़, मल निकास, सेप्टिक टैंक निकास किसी भी स्थिति में नदी-नालों व तालाबों में प्रवाहित नहीं किया जावेगा।
3. पेट्रोलियम आधारित उर्वरकों का उपयोग कर जल स्रावों के कैचमेंट एरिया में कृषि कार्य को प्रतिबंधित किया जावेगा, जिससे कि तालाबों में जलीय घासफूस एवं अन्य ऐसी गतिविधियाँ जो भूमि कटाव करती हैं को रोका जा सके। संबंधित विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक उपाय किया जाना चाहिए।
4. तालाबों के किनारे के क्षेत्रों में अपने भवनों को व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक, गरडल मल लाईन, जब उसका निर्माण हो जाये, जोड़ना होगा।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

5. नियंत्रण क्षेत्र में आने वाले वर्तमान भवनों में अच्छादित क्षेत्र में या फर्शी क्षेत्रानुपात में वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी, बशर्ते कि पूर्व में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गयी हो।
6. तालाबों / नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के संवर्धन हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे एवं उनके किनारे न्यूनतम 30 मीटर का हरित क्षेत्र रखा जावेगा।
7. पुरातत्व महत्व के स्थानों के आसपास के क्षेत्रों का विकास, पुरातत्व विभाग के प्रावधानों अनुसार मान्य होगा।

4.8.4 प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्र

यह नगर प्रदेश के संवेदनशील भूकम्प क्षेत्र से बाहर होकर बी.आई.एस. जोन-2 के अंतर्गत आता है। फिर भी प्राकृतिक परिसंकट से सुरक्षा की दृष्टि से भवनों का निर्माण भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप होना चाहिए। सभी प्रकार के भवनों चाहे वे शासकीय, अर्द्ध शासकीय अथवा निजी हों, में निर्माण/पुनर्निर्माण की भवन अनुज्ञा देते समय म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों अनुसार संरचनात्मक डिजाईन मानकों का पालन स्थानीय निकायों द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

4.9 यातायात एवं परिवहन

4.9.1 मार्गों/गलियों की अनुशंसित चौड़ाई

नगर मार्ग तंत्र के विभिन्न स्तरों के मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई यातायात एवं परिवहन अध्याय में दी गई है। आवासीय क्षेत्रों में कल्डीसेक या लूप गलियों की चौड़ाई 7.5 से 9 मीटर अनुशंसित है। उच्च आय वर्ग के आवासीय क्षेत्र, जहां निजी वाहनों की संख्या अधिक होती है, में इन मार्गों की चौड़ाई 9 से 12 मीटर रखी जा सकती है। निकास मार्गों की अनुशंसित चौड़ाई म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 अनुसार मान्य होगी।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

4.9.2 मंदगति वाहनों हेतु मानक

साइकिल पथ का निर्माण उन मार्गों के साथ किया जाना चाहिये जहाँ मोटर वाहनों की संख्या 200 प्रति घण्टे से अधिक हो। प्रत्येक साइकिल पथ की न्यूनतम चौड़ाई 2.00 मीटर होना चाहिये तथा प्रत्येक अतिरिक्त लेन की चौड़ाई 1.00 मीटर होना चाहिये। इन साइकिल पथों का रूपांकन ऐसा हो जिससे अन्य वाहनों से यह सुरक्षित रहे। इस दृष्टिकोण से मार्ग संगम स्थलों पर इनके रूपांकन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। साइकिल पथों की चौड़ाई भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुसार होगी।

4.9.3 विराम स्थल

सड़कों के किनारे विराम स्थलों के मानक सारणी 4-सा-8 अनुसार होंगे। शेष वाहन विराम स्थलों संबंधी मानक म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 अनुसार होंगे।

सड़कों के किनारे कार विराम हेतु स्थल का आकार

4-सा-8

विराम का प्रकार	कर्व से वास्तविक चौड़ाई	कर्व लाइन से समानान्तर नापी गई प्रत्येक कार के लिए लंबाई की आवश्यकता (मीटर में)
1	2	3
समानांतर	2.50	5.90
30 ⁰	4.66	5.00
45 ⁰	5.31	3.54
60 ⁰	5.58	2.89
90 ⁰	5.00	2.50

- टीप:-
1. मार्ग चौड़ाई 20 मीटर से अधिक के लिए।
 2. मार्ग मध्य से पेडस्टल की दूरी भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा अनुशंसित मानक के अनुरूप होगी।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

4.9.4 यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक

यातायात/मैकेनिक नगर के मानक निम्नानुसार होंगे :-

यातायात/मैकेनिक नगर –नियोजन मापदण्ड

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|
| 1. अधिकतम भूखण्डों का प्रतिशत | : | 40 प्रतिशत |
| 2. आन्तरिक मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई | : | 18 मीटर |
| 3. सार्वजनिक सेवायें/सुविधायें | : | 05 प्रतिशत न्यूनतम |
| 4. पार्किंग | : | 15 प्रतिशत न्यूनतम |
| 5. उद्यान | : | 10 प्रतिशत न्यूनतम |

यातायात/मैकेनिक नगर में सुविधाओं के मानक सारणी 4-सा-9 अनुसार मान्य होंगे।

यातायात/मैकेनिक नगर के मानक

4-सा-9

अनुक्रमांक	कार्य का प्रकार	इकाईयाँ प्रति 100 ट्रक	अनुशंसित क्षेत्रफल की सीमा प्रति इकाई वर्गमी.
1.	2.	3.	4.
1.	माल बुकिंग कार्यालय एवं गोदाम	30-40	29-450
2.	कल पुर्जों की दुकानें	10-15	9-72
3.	यांत्रिक एवं विद्युत वर्कशाप	15-25	7.5-135
4.	टायर ट्यूब बिक्री दुकानें	12-20	7.5-90
5.	ढाबा	5-7	30-90
6.	चाय नास्ता दुकान	8-19	9-14
7.	पान सिगरेट दुकान	10-14	2-5
8.	नाई/सिलाई दुकान	1	10-15

4.9.5 यातायात नगर में सुविधाओं के मापदण्ड

प्रति 100 ट्रक के लिए विभिन्न सेवाओं के प्रावधान सारणी 4-सा-10 के अनुरूप होंगे।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

यातायात नगर में सुविधाओं के मापदण्ड

4-सा-10

अनु. क्रमांक	सुविधा	क्षेत्रफल प्रति इकाई (वर्गमी.)	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	बैंक	100	200 ट्रक पर कम से कम एक
2.	डाकघर	100	प्रत्येक अवसान बिन्दु पर एक
3.	पेट्रोल पंप	800	निर्गम/आगमन बिन्दु पर
4.	होटल, लॉज	600	ऊपर मंजिल पर
5.	चौकी	200	सामरिक स्थानों पर
6.	उपचार गृह	200	—
7.	अग्निशमन केन्द्र	200	—
8.	धर्मकांटा	300	निर्गम/आगमन बिन्दु पर

टीप :-

1. परिभ्रमण तंत्र:

अभिन्यास के मुख्य मार्ग न्यूनतम 18 मीटर चौड़े।

सेवाओं के सम्मुख द्वितीय मार्ग 12 से 15 मीटर चौड़े।

खुले क्षेत्रों के चारो ओर के मार्ग 12 से 15 मीटर चौड़े।

3. पार्किंग हेतु खुले स्थल 36 वर्गमीटर प्रति ट्रक के मान से जो मार्ग के समानान्तर पार्किंग बे मे या खुले यार्ड के रूप में होना आवश्यक है। यह क्षेत्र खुले क्षेत्र के अतिरिक्त होगा।

4.10 मिश्रित उपयोग हेतु नियमन

मिश्रित उपयोग अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियां पेरा 4.10.1 अनुसार मान्य होंगे। इन गतिविधियों के नियोजन मापदण्ड, इस अध्याय में उल्लेखित मापदण्डों अनुसार होंगे।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

4.10.1 आवासीय परिसर में स्वीकार्य अन्य उपयोग एवं गतिविधियाँ :-

(अ) मिश्रित उपयोग के अंतर्गत आवासीय भूखण्ड या प्लेट में अन्य उपयोग गतिविधियों की अनुज्ञा।

(ब) परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय पुराने शहर एवं प्रस्तावित विकास क्षेत्र के अलावा मिश्रित उपयोग गतिविधि मार्गों का चयन निम्नानुसार किया जाना चाहिये—

- (1) स्वीकार्य मिश्रित उपयोग के कारण अतिरिक्त यातायात भार से संबंधित मार्ग में वहन करने की क्षमता का विश्लेषण किया जावेगा।
- (2) मिश्रित उपयोग के कारण नगरीय सेवायें एवं क्षेत्र विशेष की पर्यावरणीय आवश्यकता के परिपेक्ष्य में आवश्यकता के अनुरूप विश्लेषण किया जावेगा।
- (3) यातायात/पार्किंग समस्या के निराकरण हेतु यातायात अध्ययन के एक भाग के रूप में मुक्त पदयात्री मार्ग/क्षेत्र एवं एकांकी मार्गीय यातायात व्यवस्था आंकलन कर निर्धारण किया जावेगा।

ऐसी स्थिति में जब किसी क्षेत्र/मार्ग पर मिश्रित उपयोग की ग्राह्यता के परिपेक्ष्य में स्वीकृति दी जाती है तो यह स्वीकृति निम्न बिन्दुओं द्वारा नियंत्रित होगी :-

(1) स्वीकृत वाणिज्यिक गतिविधि केवल भूतल पर 12 मीटर अथवा इससे अधिक चौड़े मार्ग पर ही मान्य होगी, जो कि स्वीकार्य कुर्सी क्षेत्रफल में मार्ग चौड़ाई की गहराई तक ही सीमित होगी।

(2) उपरोक्त मिश्रित उपयोग अंतर्गत निम्न गतिविधियाँ निषिद्ध होगी :-

- (क) फुटकर दुकानें – भवन निर्माण सामग्री गतिविधि (लकड़ी, लकड़ी का उत्पाद, लोहा, स्टील और रेत, जलाऊ कोयला)
- (ख) मरम्मत की दुकानें – ऑटोमोबाइल्स, रिपेयर एवं कर्मशाला
- (ग) सेवा दुकानें, बैंक
- (घ) उपचार गृह (नर्सिंग होम)
- (ङ) गोदाम, भण्डागृह, भण्डारण
- (च) निर्माण इकाईयाँ (गृह उद्योग को छोड़कर)
- (छ) कबाड़खाना

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

- (द) ऐसे प्रकरणों में जहाँ मिश्रित भू-उपयोग विचारणीय होगा, आवेदक को सामने से सेटबैंक को बिना शर्त स्थानीय संस्था को मार्गाधिकार एवं पार्किंग हेतु देना होगा।

ऐसे क्षेत्र का अभिन्यास (स्थल मानचित्र) निम्न बिन्दुओं के साथ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगा:—

- (अ) मानक क्षमता के अनुरूप पार्किंग सुविधा
(ब) अन्य सेवा-सुविधाएं
(स) भू-दृश्यीकरण
(द) निर्धारित सड़क राइट आफ वे।
(इ) उपयोग गतिविधि में परिवर्तन हेतु हितग्राही से निम्न पर आधारित शुल्क दिया जावेगा :—

1. पार्किंग, भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना की प्रस्तावित लागत।
2. आवासीय तथा गैर आवासीय गतिविधि/उपयोग क्षेत्रों का अंतर मूल्य।

4.10.2 उद्देशित मिश्रित भू-उपयोग—

आवासीय क्षेत्र में यथोचित स्थल पर ऐसे भूखण्ड समूह प्रावधानित किये जावे जिनमें भूतल पर उद्देशित दुकानें एवं गृह उद्योग तथा प्रथम तल पर आवास प्रस्तावित हो।

4.11 उपयोग परिक्षेत्र के विकास नियमन

4.11.1 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकार्य उपयोग

विकास योजना में उपयोग परिक्षेत्र एवं उपयोग श्रेणियों में सारणी 4-सा-11 अनुसार स्वीकृत उपयोग परिसर अनुमत होंगे :—

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति

4-सा-11

अनु.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
1.	आवासीय	
	आवासीय	आवासीय भूखण्डीय विकास, एपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मेरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी, हॉल, मेरिज गार्डन, बाल गृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूलाघर/डे-केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/ नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य/नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थाएं/अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय,

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, आरचर्ड/नर्सरी, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टारेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कम्प्यूटर सेंटर, स्थानीय निकाय कार्यालय / फायर ब्रिगेड।
2	वाणिज्यिक	
	सामान्य वाणिज्यिक	अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मेरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम/ कम्प्यूनिटी, हॉल, मेरिज गार्डन, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल का मैदान, पार्क, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, मनोरंजन क्लब, लाइब्रेरी, म्यूजियम बैंक/ए.टी.एम., रेस्टारेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर, माल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस क्लब।
	थोक वाणिज्यिक	थोक बाजार, अत्यावश्यक अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, कम्प्यूनिटी, हॉल, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल मैदान, पार्क, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, मनोरंजन क्लब, लाइब्रेरी, म्यूजियम बैंक/ए.टी.एम., रेस्टारेंट, कम्प्यूटर सेंटर, माल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस क्लब।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
	मण्डी	<p>मण्डी, अत्यावश्यक अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, कम्यूनिटी, हॉल, मेरिज गार्डन, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेल मैदान, पार्क, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस, निजि व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिकी, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, मनोरंजन क्लब, लाइब्रेरी, म्यूजियम बैंक/ए.टी.एम., रेस्टारेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर, माल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस क्लब।</p> <p>नोट : उपरोक्त समस्त गतिविधियां मण्डी परिसर के अभिन्यास के साथ ही स्वीकृत होगी।</p>
	यातायात नगर	<p>यातायात नगर, अत्यावश्यक अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, कम्यूनिटी, हॉल, छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग</p>

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		<p>मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस, निजि व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिकी, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, मनोरंजन क्लब, लाइब्रेरी, म्यूजियम बैंक/ए.टी.एम., रेस्टारेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर, माल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस क्लब।</p> <p>नोट : उपरोक्त समस्त गतिविधियां यातायात नगर परिसर के अभिन्यास के साथ ही स्वीकृत होगी।</p>
3.	औद्योगिक	<p>औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनीकल प्रयोगशाला, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, प्रिंटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस, फेलेटेड फैक्टरी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थाएँ/ अर्द्धशासकीय/ शासकीय कार्यालय,</p>

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर , बैंक / ए.टी.एम. रेस्टोरेंट ।
4.	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक	अतिथि गृह/ रेस्ट हाउस, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूला घर/डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र-ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील), सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, विश्व विद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलोटैक्नीक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता, ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थाएँ/

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र।
5.	सार्वजनिक उपयोगिताएँ	अग्निशमन स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर / स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, रख रखाव कार्यालय, यातायात सुविधाएं, संचार सुविधाएं, अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी कार्य।
6.	यातायात एवं परिवहन	रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाईन/ रेल्वे साइडिंग/ यार्ड/ आपरेशनल एरिया, बस स्टेण्ड, बस डिपो, ट्रक टर्मिनल, नगर, हवाई पट्टी, माल गोदाम, शीतगृह, सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशाप, अनुशांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटेल, होटल, पेट्रोल पम्प।
7.	आमोद-प्रमोद	
	क्षेत्रीय/नगर उद्यान / मनोरंजन	खेल का मैदान , पार्क, एम्युजमेंट पार्क, मनोरंजन साईट, क्लब रिसोर्ट, घुड़सवारी, जिम्नेजियम मय, वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, आरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाइंग क्लब, फिटनेस क्लब, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		<p>उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, वाटर पार्क मय राइडर कियोस्क, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, संग्रहालय, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, पम्प हाउस, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।</p> <p>नोट:- उपरोक्त गतिविधियां उन नगर उद्यानों में स्वीकृत होंगी जिनका क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक हो।</p>
	स्टेडियम/खेल मैदान/	<p>स्टेडियम/खेल मैदान, नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, क्लब/रिसोर्ट, घुड़सवारी प्रशिक्षण, जिम्मेजियम, वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, आरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फलाईंग, फिटनेस क्लब, मेला स्थल, नर्सरी, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, पम्प हाउस, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।</p>
	मेला मैदान	<p>मेला मैदान, खेल का मैदान, पार्क, एम्युजमेंट पार्क, क्लब, घुड़सवारी, जिम्मेजियम, वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम-अस्थाई प्रकृति के, आरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फलाईंग, फिटनेस क्लब, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर-अस्थाई प्रकृति के, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।</p>

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
	हरित क्षेत्र	खेल का मैदान नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी प्रशिक्षण, वोट क्लब, आरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फलाईंग, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, खेल उद्यान, पम्प हाउस, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान।
	वृक्षारोपण	पर्यावरण वानिकी, खेल का मैदान नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी, वोट क्लब, आरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट-अस्थाई प्रकृति की, वाटर पार्क, पर्यटक/ कुटीर-अस्थाई प्रकृति की, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/ सुविधाएं।
8	आरक्षित वन	वन विभाग के प्रावधानों अनुसार
9	कृषि	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है। श्मशान घाट/कब्रस्तान, जल-मल शोधन केन्द्र, ईट भट्टे दुग्ध डेयरी, तेल डिपो/पेट्रोल पम्प, फार्म हाउस, वेयर हाऊस, गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण, शासकीय/ अर्द्ध-शासकीय/ पंजीकृत संस्थाओं द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य/शैक्षणिक गतिविधियाँ, ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ (क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हाल, मैरिज गार्डन, बालगृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम,

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		<p>सुविधाजनक दुकानें, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता ब-शारीरिक विकलांगता), स्थानीय संस्थाओं/अर्द्ध शासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी, लाइब्रेरी, सेवाओं/सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट) ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, मैरिज गार्डन, शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, डेरी प्लांट स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, शासन द्वारा प्रस्तावित स्मार्ट सीटी।</p>

4.11.2 उपयोग परिक्षेत्रों/परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण :-

सारणी क्र. 4-सा-11 में उल्लेखित उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड, सारणी क्र. 4-सा-12 से 4-सा-13 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

उपयोग परिसरों के नियोजन मापदंड एवं अन्य नियंत्रण

4-सा-12

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
शैक्षणिक गतिविधियां											
1.	वोकेशनल संस्थान (व्यवसाय संबंधी)	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
2.	विश्वविद्यालय	यू.जी.सी. मानक अनुसार	30.00	—	—	—	—	—	—	&	फ्रण्टेज =100 मी.
	अ-प्रशासकीय	भूमि का 45 प्रतिशत	—	30	1:1.25	12.50	30.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्ट एम.ओ.एस. केवल फ्रण्ट साईड में
	ब-आवासीय	भूमि का 25 प्रतिशत	—	30	1:1.25	12.50	30.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्ट एम.ओ.एस. केवल फ्रण्ट साईड में
	स-खेल एवं सांस्कृतिक	भूमि का 15 प्रतिशत	—	10	1:0.15	12.50	30.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्ट एम.ओ.एस. केवल

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
	गतिविधि										फ्रण्ट साईड में
	द-पार्क एवं लैंड स्केप (प्राकृतिक भू दृश्यीकरण)	भूमि का 15 प्रतिशत	—	5	1:0.05	आवश्यकता अनुसार	12.00	6.00	6.00	-	एम.ओ.एस. छोड़कर ही निर्माण कार्य हेतु
3.	शैक्षणिक महाविद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 60 मी.
4.	चिकित्सा / इंजीनियरिंग महाविद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज =75 मी.
5.	अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज =75 मी.
6.	पॉलीटेक्नीक	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	15.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 60 मी.
7.	माध्यमिक / सेकण्डरी	म.प्र. भू.वि.नि.	12.00	35	1:1.25	12.50	15.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 45 मी.

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
	विद्यालय	अनुसार									
8.	प्राथमिक विद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	15.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
9.	नर्सरी स्कूल	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
10.	प्ले स्कूल	म.प्र. 0.10 अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
11.	समन्वित आवासीय विद्यालय	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज =45 मी.
12.	विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=100	फ्रण्टेज = 30 मी.
13.	व्यवसायिक प्रबंधन संस्थान	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 45 मी.
14.	व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	7.50	7.50	A=75	फ्रण्टेज =45 मी.

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
15.	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	7.50	7.50	A=75	फ्रण्टेज = 40 मी.
16.	संगीत / नृत्य / नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
17.	कोचिंग इन्स्टीट्यूट (शिक्षण संस्थान)	0.20	18.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
18.	कोचिंग सेंटर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
19.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
20.	शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 30 मी.
21.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 45 मी.
22.	नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
23.	होटल मैनेजमेंट संस्थान	0.80	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 40 मी.
24.	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 50 मी.
25.	अन्य शैक्षणिक संस्थान	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 50 मी.
26.	आई.टी.आई.	तकनीकी शिक्षा विभाग अनुसार	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 75 मी.
27.	किंडर गार्डन स्कूल	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
28.	ड्राइविंग स्कूल	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	7.50	7.50	A=75	फ्रण्टेज = 45 मी.
29.	प्रयोगशाला	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 50 मी.

LokLF; xfrfof/k;ki

सीछेर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
30.	सामान्य चिकित्सालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.50	12.50	15.00	9.00	9.00	A=50	फ्रण्टेज= 40.00 मी.
31.	विशिष्ट / सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.50	12.50	15.00	9.00	9.00	A=50	फ्रण्टेज =40.00 मी.
32.	क्लिनिक / डिस्पेंसरी	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
33.	प्रसूति गृह	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
34.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
35.	नर्सिंग होम	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
36.	पॉलिक्लिनिक	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
37.	क्लीनिकल प्रयोगशाला	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज =20 मी.

सीहोर विकास योजना 2039 (प्राारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
38.	पेथोलॉजी लैब	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
39.	पालतू पशु क्लिनिक	0.05	12.00	35	1:0.50	7.50	6.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज =15 मी.
40.	पालतू पशु औषधालय	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
41.	डायग्नोस्टिक सेन्टर	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.
42.	ब्लड बैंक	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
43.	रेड क्रॉस केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
44.	फिजियोथेरेपी केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
45.	एक्सरे / रेडियोलॉजी	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज =20 मी.
रहवासी गतिविधियाँ											
46.	कामकाजी महिला छात्रावास	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.

सीछेर विकास योजना 2039 (प्राखूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
47.	बालगृह	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज =25 मी.
48.	बाल सुधार गृह	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
49.	झूलाघर / डे-केयर सेंटर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
50.	अनाथालय	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
51.	वृद्धाश्रम	0.25	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
52.	धर्मशाला	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
53.	लॉजिंग	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज=25 मी.
54.	लॉजिंग एवं बोर्डिंग	0.15	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज=25 मी.
55.	होस्टल	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
56.	बोर्डिंग	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
57.	रेस्ट हाउस / अतिथि गृह	0.40	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज =45 मी.
58.	रात्रि विश्राम गृह	0.05	12.00	35	1:1.50	7.50	6.00	4.50	4.50	-	फ्रण्टेज =25 मी.
59.	सर्किट हाउस	0.75	30.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज =75 मी.
60.	भूखण्डीय विकास	2.00	6.00	30-60 एकल भूखण्ड पर	1:1.25	12.50	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	A=100	(1) फ्रण्टेज = ले-आउट अनुसार, (2) खुला क्षेत्र =10 प्रतिशत, (3) सेवा क्षेत्र = 1.5 प्रतिशत
61.	ग्रूप हाउसिंग	0.40	15.00	35	1:1.50	12.50	9.00	7.50	7.50	A=100	-
62.	अपार्टमेन्ट हाउसिंग	0.0425	12.00	33	1:1.40	12.50	7.50	4.50	4.50	A=100	(1) फ्रण्टेज = 25 मी., (2) ऐसे भूखण्ड,

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
											भूखण्डीय विकास का भाग होना चाहिये
63.	स्वयं का आवास	0.005	9.00	30	1:1.25	12.50	6.00	3.00	3.75	A=100	(1) फ्रण्टेज= 15 मी. (2) इससे छोटे भूखण्ड केवल तभी मान्य होंगे जहां भूखण्डीय विकास या ग्रुप हाउसिंग या अपार्टमेंट हाउसिंग मान्य करना संभव न हो।
वाणिज्यिक गतिविधियाँ											
64.	शापिंग माल	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.50	12.00	7.50	7.50	A=50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
65.	मल्टीप्लेक्स	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.50	12.00	7.50	7.50	A=50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
66.	सुपर मार्केट / डिपार्टमेंटल स्टोर्स	0.25	18.00	33	1:1.75	12.50	15.00	7.50	7.50	A=50	फ्रण्टेज = 30 मी.
67.	कैफेटेरिया	0.15	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
68.	कन्वेंशन सेंटर	2.00	30.00	30	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=20	फ्रण्टेज =100 मी.
69.	सुविधाजनक दुकानें	—	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=50	(1) फ्रण्टेज त्र 20 मी. (2) भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल भूमि के 3 प्रतिशत के बराबर
70.	स्थानीय दुकाने	—	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50 %	(1) फ्रण्टेज=30 मी (2) भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल भूमि के क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत के बराबर
71.	साप्ताहिक हाट बाजार	0.30	12.00	35	1:1.25	04.50	9.00	4.50	4.50	A=25	फ्रण्टेज =40 मी.

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
72.	व्यवसायिक कॉर्पोरेट कार्यालय	0.20	18.00	35	1:1.75	12.50	12.00	6.0	6.0	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
73.	सिनेमा हाल	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=30	फ्रण्टेज = 30 मी.
74.	होटल	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
75.	मोटल	0.75	24.00	25	1:0.75	12.50	15.00	10.0	10.0	A=25	(1) राष्ट्रीय राजमार्गों / राजमार्गों / समस्त क्षेत्रीय मार्गों / बायपास मार्गों पर (2) फ्रण्टेज=40 मी.
76.	रेस्टॉरेंट	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.
77.	ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	A=50	—
78.	व्यवसाय	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 15 मी.
79.	ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर	0.15	15.00	30	1:1.25	12.50	12.00	7.50	7.50	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
	गैरेज एवं वर्कशाप										
80.	स्टोरेज / गोदाम अज्वलनशील पदार्थ	0.10	12.00	30	1:0.75	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
81.	स्टोरेज ज्वलनशील पदार्थ डीजल आदि	संबंधित मानक अनुसार	18.00	25	1:0.50	12.50	30.00	20.00	20.00	A=50	(1) फ्रण्टेज=35 मी. (2) निर्मित क्षेत्र के चारों ओर 20.00 मी. स्थान खुला रखना होगा।
82.	जंकयार्ड	0.20	12.00	25	1:0.25	12.50	15.00	10.00	10.00	A=50	फ्रण्टेज = 40 मी.
83.	वेयर हाउस / स्टोरेज / एफ.एम.सी.जी. गोदाम	0.60	15.00	30	1:0.75	12.50	15.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
84.	कॉल सेन्टर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
85.	ए.टी.एम.	—	12.00	—	—	—	—	—	—	—	3.00 मीटर र 3.00 मीटर का निर्माण

सीछेर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
											एम. ओ.एस. स्पेस को छोड़कर, निर्मित किये जा सकने वाले क्षेत्र में स्वीकार्य होगा।
86.	मैरिज हाल	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
87.	बारात घर	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
88.	कल्याण मंडपम	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
89.	मांगलिक भवन	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
90.	मेरिज गार्डन	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 50 मी.
91.	कार्गो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	1.00	30.00	25	1:0.50	12.50	15.00	6.00	6.00	A=30	फ्रण्टेज = 100 मी.
92.	ऑटो मोबाईल शोरूम मय सर्विस स्टेशन / वाहन विक्रय केन्द्र के या बिना इन सुविधाओं के	0.20	24.00	30	1:1.0	12.50	15.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 40 मी.
93.	प्रिंटिंग प्रेस	0.10	18.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.0	6.0	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
94.	पेट्रोलियम उत्पाद डिपो	2.00	30.00	30	1:1.00	12.50	30.00	20.00	20.00	A=50	फ्रण्टेज = 60 मी.

सीहोर विकास योजना 2039 (प्राारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
95.	गैस गोडाउन	—	18.00	30	1:1.00	12.50	—	—	—	A=50	(1) फ्रण्टेज =25 मी. (2) निर्मित क्षेत्र के चारों ओर 15.00 मी. स्थान खुला रखना होगा।
96.	अनाज मण्डी	2.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=50	फ्रण्टेज = 75 मी.
97.	सब्जी / फल मण्डी	0.60	24.00	35	1:1.50	12.50	24.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 45 मी.
98.	लोहा मण्डी	2.00	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 75 मी.
99.	भवन सामग्री यार्ड	1.50	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 75 मी.
100.	सी.एन.जी. केन्द्र	0.15	24.00	15	1:0.15	6.00	12.00	10.00	10.00	A=15	फ्रण्टेज = 35 मी.
101.	सर्विस स्टेशन	0.10	18.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.0	6.0	A=50	फ्रण्टेज= 25 मी.
102.	ब्यूटी पार्लर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
103.	तौल कांटा	0.15	18.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.0	6.0	A=50	फ्रण्टेज = 40 मी.
104.	थोक मार्केट	2.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 75 मी.
105.	दवाई मार्केट	1.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
106.	स्टेशनरी मार्केट	1.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
107.	ऑटोमोबाईल मार्केट	1.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज 50 मी.
108.	फायर वर्कस मार्केट	1.00	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज 50 मी.
109.	सर्राफा मार्केट	1.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज 50 मी.
110.	क्राकरी मार्केट	1.00	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज 50 मी.
111.	कपड़ा मार्केट	1.00	24.00	35	1:1.50	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज 50 मी.
112.	बर्तन बाजार	1.00	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज 50 मी.
113.	मरम्मत बाजार	0.20	24.00	30	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज 25 मी.
114.	टिम्बर मार्केट	1.00	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज 50 मी.
115.	केमिकल बाजार	0.40	24.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज 50 मी.
116.	ई-चौपाल	0.25	18.00	30	1:1.50	12.50	15.00	9.00	9.00	A=50	फ्रण्टेज 25 मी.
117.	कम्प्यूटर सेंटर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.25	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज 25 मी.
118.	इन्फार्मल शॉपिंग	0.10	12.00	35	1:1.25	12.25	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज 25 मी.
119.	बैंक्वेट हॉल	0.50	24.00	35	1:1.50	12.50	24.00	10.00	10.00	A=20	फ्रण्टेज 50 मी.
120.	एफ.एम.सी.जी. गोडाउन	0.50	24.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज 50 मी.

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
121.	वेयर हाउस	0.50	24.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज 50 मी.
122.	कोल यार्ड	0.50	24.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज 50 मी.
123.	मीट मार्केट	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज 50 मी.
124.	सायबर केफे	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज 25 मी.
125.	ढाबा	0.30	24.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज 50 मी.
126.	रेल / एयर टिकिट घर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज 25 मी.
सांस्कृतिक गतिविधियाँ											
127.	खुला रंगमंच	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	1:0.15	12.50	15.00	9.00	9.00	A=20	फ्रण्टेज 30 मी.
128.	योग केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज 25 मी.
129.	अध्यात्मिक केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज 25 मी.
130.	सांस्कृतिक / सूचना केन्द्र	0.15	15.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.0	6.0	A=50	फ्रण्टेज 25 मी.
131.	सामाजिक कल्याण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज 25 मी.

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
132.	लाइब्रेरी	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज 25 मी.
133.	धार्मिक परिसर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज 25 मी.
134.	कॉन्फ्रेन्स हॉल / प्रदर्शनी केन्द्र	1.00	24.00	30	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज 25 मी.
135.	नाट्य गृह	0.40	24.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=40	फ्रण्टेज 30 मी.
136.	कम्प्यूनिटी हॉल	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज 25 मी.
137.	स्वयं सेवी संस्थान	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज 25 मी.
138.	क्रेच / झुलाघर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज 25 मी.
139.	आर्ट / गैलेरी संग्रहालय	0.05	18.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज 25 मी.
खेल / मनोरंजन गतिविधियां											

सीहोर विकास योजना 2039 (प्राारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
140	खेल का मैदान / नेबरहूड पार्क	खेल / पार्क की आवश्यकता नुसार	खेल / पार्क की आवश्यकता नुसार	.	.	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	फ्रण्टेज 25 मी.
141	गोल्फ कोर्स	भारतीय खेल प्राधि. के मानक अनुसार	18.00	15	1:0.15	आवश्यकता अनुसार	15.00	9.00	9.00	A=15	(1) एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में। (2) फ्रण्टेज 75 मी.
142	एम्यूजमेंट पार्क / मय राईड्स, कियोस्क, संधारण कार्यालय, डांस फ्लोर सहित या बिना इन सुविधाओं के	4.0	18.00	20	1:0.10	आवश्यकता अनुसार	15.00	9.00	9.00	A=15	(1) एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में (2) फ्रण्टेज 75 मी.
143	क्लब / रिसोर्ट	0.40	15.00	20	1:0.30	12.50	15.00	10.00	10.00	A=25	फ्रण्टेज 40 मी.

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
144	घुड़सवारी प्रशिक्षण स्कूल	4.00	18.00	20	1:0.25	12.50	10.00	10.00	6.00	A=25	(1) भारतीय खेल प्राधि.की निर्धारित शर्तों अनुरूप। (2) फ्रण्टेज 100 मी.
145	जिम्नेजियम मय पूल गेम, स्नेकस एवं जूस शॉप, योग केन्द्र या इन सुविधाओं बिना	0.20	18.00	30	1:0.00	12.50	12.00	7.50	10.00	A=50	फ्रण्टेज 30 मी.
146	बोट क्लब	भारतीय खेल प्राधि. के मानक अनुसार	15.00	15	1:0.15	आवश्यक तानुसार	15.00	9.00	9.00	A=15	(1) एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में। बोट क्लब का निर्माण जल तट से लग कर आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा। (2) फ्रण्टेज 75 मी.

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
147	आंतरिक स्टेडियम	खेल की आवश्यकता नुसार	12.00	25	1:0.75	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज 40 मी.
148	स्टेडियम	खेल की आवश्यकता नुसार	30.00	30	1:0.00	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज 75 मी.
149	स्पोर्ट्स काम्पलेक्स	खेल की आवश्यकता नुसार	18.00	35	1:0.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज 30 मी.
150	आरचर्ड	0.10	12.00	20	1:0.25	7.00	9.00	6.00	6.00	A=75	—.
151	तरणताल	0.40	12.00	25	1:0.00	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज 30 मी.
152	पिकनिक हट	0.25	12.00	15	1:0.25	7.50	12.00	9.00	9.00	A=20	—.

सीहोर विकास योजना 2039 (प्राारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
153	पलाइंग क्लब	0.40	18.00	30	1:0.00	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज 25 मी.
154	फिटनेस क्लब	0.25	15.00	35	1:1.25	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज 30 मी.
155	मेला मैदान	आवश्यकता नुसार	18.00	20	1:0.75	7.50	15.00	9.00	9.00	A=15	फ्रण्टेज 30 मी.
156	नर्सरी	0.10	12.00	30	1:0.75	9.00	9.00	6.00	6.00	A=15	-.
157	पक्षी अभयारण्य	1.00	18.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज 60 मी.
158	वनस्पति उद्यान	2.00	18.00	20	1:0.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज 75 मी.
159	प्राणी उद्यान	2.00	18.00	20	1:0.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज 75 मी.
160	मत्स्यालय	1.00	18.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज 60 मी.

सीहोर विकास योजना 2039 (प्राारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
161	केम्पिंग साइट	1.00	18.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज त्र 60 मी.
162	वाटर पार्क मय राईड्स, कियोस्क संधारण कार्यालय, डांस फ्लोर सहित या बिना इन सुविधाओं के	4.00	18.00	20	1:0.10	आवश्यकता अनुसार	15.00	9.00	9.00	A=15	(1)एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में। (2) फ्रण्टेज 75 मी.
163	रिसार्ट पर्यटक / कुटीर	1.00	18.00	20	1:0.25	9.00	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज 75 मी.
शासकीय गतिविधियां											

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
164	शासकीय / अर्द्ध शासकीय कार्यालय / उपक्रम , अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित,	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	10.00	5.00	5.00	A=75	(1)फ्रण्टेज 25 मी.। (2)स्टाफ क्वार्टर का अधिकतम क्षेत्र निर्माण हेतु स्वीकार्य क्षेत्र का 20 प्रतिशत
165	न्यायालय	आवश्यकता अनुसार	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=25	फ्रण्टेज 60 मी.
166	जेल	आवश्यकता अनुसार	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=25	फ्रण्टेज 60 मी.
167	स्थानीय निकाय कार्यालय	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=25	फ्रण्टेज 60 मी.
168	पुलिस स्टेशन	म.प्र. भू.वि.नि.	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज 25 मी.

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
		अनुसार									
169	पुलिस पोस्ट	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज 25 मी.
170	बैंक	0.10	18.00	35	1:1.50	12.50	12.00	7.50	7.50	A=40	फ्रण्टेज 30 मी.।
सार्वजनिक सेवाएँ सुविधाएं											
171	शासकीय / अर्द्ध शासकीय कार्यालय / उपक्रम , अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित,	आवश्यकता अनुरूप	9.00	35	1:1.25	12.50	10.00	5.00	5.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.।
172	पोस्ट ऑफिस	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
173	दूरसंचार टावर / स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
174	जल शोधन संयंत्र	आवश्यकता अनुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज =40 मी.
175	कम्बाईन्ड ट्रिटमेंट प्लान्ट	आवश्यकता अनुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज =40 मी.
176	वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र	आवश्यकता अनुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज = 40 मी.
177	दूर संचार केन्द्र	0.15	12.00	35	1:1.25	आवश्यकता अनुसार	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 30 मी.
178	ट्रांसमिशन टावर / वायर लेस स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	A=50	फ्रण्टेज =30 मी.
179	रेडियो स्टेशन	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
180	वैधशाला	आवश्यकता अनुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
181	अग्निशमन केन्द्र	आवश्यकता अनुसार	15.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
182	टेलीविजन स्टेशन	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी. ।
183	मौसम कार्यालय	आवश्यकता अनुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी
184	विद्युत सब स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	आवश्यकता अनुसार
185	शमशान / कब्रस्तान / सिमीट्री	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	आवश्यकता अनुसार
186	दूर संचार टावर	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	आवश्यकता अनुसार

सीछेर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
187	गौशाला	0.25	12.00	35	1:0.50	9.00	12.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 18 मी.
188	उपग्रह ट्रेकिंग स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:0.25	12.50	24.00	12.00	12.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
189	दूरभाष केन्द्र	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
190	विन्ड मिल्स / फार्म	आवश्यकता अनुसार	12.00	20	1:0.25	आवश्यकता अनुसार	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
191	सार्वजनिक मुत्रालय	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	5.00	3.00	3.00	-	फ्रण्टेज त्र 9 मी.
192	विद्युत शवदाह गृह	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
193	ओवर हेड पानी की टंकी	आवश्यकता अनुसार	7.50	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	.	फ्रण्टेज = 18 मी.
194	भूमिगत पानी की टंकी	आवश्यकता अनुसार	7.50	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	9.00	6.00	6.00	.	फ्रण्टेज = 18 मी.।

सीछेर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
				अनुसार	अनुसार						
195	ऑक्सीडेशन पौंड	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	.	फ्रण्टेज = 24 मी.।
196	सेप्टिक टैंक	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	.	फ्रण्टेज = 18 मी.।
197	सार्वजनिक शौचालय	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	9.00	4.50	4.50	.	फ्रण्टेज = 18 मी.।
198	घूरा एवं कचराघर	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	.	फ्रण्टेज 18 मी.
199	धोबी घाट	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	.	फ्रण्टेज 18 मी.

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
200	औद्योगिक सुविधायें एग्री स्ट्र उद्योग	0.20	15.00	40	1:1.0	12.50	12	6.00	6.00	A=75	(1) भूखण्ड के चारों ओर 3.0 मीटर चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण करना होगा। (2) फ्रण्टेज 25 मी.।
201	डेयरी प्लांट	0.75	18.00	35	1:1.00	12.50	15	6.00	6.00	A=20	(1) भूखण्ड के चारों ओर 3.0 मीटर चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण करना होगा। (2) फ्रण्टेज 30 मी.।
202	औद्योगिक भूखण्डीय विकास	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	A=50	.
203	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	0.10	15.00	35	1:1.50	12.50	10.00	5.00	5.00	A=50	फ्रण्टेज 25 मी.।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
204	डेशी प्लांट	0.40	18.00	35	1:1.00	12.50	18.00	9.00	9.00	A=50	फ्रण्टेज 40 मी.।
205	स्लाटर हाउस	0.20	15.00	35	1:1.00	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज 30 मी.।
206	फेलेटेड फैक्ट्री	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	A=50	—
207	एक्सटेंसिव / विशिष्ट एक्सट्रेटिव उद्योग	.	12.00	—	—	—	—	—	—	-	खनिज विभाग के नियम अनुसार
208	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	10.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज 25 मी.।
209	फूड पार्क	2.00	24.00	40	1:1.00	12.50	18.00	9.00	9.00	A=40	फ्रण्टेज 75 मी.।
210	साफ्टवेयर पार्क	2.00	24.00	40	1:1.00	12.50	18.00	9.00	9.00	A=40	फ्रण्टेज 75 मी.।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
211	दुग्ध केन्द्र	0.50	18.00	40	1:1.00	12.50	18.00	9.00	9.00	A=40	फ्रण्टेज = 75 मी.।
	यातायात सुविधायें										
212	बस स्टेण्ड	1.50	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 100 मी
213	बस टर्मिनल	1.50	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 100 मी.
214	पिकअप स्टेशन	0.80	18.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज =50 मी.
215	बस स्टॉप	आवश्यकता नुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	—	—	—	आवश्यकता अनुसार	मार्ग की भूमि को छोड़कर, बाईं लेन में।
216	यातायात नगर	4.00	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज =100 मी.।
217	मेकेनिक नगर	2.00	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज =75 मी.।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्राारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
218	ऑटो स्टेण्ड / टैक्सी स्टेण्ड	0.25	15.00	15	1:0.30	07.50	15.00	9.00	9.00	पार्किंग एक कार प्रति 15.00 वर्ग मी. उपलब्ध भूमि की दर से	फ्रण्टेज =75 मी. ।
219	मल्टी लेवल पार्किंग	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	A=50	फ्रण्टेज =75 मी. ।
220	बस डिपो / कर्मशाला	1.50	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 100 मी. ।
221	कार्गो	2.00	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 100 मी. ।
222	पार्किंग	आवश्यकता नुसार	12.00	—	—	—	6.00	6.00	6.00		फ्रण्टेज =18 मी. ।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
223	कन्टेनर डिपो	2.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज =75 मी.।
224	ड्राई पोर्ट / कन्टेनर डिपो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	2.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज =75 मी.।
225	हेलीपेड	आवश्यकता अनुसार	18.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	A=15	फ्रण्टेज = 150 मी.
226	रेल्वे स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	30.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	A=15	फ्रण्टेज = 75 मी.
227	धर्म कांटा / वेविंग ब्रिज	0.15	24.00	15	1:0.25	7.50	15.00	9.00	9.00	A=15	फ्रण्टेज = 30 मी.

सीछेर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
	ग्रामीण क्षेत्र गतिविधियां										
228	मुर्गी पालन केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.
229	फॉर्म हाउस	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	A=50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
230	डेयरी	0.20	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.
231	पशु पालन केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.
232	पशु शोध केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.
233	ग्रामीण केन्द्र	0.20	9.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.

सीछेर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
234	अनाज गोदाम	0.20	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.
235	भवन सामग्री योर्ड	0.20	12.00	10	1:0.15	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.
236	मेरिज गार्डन	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
237	ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.
238	कृषक परामर्श / सहायता केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.।
239	आंगनवाड़ी	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.।
240	औषधालय	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
241	कृषि उपकरण कर्मशाला	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.।
242	चौपाल	0.20	12.00	10	1:0.15	7.50	12.00	6.00	6.00	-	फ्रण्टेज = 24 मी.।
243	उत्सव स्थल	0.40	12.00	10	1:0.15	7.50	12.00	6.00	6.00	A=25	फ्रण्टेज = 24 मी.।

' 12.50 से ऊंचे भवनों हेतु सभी मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 अनुसार मान्य होंगे। "म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार" से आशय है "मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों अनुसार से"

नोट :- 1. सक्षम अधिकारी, उपरोक्त सारणी क्र 4-सा-11 में उल्लेखित गतिविधियों के समतुल्य अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकेगा। सक्षम अधिकारी सारणी क्र 4-सा-12 में उल्लेखित परिसरों में सहायक गतिविधियों सारणी 4-सा-13 में उल्लेखित मापदण्डों के आधार पर दे सकेगा।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

4.11.3 उपयोग परिसरों में सहायक गतिविधियों संबंधी नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

सारणी क्र. 4-सा-11 एवं 4-सा-12 में उल्लेखित उपयोग परिसरों में मान्य की जाने वाली सहायक गतिविधियां सारणी क्र. 4-सा-13 अनुसार मान्य होंगी। उपयोग परिसरों में मान्य की जाने वाली सहायक गतिविधियों का निर्धारण इस दृष्टि के साथ प्रस्तावित है कि यह सहायक गतिविधियां, उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के संचालन में जहां सहायक होगी, वही उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के लिये आवश्यक सहायक सेवाएँ, उसी परिसर में सरलता से उपलब्ध हो सकें तथा उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के कारण नगर में न्यूनतम यातायात उत्पन्न हो। उपयोग परिसरों में मान्य की जाने वाली सहायक गतिविधियों का निर्धारण, इस दृष्टि के साथ भी प्रस्तावित है कि इन गतिविधियों से, उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के विकास/निर्माण/संचालन/संधारण हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकें।

मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत

उपयोग परिसरों के नियोजन मापदंड एवं अन्य नियंत्रण

4-सा-13

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
001	वोकेशनल संस्थान (व्यवसाय संबंधी)	वोकेशनल प्रशिक्षण	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन	अधिकतम 05	
		स्टॉप क्वार्टर	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं एवं खेल	अधिकतम 05	
002	विश्वविद्यालय	शैक्षणिक एवं रिसर्च	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर एवं सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		होस्टल	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
003	शैक्षणिक महाविद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम., स्टेशनरी, जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
004	अ-इंजीनियरिंग महाविद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
	ब-चिकित्सा महाविद्यालय	शैक्षणिक / चिकित्सालय	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
005	अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
006	पॉलीटेक्नीक	शैक्षणिक	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
007	माध्यमिक / सेकण्डरी विद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
008	प्राथमिक विद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर	अधिकतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		जैसी सुविधाएं		
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
009	नर्सरी स्कूल	शैक्षणिक	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम., स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		कवर्ड प्ले एरिया	न्यूनतम 20	
010	प्ले स्कूल	शैक्षणिक	न्यूनतम 25	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		केण्टीन, स्टेशनरी	अधिकतम 05	
		कवर्ड प्ले एरिया	न्यूनतम 60	
011	समन्वित आवासीय विद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम., स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
012	विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		फिजियो थेरेपी	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	अधिकतम 05	
		कवर्ड प्ले एरिया	न्यूनतम 05	
013	व्यवसायिक प्रबंधन संस्थान	शैक्षणिक	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम., स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	अधिकतम 05	
014	व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	शैक्षणिक	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
015	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	अनुसंधान एवं विकास	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
016	संगीत/नृत्य/नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र	शैक्षणिक	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
017	कोचिंग इंस्टीट्यूट (शिक्षण संस्थान)	शैक्षणिक	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
018	कोचिंग सेंटर	शैक्षणिक	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
019	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	शैक्षणिक	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
020	शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र	शैक्षणिक	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
021	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	शैक्षणिक	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
022	नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान	नर्सिंग एवं पैरामेडिकल	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
023	होटल मैनेजमेंट	होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण	न्यूनतम 70	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
	संस्थान	प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
024	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	अनुसंधान एवं विकास	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
025	अन्य शैक्षणिक संस्थान	शैक्षणिक	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
026	आई.टी.आई.	शैक्षणिक / प्रशिक्षण	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
027	किंडर गार्डन स्कूल	शैक्षणिक	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		कवर्ड प्ले एरिया	न्यूनतम 20	
028	ड्राइविंग स्कूल	शैक्षणिक / प्रशिक्षण	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
029	प्रयोगशाला	अनुसंधान एवं विकास	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		गेस्ट हाउस	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
स्वास्थ्य गतिविधियां				
030	सामान्य चिकित्सालय	चिकित्सा	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, दवाई की दुकान, बैंक, पोस्ट ऑफिस, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		निजी वार्ड	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
031	विशिष्ट / सुपर स्पेशियलिटी	चिकित्सा	न्यूनतम 55	
	चिकित्सालय	प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, दवाई की दुकान, बैंक, पोस्ट ऑफिस, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		निजी वार्ड	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
032	क्लिनिक / डिस्पेंसरी	चिकित्सा	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		केण्टीन, दवाई की दुकान, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	अधिकतम 15	
033	प्रसूति गृह	चिकित्सा	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, दवाई की दुकान, जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	अधिकतम 15	
034	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	चिकित्सा	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम., स्टेशनरी, दवाई की दुकान, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	न्यूनतम 15	
035	नर्सिंग होम	चिकित्सा	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, ए.टी.एम., दवाई की दुकान, मनोरंजन, वेटिंग जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	न्यूनतम 15	
036	पॉलिक्लिनिक	चिकित्सा	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, ए.टी.एम., दवाई की दुकान, मनोरंजन, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	न्यूनतम 15	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
037	क्लिनिकल प्रयोगशाला	प्रयोगशाला, एक्सरे, पेथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि	न्यूनतम 85	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, ए.टी.एम., दवाई की दुकान, मनोरंजन, जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
038	पेथोलॉजी लेब	प्रयोगशाला, एक्सरे	अधिकतम 90	
		केण्टीन, दवाई की दुकान, वेटिंग	अधिकतम 10	
039	पालतू पशु क्लिनिक	चिकित्सा	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		दवाई दुकान, जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		वार्ड	न्यूनतम 10	
अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
040	पालतू पशु औषधालय	चिकित्सा	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 15	
		दवाई की दुकान, वेटिंग, जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
041	डायग्नोस्टिक सेन्टर	चिकित्सा, प्रयोगशाला, एक्सरे पेथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		केण्टीन, एटीएम, दवाई की दुकान, मनोरंजन, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		वार्ड	न्यूनतम 15	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
042	ब्लड बैंक	ब्लड बैंक	न्यूनतम 85	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, एटीएम, दवाई की दुकान, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
043	रेड क्रॉस केन्द्र	चिकित्सा, प्रयोगशाला, एक्सरे पेथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, एटीएम, दवाई की दुकान, मनोरंजन, जनरल स्टोर, वेटिंग जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		वार्ड	न्यूनतम 10	
044	फिजियोथेरेपी केन्द्र	फिजियोथेरेपी, चिकित्सा, प्रयोगशाला, एक्सरे आदि	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, एटीएम, दवाई की दुकान, मनोरंजन, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		वार्ड	न्यूनतम 10	
045	एक्सरे/रेडियोलॉजी	एक्सरे, रेडियोलॉजी प्रयोगशाला	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, एटीएम, दवाई की दुकान, मनोरंजन, वेटिंग, जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
रहवासी गतिविधियां				
046	कामकाजी महिला	छात्रावास	न्यूनतम 60	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
	छात्रावास	प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		एटीएम, दवाई की दुकान, फोटोकॉपी, स्टेशनरी, लॉन्ड्री, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		मनोरंजन लायब्रेरी	न्यूनतम 10	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
047	बाल गृह	छात्रावास	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
048	बाल सुधार गृह	छात्रावास	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
049	झूलाघर/डे-केयर सेंटर	छात्रावास	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
050	अनाथालय	छात्रावास	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	

सीखेर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
051	वृद्धाश्रम	निवासकक्ष	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
052	धर्मशाला	शयनकक्ष	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
053	लॉजिंग	शयनकक्ष	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
054	लॉजिंग एवं बोर्डिंग	शयनकक्ष	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
055	होस्टल	छात्रावास	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
056	बोर्डिंग	शयनकक्ष	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
057	रेस्ट हाउस/अतिथि गृह	शयनकक्ष	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
058	रात्रि विश्राम गृह	शयनकक्ष	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर केण्टीन जैसी सुविधाएं	अधिकतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
059	सर्किट हाउस	शयनकक्ष	न्यूनतम 50	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, स्टोर	न्यूनतम 10	
		वेटिंग	न्यूनतम 10	
		मिटिंग कक्ष	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
060	भूखण्डीय विकास	आवासीय भूखण्ड	अधिकतम 58	
		मार्ग	अधिकतम 28	
		खुला क्षेत्र	न्यूनतम 10	
		सर्विस क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		अन्य सुविधाएं	जनसंख्या के मान से म.प्र.भू.वि.नि. अनुसार	
		आगन्तुक पार्किंग	न्यूनतम 02	
061	ग्रूप हाउसिंग	आवासीय फ्लेट्स	अधिकतम 75	
		मार्ग	आवश्यकता अनुसार	
		भूखण्ड का खुला क्षेत्र	न्यूनतम 20	
		सर्विसेस क्षेत्र भूखण्ड का	न्यूनतम 02	
		अन्य सुविधाएं : शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक	जनसंख्या के मान से म.प्र.भू.वि.नि. अनुसार	
		आगन्तुक पार्किंग	न्यूनतम 03	
062	अपार्टमेन्ट हाउसिंग	आवासीय फ्लेट्स	अधिकतम 75	
		मार्ग	आवश्यकता अनुसार	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		भूखण्ड का खुला क्षेत्र	न्यूनतम 15	
		सर्विसेस क्षेत्र भूखण्ड का	न्यूनतम 05	
		आगन्तुक पार्किंग	न्यूनतम 05	
063	आवासीय भूखण्ड	आवासीय	न्यूनतम 75	
		व्यवसायिक या स्वास्थ्य कंसलटेन्सी सेवाएं	अधिकतम 25	
064	शापिंग मॉल	शापिंग मॉल	न्यूनतम 60	
		स्टोर / प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होटल	न्यूनतम 15	
		कार्पोरेट ऑफिस	अधिकतम 15	
065	मल्टीप्लेक्स	शापिंग	न्यूनतम 30	
		होटल	अधिकतम 10	
		सिनेमा	न्यूनतम 25	
		प्ले झोन / गेमिंग झोन	अधिकतम 15	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		फूड झोन	न्यूनतम 10	
		कार्पोरेट ऑफिस, स्टोर / प्रशासकीय	अधिकतम 05	
066	सुपर मार्केट / डिपार्टमेंट स्टोर्स	शापिंग मॉल	न्यूनतम 60	
		स्टोर / प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होटल	न्यूनतम 15	
		कार्पोरेट ऑफिस	अधिकतम 15	
067	कैफेटेरिया	कैफेटेरिया	न्यूनतम 70	
		स्टोर / प्रशासकीय	अधिकतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		शापिंग	न्यूनतम 15	
		प्ले झोन	न्यूनतम 05	
068	कन्वेंशन सेंटर	कॉन्फ्रेन्स एरिया	न्यूनतम 22	
		मीडिया एरिया	न्यूनतम 05	
		होटल	न्यूनतम 20	
		शापिंग मॉल	न्यूनतम 15	
		सिनेमा	न्यूनतम 05	
		प्ले झोन	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 01	
		फूड झोन	न्यूनतम 05	
		प्रदर्शनी झोन	न्यूनतम 08	
		कार्पोरेट ऑफिस, स्टोर/प्रशासकीय	न्यूनतम 10	
		क्लब/स्विमिंग पूल	न्यूनतम 02	
		सर्विस एरिया	न्यूनतम 02	
069	सुविधाजनक दुकानें	शापिंग	न्यूनतम 85	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		इनफारमल शापिंग	न्यूनतम 10	
070	स्थानीय दुकानें	शापिंग	न्यूनतम 60	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		इनफारमल शापिंग	न्यूनतम 15	
		कार्यालय स्टोर/प्रशासकीय	न्यूनतम 15	
		सर्विस एरिया	न्यूनतम 05	
071	साप्ताहिक हाट बाजार	शापिंग	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		इनफारमल शापिंग	न्यूनतम 60	
		कार्यालय	न्यूनतम 15	
		सर्विस एरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर/प्रशासकीय	अधिकतम 05	
072	व्यवसायिक कॉर्पोरेट कार्यालय	कार्पोरेट ऑफिस	न्यूनतम 60	
		स्टोर प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होटल	न्यूनतम 15	
		शापिंग	अधिकतम 15	
073	सिनेमा हाल	सिनेमा हाल	न्यूनतम 60	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		रेस्टॉरेन्ट/कैफेटेरिया	अधिकतम 15	
		शॉपस्	अधिकतम 05	
		स्टोर प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		फोयर	न्यूनतम 05	
074	होटल	होटल	न्यूनतम 50	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 02	
		शॉपस्	अधिकतम 03	
		कॉन्फ्रेंस	अधिकतम 10	
		डॉईनिंग एरिया	न्यूनतम 10	
		किचन	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		स्टोर/प्रशासकीय	न्यूनतम 05	
		वॉशिंग	न्यूनतम 03	
		लॉन्ड्री	न्यूनतम 02	
075	मोटल	मोटल रूम	न्यूनतम 50	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 02	
		शॉपस्	अधिकतम 05	
		कॉन्फ्रेंस	अधिकतम 10	
		डॉईनिंग एरिया	न्यूनतम 10	
		किचन	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		वॉशिंग	न्यूनतम 03	
076	रेस्टॉरेंट	रेस्टॉरेंट	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		प्रशासन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		शापिंग	न्यूनतम 15	
		प्ले झोन	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
077	ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र	ईंधन भराव क्षेत्र	भू.वि.नि. अनुसार	
		सर्विस स्टेशन	भू.वि.नि. अनुसार	
		जनरल शॉप	भू.वि.नि. अनुसार	
		ऑटो पार्ट शॉप	भू.वि.नि. अनुसार	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	05	
		स्टॉफ क्वार्टर	05	
078	व्यवसाय	व्यवसाय	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टोर एवं अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
079	ऑटो सर्विस	सर्विस स्टेशन	न्यूनतम 70	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
	स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशाप	जनरल शॉप	अधिकतम 05	
		ऑटो पार्ट शॉप	अधिकतम 13	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		एटीएम	अधिकतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
080	स्टोरेज / गोदाम अज्वलनशील पदार्थ	स्टोरेज / गोदाम	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम 10	
081	स्टोरज ज्वलनशील पदार्थ डीजल आदि	स्टोरेज ज्वलनशील पदार्थ	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम 10	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 10	
082	जंकयार्ड	जंकयार्ड भूखण्ड क्षेत्र का	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम 10	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
083	वेयर हाउस / स्टोरेज / एफ. एम.सी.जी. गोदाम	वेयर हाउस / स्टोरेज / एफ.एम.सी. जी. गोदाम	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम 10	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		फार्वर्डिंग एजेंन्सी कार्यालय	अधिकतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
084	कॉल सेन्टर	कॉल सेन्टर	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 10	
		स्टोर एवं अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 10	
085	ए.टी.एम.	ए.टी.एम.	अधिकतम 80	
		अन्य सुविधाएं	अधिकतम 20	
086	मैरिज हाल	मैरिज हॉल	न्यूनतम 40	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ठहरने हेतु कमरे	न्यूनतम 10	
		अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		किचन/पेन्ट्री	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		डायनिंग एरिया	न्यूनतम 15	
087	बारात घर	हॉल	न्यूनतम 40	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ठहरने हेतु कमरे	न्यूनतम 10	
		अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		किचन/पेन्ट्री	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		डायनिंग एरिया	न्यूनतम 15	
088	कल्याण मंडपम	हॉल	न्यूनतम 40	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ठहरने हेतु कमरे	न्यूनतम 10	
		अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		किचन / पेन्ट्री	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		डायनिंग एरिया	न्यूनतम 15	
089	मांगलिक भवन	हॉल	न्यूनतम 40	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ठहरने हेतु कमरे	न्यूनतम 10	
		अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		किचन / पेन्ट्री	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		डायनिंग एरिया	न्यूनतम 15	
090	मैरिज गार्डन	मैरिज हॉल	न्यूनतम 40	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ठहरने हेतु कमरे	अधिकतम 10	
		अन्य सुविधाएं	अधिकतम 05	
		किचन / पेन्ट्री	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		डायनिंग एरिया	न्यूनतम 15	
091	कार्गो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	कार्गो / वेयर हाउस / स्टोरेज / एफ.एम.सी.जी. गोदाम	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम 10	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		फार्वर्डिंग एजेंन्सी कार्यालय	अधिकतम 05	
		रेस्टॉरेन्ट / कैफेटेरिया	न्यूनतम 05	
092	ऑटो मोबाइल शोरूम मय सर्विस स्टेशन / वाहन विक्रय केन्द्र के या बिना इन सुविधाओं के	शोरूम	न्यूनतम 40	
		सर्विस स्टेशन	अधिकतम 30	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम 10	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		रेस्टॉरेन्ट / कैफेटेरिया	अधिकतम 05	
093	प्रिंटिंग प्रेस	प्रिंटिंग प्रेस	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 15	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 10	
		स्टेशनरी	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
094	पेट्रोलियम उत्पाद डिपो	पेट्रोलियम डिपो	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 15	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 10	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
095	गैस गोडाउन	गैस गोडाउन	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 15	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 10	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
096	अनाज मण्डी	अनाज मण्डी	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		गेस्ट हाउस	अधिकतम 03	
		वाहन मरम्मत	अधिकतम 03	
		मृदा परीक्षण सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रशिक्षण सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	अधिकतम 03	
097	सब्जी/फल मण्डी	सब्जी/फल मण्डी	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 04	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		गेस्ट हाउस	अधिकतम 02	
		वाहन मरम्मत	अधिकतम 03	
		मृदा परीक्षण सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रशिक्षण सुविधाएं	न्यूनतम 02	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 02	
		वेविंग ब्रिज	न्यूनतम 02	
098	लोहा मण्डी	लोहा मण्डी	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम 04	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज	न्यूनतम 02	
099	भवन सामग्री यार्ड	भवन सामग्री यार्ड	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, रेस्ट रूम, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		वेविंग ब्रिज	न्यूनतम 05	
100	सी.एन.जी. केन्द्र	सी.एन.जी. केन्द्र	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
101	सर्विस स्टेशन	सर्विस स्टेशन	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
102	ब्यूटी पार्लर	ब्यूटी पार्लर	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा स्थान	न्यूनतम 05	
103	तौल कांटा	तौल कांटा	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
104	थोक मार्केट	थोक मार्केट दुकानें	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज	न्यूनतम 02	
105	दवाई मार्केट	दवाई मार्केट दुकानें	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 01	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 02	
106	स्टेशनरी मार्केट	स्टेशनरी मार्केट दुकानें	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		बैंक	अधिकतम 01	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
107	ऑटोमोबाइल मार्केट	ऑटोमोबाइल मार्केट दुकानें	न्यूनतम 45	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम 15	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 04	
108	फायर वर्कस् मार्केट	फायर वर्कस् मार्केट दुकानें	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		गेस्ट हाउस	अधिकतम 03	
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 03	
109	सर्राफा मार्केट	सर्राफा मार्केट	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		गेस्ट हाउस	अधिकतम 03	
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 03	
110	क्राकरी मार्केट	क्राकरी मार्केट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	

सीखेर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
111	कपड़ा मार्केट	कपड़ा मार्केट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
112	बर्तन बाजार	बर्तन बाजार	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
113	मरम्मत बाजार	मरम्मत बाजार	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
114	टिम्बर मार्केट	टिम्बर मार्केट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
115	केमिकल बाजार	केमिकल बाजार	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
116	ई-चौपाल	ई-चौपाल	न्यूनतम 60	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, फूड झोन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
117	कम्प्यूटर सेंटर	कम्प्यूटर सेंटर	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
118	इन्फार्मल शॉपिंग	इन्फार्मल शॉपिंग	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
119	बैंकवेट हॉल	बैंकवेट हॉल	अधिकतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन, किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम, ठहरने के कमरे	अधिकतम 15	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
120	एफ.एम.सी.जी.	एफ.एम.सी.जी. गोडाउन	अधिकतम 65	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
121	वेयर हाउस	वेयर हाउस	अधिकतम 65	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
122	कोल यार्ड	कोल यार्ड	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
123	मीट मार्केट	मीट मार्केट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक, ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
124	सायबर केफे	सायबर केफे	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
125	ढाबा	ढाबा	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / किचन	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		सुविधा / मरम्मत दुकानें	अधिकतम 10	
126	रेल / एयर टिकिट घर	रेल / एयर टिकिट घर	न्यूनतम 70	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
127	खुला रंग मंच	खुला रंग मंच	अधिकतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
128	योग केन्द्र	योग केन्द्र	अधिकतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम., सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
129	आध्यात्मिक केन्द्र	आध्यात्मिक केन्द्र	अधिकतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम., सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
130	सांस्कृतिक / सूचना केन्द्र	सांस्कृतिक / सूचना केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम., सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
131	सामाजिक कल्याण केन्द्र	सामाजिक कल्याण केन्द्र	अधिकतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम., सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
132	लाइब्रेरी	लाइब्रेरी	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 15	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		ए.टी.एम., सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
133	धार्मिक परिसर	धार्मिक परिसर	न्यूनतम 60	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.,	अधिकतम 03	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
1	2	3	4	5
134	कॉन्फ्रेंस हॉल / प्रदर्शनी केन्द्र	कॉन्फ्रेंस हॉल / प्रदर्शनी केन्द्र	न्यूनतम 40	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री	न्यूनतम 05	
		डाईनिंग		
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.,	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		होटल	न्यूनतम 10	
135	नाट्य गृह	नाट्य गृह	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
136	कम्यूनिटी हॉल	कम्यूनिटी हॉल	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	न्यूनतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
137	स्वयं सेवी संस्थान	स्वयं सेवी संस्थान	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	न्यूनतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
138	क्रेच/झुलाघर	क्रेच/झुलाघर	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	न्यूनतम 05	
		केन्टीन/किचन, पेन्ट्री डाईनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
139	आर्ट/गेलेरी संग्रहालय	आर्ट गेलेरी/संग्रहालय	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	न्यूनतम 05	
		केन्टीन/किचन, पेन्ट्री डाईनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
140	खेल का मैदान/नेवरहूड पार्क	खेल का मैदान/नेवरहूड पार्क	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन/किचन, पेन्ट्री, स्टोर	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 03	
			अधिकतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	न्यूनतम 05	
141	गोल्फ कोर्स	गोल्फ कोर्स	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 02	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 02	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		लायब्रेरी	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 02	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 02	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		क्लब	अधिकतम 02	
		जिम, फिटनेस क्लब,	अधिकतम 02	
		ऑडिटोरियम, थियेटर	अधिकतम 03	
142	एम्यूजमेंट पार्क / मय राईड्स, कियोस्क, संधारण कार्यालय, डांस फ्लोर सहित या बिना इन सुविधाओं के	एम्यूजमेंट पार्क / मय राईड्स,	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 02	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		लायब्रेरी	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 03	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		क्लब	अधिकतम 03	
		जिम, फिटनेस क्लब,	अधिकतम 02	
		ऑडिटोरियम, थियेटर	अधिकतम 05	
		होटल	न्यूनतम 05	
143	क्लब / रिसोर्ट	क्लब, रिसोर्ट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 02	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		लायब्रेरी	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		क्लब	अधिकतम 03	
		जिम, फिटनेस क्लब,	अधिकतम 02	
		ऑडिटोरियम, थियेटर	अधिकतम 05	
144	घुड़सवारी प्रशिक्षण स्कूल	घुड़सवारी प्रशिक्षण स्कूल	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट, केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 03	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		लायब्रेरी	अधिकतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		क्लब	अधिकतम 03	
		जिम, फिटनेस क्लब,	अधिकतम 02	
		ऑडिटोरियम	अधिकतम 05	
145	जिम्नेशियम मय पूल गेम, स्नेकस् एवं जूस शॉप, योग केन्द्र या इन सुविधाओं बिना	जिम्नेशियम मय पूल गेम, स्नेकस् एवं जूस शॉप, योग केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 03	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		लायब्रेरी	अधिकतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		क्लब	अधिकतम 10	
146	बोट क्लब	बोट क्लब	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम	अधिकतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 10	
		टिकट काउण्टर	अधिकतम 02	
147	आंतरिक स्टेडियम	आंतरिक स्टेडियम	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री,	न्यूनतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		डाईनिंग		
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें/मॉल	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		टिकट काउण्टर	न्यूनतम 02	
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम 02	
		क्लब	न्यूनतम 02	
		स्वीमिंग पूल	न्यूनतम 02	
		होस्टल/होटल	न्यूनतम 05	
148	स्टेडियम	स्टेडियम	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन/रेस्टोरेंट/ केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें/मॉल	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		टिकट काउण्टर	न्यूनतम 03	
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम 03	
		क्लब	न्यूनतम 03	
		स्वीमिंग पूल	न्यूनतम 02	
		होस्टल/होटल	न्यूनतम 05	
149	स्पोर्ट्स काम्पलेक्स	स्पोर्ट्स काम्पलेक्स	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन/रेस्टोरेंट/ केफेटेरिया	न्यूनतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		केफेटेरिया		
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 02	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		सुविधा दुकानें / मॉल /	अधिकतम 10	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		टिकट काउण्टर	न्यूनतम 02	
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम 03	
		क्लब	न्यूनतम 03	
		स्वीमिंग पूल	न्यूनतम 02	
		होस्टल / होटल	न्यूनतम 05	
150	आरचर्ड	आरचर्ड	—	—
		स्टोर	—	7.5 गुणा 7.5 मी.
		रेस्ट रूम	—	10.0 गुणा 10.0 मी.
		प्रसाधन सुविधाएँ	—	6.0 गुणा 6.0 मी.
		किचन, पेन्ट्री,	—	6.0 गुणा 6.0 मी.
		नर्सरी	—	10.0 गुणा 10.0 मी.
151	तरणताल	तरणताल	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / गेस्ट रूम	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		टिकट काउण्टर	न्यूनतम 03	
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम 03	
		शॉपिंग	अधिकतम 05	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
152	पिकनिक हट	पिकनिक हट	—	प्रत्येक हट 7.5 गुणा 7.5मी.
		स्टोर	—	7.5 गुणा 7.5मी.
		रेस्ट रूम	—	10.0 गुणा 10.0 मी.
		प्रसाधन सुविधाएँ	—	6.0 गुणा 6.0मी
		किचन, पेन्ट्री,	—	6.0 गुणा 6.0मी
		नर्सरी	—	10.0 गुणा 10.0 मी
153	फलाईंग क्लब	फलाईंग प्रशिक्षण	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क		
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत			
1	2	3	4	5		
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05			
		लायब्रेरी	न्यूनतम 03			
154	फिटनेस क्लब	फिटनेस क्लब / जिम	न्यूनतम 50			
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05			
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05			
		स्टोर	न्यूनतम 05			
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10			
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05			
		ए.टी.एम.	अधिकतम 02			
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05			
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05			
		लायब्रेरी / कंसलटेशन	न्यूनतम 03			
		प्ले एरिया	अधिकतम 05			
		155	मेला मैदान	मेला मैदान	न्यूनतम 55	
				प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03					
स्टोर	न्यूनतम 05					
रेस्ट रूम	अधिकतम 03					
प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 02					
ए.टी.एम.	अधिकतम 01					
प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 01					
सुविधा दुकानें	अधिकतम 05					
लायब्रेरी	न्यूनतम 01					
प्ले एरिया	अधिकतम 05					
प्राथमिक उपचार	अधिकतम 01					
मीडिया रूम	अधिकतम 01					
ओपन एयर थियटर	अधिकतम 05					
प्रदर्शनी	अधिकतम 05					

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम 05	
156	नर्सरी	नर्सरी	न्यूनतम 65	
		कार्यालय / स्टोर	अधिकतम 15	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10	
157	पक्षी अभ्यारण	पक्षी अभ्यारण	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम 05	
नर्सरी	अधिकतम 05			
158	वनस्पति उद्यान	वनस्पति उद्यान	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन/ सांस्कृतिक	न्यूनतम 05	
		नर्सरी	न्यूनतम 05	
159	प्राणी उद्यान	प्राणी उद्यान	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय/ सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन/ रेस्टोरेंट/ केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन/ सांस्कृतिक	न्यूनतम 05	
		नर्सरी	न्यूनतम 05	
160	मत्स्यालय	मत्स्यालय	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय/ सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन/ रेस्टोरेंट/	न्यूनतम 03	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		केफेटेरिया		
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मानोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम 05	
		नर्सरी	न्यूनतम 05	
161	केम्पिंग साइट	केम्पिंग साइट	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क		
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत			
1	2	3	4	5		
		नर्सरी	न्यूनतम 05			
162	वाटर पार्क मय राईड्स, कियोस्क, संधारण कार्यालय, डांस फ्लोर सहित या बिना इन सुविधाओं के	वाटर पार्क	न्यूनतम 50			
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 02			
		केन्टीन/रेस्टोरेंट/केफेटेरिया	न्यूनतम 03			
		स्टोर	न्यूनतम 05			
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03			
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03			
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01			
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02			
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05			
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02			
		प्ले एरिया	अधिकतम 05			
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02			
		संग्रहालय	अधिकतम 02			
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05			
		मनोरंजन/सांस्कृतिक	न्यूनतम 05			
163	रिसार्ट/पर्यटक कुटीर	रिसार्ट/पर्यटक कुटीर	न्यूनतम 50			
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 02			
		केन्टीन/रेस्टोरेंट/केफेटेरिया	न्यूनतम 03			
		स्टोर	न्यूनतम 05			
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03			
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03			
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01			
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02			
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05			
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02			
		प्ले एरिया	अधिकतम 05			
				नर्सरी	न्यूनतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मानोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम 05	
		नर्सरी	न्यूनतम 05	
	शासकीय गतिविधियाँ			
164	शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय / उपक्रम, अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित	शासकीय / अर्द्ध शासकीय / उपक्रम कार्यालय प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 50	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 02	
		स्टोर	न्यूनतम 08	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	अधिकतम 03	
		ए.टी.एम.	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा कक्ष	अधिकतम 01	
		सुविधा दुकानें	न्यूनतम 02	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		प्ले एरिया	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 05	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 02	
		नर्सरी	अधिकतम 05	
165	न्यायालय	न्यायालय	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 04	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		नर्सरी	अधिकतम 05	
166	जेल	जेल	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम. / बैंक	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 03	
		प्ले एरिया	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 03	
		नर्सरी	न्यूनतम 01	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		मानोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम 03	
		आर्ट एवं क्राफ्ट	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
167	स्थानीय निकाय कार्यालय	स्थानीय निकाय कार्यालय	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट	न्यूनतम 03	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम./बैंक	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 03	
		नर्सरी	न्यूनतम 01	
		संग्रहालय	अधिकतम 01	
		मनोरंजन/सांस्कृतिक	अधिकतम 02	
		वर्कशॉप	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
168	पुलिस स्टेशन	पुलिस स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम./बैंक	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
169	पुलिस पोस्ट	पुलिस पोस्ट	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
170	बैंक	बैंक	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
	सार्वजनिक सेवाएँ सुविधाएँ			
171	शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय / उपक्रम अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित	शासकीय अर्ध शासकीय अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	न्यूनतम 03	
		प्राथमिक उपचार	न्यूनतम 02	
		मानोरंजन / सांस्कृतिक / लायब्रेरी / जिम	अधिकतम 05	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
172	पोस्ट आफिस	पोस्ट आफिस	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
173	दूर संचार टावर/स्टेशन	दूर संचार टावर/स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
174	जल शोधन संयंत्र	जल शोधन संयंत्र	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम./बैंक	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 03	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 03	
		नर्सरी	न्यूनतम 01	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम 03	
		वर्कशॉप	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
175	कम्बाईन्ड ट्रीटमेंट प्लान्ट	कम्बाईन्ड ट्रीटमेंट प्लान्ट	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 04	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 07	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 04	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
176	वेस्ट वाटर शोधन / उपचार संयंत्र	वेस्ट वाटर शोधन / उपचार संयंत्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	अधिकतम 02	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
177	दूर संचार केन्द्र	दूर संचार केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
178	ट्रॉसमिशन टावर / वायर लेस स्टेशन	ट्रॉसमिशन टावर / वायर लेस स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
179	रेडियो स्टेशन	रेडियो स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
180	वैधशाला	वैधशाला	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
181	अग्निशमन केन्द्र	अग्निशमन केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
182	टेलीविजन स्टेशन	टेलीविजन स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
183	मौसम कार्यालय	मौसम कार्यालय	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
184	विद्युत सब स्टेशन	विद्युत सब स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
185	श्मशान / कब्रस्तान / सिमीट्री	श्मशान / कब्रस्तान / सिमीट्री	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क			
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत				
1	2	3	4	5			
186	दूर संचार टॉवर	प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02				
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05				
		दूर संचार टॉवर	न्यूनतम 60				
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05				
		केन्टीन	न्यूनतम 05				
		स्टोर	न्यूनतम 07				
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02				
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03				
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01				
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05				
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03				
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02				
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02				
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05				
187	गौशाला	गौशाला	न्यूनतम 60				
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 03				
		केन्टीन	न्यूनतम 04				
		स्टोर	न्यूनतम 10				
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02				
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03				
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01				
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05				
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03				
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02				
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02				
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05				
		188	उपग्रह ट्रेकिंग स्टेशन		उपग्रह ट्रेकिंग स्टेशन	न्यूनतम 60	
					प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
189	दूरभाष केन्द्र	दूरभाष केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
190	विन्ड मिल्स / फार्म	विन्ड मिल्स / फार्म	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
191	सार्वजनिक शौचालय	सार्वजनिक शौचालय	न्यूनतम 90	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
192	विद्युत शवदाह गृह	श्मशान / कब्रस्तान / सिमीट्री	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
193	ओवर हेड पानी की टंकी	ओवर हेड पानी की टंकी	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
194	भूमिगत पानी की टंकी	भूमिगत पानी की टंकी	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
195	आक्सीडेशन पौंड	आक्सीडेशन पौंड	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
196	सेप्टिक टैंक	सेप्टिक टैंक	न्यूनतम 100	
197	सार्वजनिक शौचालय	सार्वजनिक शौचालय	न्यूनतम 90	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
198	घूरा एवं कचराघर	घूरा / कचराघर	न्यूनतम 60	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
199	धोबी घाट	धोबी घाट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
	औद्योगिक सुविधाएं			
200	एग्रो स्तर उद्योग	एग्रो स्तर उद्योग	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
201	डेयरी प्लांट	डेयरी प्लांट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें/ ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
202	औद्योगिक भूखण्डीय विकास	औद्योगिक भूखण्डीय विकास	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	
203	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन/रेस्टॉरेंट	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें, बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		जिम, हेल्थ क्लब	न्यूनतम 02	
204	डेरी प्लांट	डेरी प्लांट	न्यूनतम 60	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टॉरेंट	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें, बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
205	स्लाटर हाउस	स्लाटर हाउस	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
206	फेलेटेड फैक्टरी	फेलेटेड फैक्टरी	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें /	अधिकतम 03	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		ए.टी.एम.		
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
207	एक्सटेंसिव/विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग	एक्सटेंसिव/विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें/ ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
208	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन/रेस्टॉरेंट	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें, बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		जिम, हेल्थ क्लब	न्यूनतम 02	
209	फूड पार्क	फूड पार्क	न्यूनतम 60	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टॉरेंट	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें, बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 01	
210	सॉफ्टवेयर पार्क	सॉफ्टवेयर पार्क	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन / रेस्टॉरेंट	अधिकतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 02	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें, बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 01	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 01	
		जिम, हेल्थ क्लब	न्यूनतम 02	
		होटल, गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		टेस्टिंग लेब, रिसर्च लेब	न्यूनतम 02	
		मॉल / मल्टीप्लेक्स / सुपर मार्केट	न्यूनतम 05	
		क्लब / स्वीमिंग पूल	अधिकतम 02	
		आवासीय फ्लेट्स	अधिकतम 05	
211	दुग्ध केन्द्र	दुग्ध केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें, बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
	यातायात सुविधाएं			
212	बस स्टेण्ड	बस स्टेण्ड	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टॉरेंट / केफेटेरिया	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं / सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम / टिकट काउण्टर	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, एस.टी.डी. पी.सी. ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी / एजेन्ट ऑफिस	न्यूनतम 02	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
213	बस टर्मिनल	बस टर्मिनल	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टॉरेंट / केफेटेरिया	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं / सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम 02	
		लॉजिंग / बोर्डिंग सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम / टिकट काउण्टर	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, ए.टी.डी. पी.सी.ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी / एजेन्ट ऑफिसेस	न्यूनतम 02	
214	पिकअप स्टेशन	पिकअप स्टेशन	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 03	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		क्लॉक रूम /	न्यूनतम 03	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		टिकट काउण्टर		
215	बस स्टॉप	बस स्टॉप/प्रतीक्षालय	न्यूनतम 80	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
216	यातायात नगर	गोदाम, ट्रांसपोर्ट संबंधी दुकानें	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन/रेस्टॉरेंट/केफेटेरिया/ढाबा	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं/सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम 02	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 02	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 02	
		वाहन मरम्मत/वर्कशॉप	न्यूनतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं/होटल/गेस्ट हाउस	न्यूनतम 02	
		वेविंग ब्रिज/पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, ए.टी.डी. पी.सी.ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी/एजेन्ट ऑफिसेस	न्यूनतम 02	
		ट्रांसपोर्ट संबंधी शोरूम	अधिकतम 05	
217	मेकेनिक नगर	ट्रांसपोर्ट वाहन सुधार संबंधी	न्यूनतम 55	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		दुकानें / वर्कशॉप		
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टॉरेंट / केफेटेरिया / ढाबा	अधिकतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं / सुलभ कॉम्पलेक्स	न्यूनतम 02	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, ए.टी.डी. पी. सी.ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी / एजेन्ट ऑफिसेस	न्यूनतम 02	
		ट्रांसपोर्ट संबंधी शोरूम	अधिकतम 05	
218	ऑटो स्टेण्ड / टेक्सी स्टेण्ड	ऑटो स्टेण्ड / टेक्सी स्टेण्ड	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		वाहन मरम्मत संबंधी दुकानें/वर्कशॉप	न्यूनतम 15	
217	मेकेनिक नगर	ट्रांसपोर्ट वाहन सुधार संबंधी दुकानें/वर्कशॉप	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन/रेस्टॉरेंट/केफेटेरिया/ढाबा	अधिकतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं/सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम 02	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं/होटल/गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज/पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, ए.टी.डी. पी.सी.ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी/एजेन्ट ऑफिसेस	न्यूनतम 02	
		ट्रांसपोर्ट संबंधी शोरूम	अधिकतम 05	
218	ऑटो स्टेण्ड/टेक्सी स्टेण्ड	ऑटो स्टेण्ड/टेक्सी स्टेण्ड	न्यूनतम 55	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		वाहन मरम्मत संबंधी दुकानें / वर्कशॉप	न्यूनतम 15	
219	मल्टी लेवल पार्किंग	मल्टी लेवल पार्किंग	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 03	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		वाहन मरम्मत संबंधी दुकानें / सुविधा दुकानें	अधिकतम 06	
220	बस डिपो / कर्मशाला	बस डिपो / कर्मशाला	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टॉरेन्ट / केफेटेरिया	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं / सुलभ काम्प्लेक्स	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं/होटल/ गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज/पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम/टिकट काउण्टर	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, एस.टी.डी., पी.सी. ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी/एजेन्ट ऑफिसेस	न्यूनतम 02	
221	कार्गो	गोदाम/ट्रांसपोर्ट संबंधी दुकानें एवं कार्यालय	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी	अधिकतम 04	
		केन्टीन/रेस्टॉरेन्ट/केफेटेरिया/ ढाबा	अधिकतम 04	
		स्टोर	न्यूनतम 04	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 04	
		प्रसाधन सुविधाएं/सुलभ काम्प्लेक्स	न्यूनतम 03	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम 04	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं/होटल/ गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज/पार्सल	न्यूनतम 02	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		क्लॉक रूम	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, एस.टी.डी., पी.सी. ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी / एजेन्ट ऑफिसेस	न्यूनतम 02	
		कम्पनी शोरूम	अधिकतम 05	
222	पार्किंग	पार्किंग	म. प्र. भूमि विकास नियम अनुसार	
223	कन्टेनर डिपो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	कन्टेनर डिपो / गोदाम, ट्रांसपोर्ट / फारवर्डिंग एजेन्सी संबंधी कार्यालय	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 04	
		केन्टीन / रेस्टॉरेन्ट / केफेटेरिया / ढाबा	अधिकतम 04	
		स्टोर	न्यूनतम 04	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 04	
		प्रसाधन सुविधाएं / सुलभ काम्प्लेक्स	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम 04	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, एस.टी.डी., पी.सी. ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी / एजेन्ट ऑफिसेस	न्यूनतम 02	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		कम्पनी शोरूम	अधिकतम 05	
224	ड्राई पोर्ट मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	ड्राई पोर्ट मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	कन्टेनर डिपो अनुसार	
225	हेलीपेड	हेलीपेड	विमान तल प्राधिकरण के मापदण्डों के अनुसार	
226	रेल स्टेशन	रेल स्टेशन	रेल प्राधिकारी के मापदण्डों अनुसार	
227	धर्म कांटा / वेविंग ब्रिज	धर्म कांटा / वेविंग ब्रिज	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
	ग्रामीण क्षेत्र गतिविधियां			
228	मुर्गी पालन केन्द्र	मुर्गी पालन केन्द्र	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 05	
229	फार्म हाउस	फार्म हाउस	म.प्र. भू. वि. नि अनुसार	
230	डेयरी	डेयरी	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	

सीखेर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
231	पशु पालन केन्द्र	पशु पालन/ डेयरी	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
232	पशु शोध केन्द्र	पशु शोध केन्द्र	न्यूनतम 50	
		पशु पालन/ डेयरी	न्यूनतम 10	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
233	ग्रामीण केन्द्र	ग्रामीण विकास केन्द्र	न्यूनतम 60	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
234	अनाज गोदाम	अनाज गोदाम	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
235	भवन सामग्री यार्ड	भवन सामग्री यार्ड	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
236	मेरिज गार्डन	मेरिज गार्डन	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 06	
		स्टोर	न्यूनतम 06	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 04	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		गेस्ट रूमस्	अधिकतम 05	
237	ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र	ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
238	कृषक परामर्श / सहायता केन्द्र	कृषक परामर्श / सहायता केन्द्र	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
239	आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी	न्यूनतम 70	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
240	औषधालय	औषधालय	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
241	कृषि उपकरण कर्मशाला	कृषि उपकरण कर्मशाला	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
242	चौपाल	चौपाल	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
243	उत्सव स्थल	उत्सव स्थल	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टारेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 02	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 01	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 01	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 01	
		मीडिया रूम	अधिकतम 01	
		ओपन एयर थियटर	अधिकतम 05	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम 05	

- नोट :** 1. न्यूनतम श्रेणी की गतिविधियां अनिवार्य स्वरूप की है तथा अधिकतम श्रेणी की गतिविधियां ऐच्छिक स्वरूप की है।
2. ऐच्छिक स्वरूप की गतिविधियों के प्रतिशत में, प्रोजेक्ट / परियोजना की आवश्यकता अनुरूप, सक्षम अधिकारी परिवर्तन कर सकेगा।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

4.12 मध्यक्षेत्र (पूर्व से विकसित/ निर्मित क्षेत्र) हेतु परिक्षेत्रिक नियमन

परिक्षेत्रिक नियमन, स्थल उंचाई, भवन का आकार एवं संरचना अथवा अन्य उपयोग जिसमें भवन या भूमि का उपयोग किया जाता है। इन सभी के संदर्भ में परिक्षेत्र के अन्दर होने वाले विकास के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं।

मध्य क्षेत्र के वर्तमान निर्मित क्षेत्र में भूखण्ड का सुव्यवस्थित तथा न्यूनतम आकार निर्धारित करना संभव नहीं है। चूंकि मध्य क्षेत्र में बहुत से आवासीय भूखण्ड अव्यवस्थित आकार के हैं। मध्य क्षेत्र के कार्य स्थलों पर रोशनदान, सूर्य का प्रकाश आदि स्वास्थ्य परिवेश की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित घनत्व की प्राप्ति हेतु फर्शी क्षेत्रानुपात एवं निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

अ. आवासीय क्षेत्र

नगर के अधिक घनत्व वाले निर्मित क्षेत्र के लिये भू-खण्ड का नियमित आकार निर्धारित कर पाना संभव नहीं है। निर्मित क्षेत्र में वर्तमान आवास सबसे ज्यादा अनियति आकार एवं माप के हैं, लेकिन आवश्यक घनत्व प्राप्ति एवं जन स्वास्थ्य की दृष्टि से फर्शी क्षेत्र अनुपात एफ.ए.आर. तथा भू-खण्ड अच्छादन प्रस्तावित किये गये हैं।

आच्छादन निर्मित क्षेत्र तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात अधिकतम

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | भू-खण्ड का क्षेत्रफल
निर्मित क्षेत्र
फर्शी क्षेत्र अनुपात | 90 वर्गमीटर तक
75 प्रतिशत
1.5 |
| 2. | भू-खण्ड का क्षेत्रफल
निर्मित क्षेत्र
फर्शी क्षेत्रानुपात | 90 वर्गमीटर से अधिक तथा 180 वर्गमीटर तक
66 प्रतिशत
1.25 |
| 3. | भू-खण्ड का क्षेत्रफल
निर्मित क्षेत्र
फर्शी क्षेत्रानुपात | 180 वर्गमीटर से अधिक
60 प्रतिशत
1.25 (9.0 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर 1.5) |
| 4. | ऐसे भूखण्ड जिनके लिये कोई अभिन्यास ना बना हो या कालोनी में स्थित न हो | 1:1.25 |
| 5. | ऐसे भूखण्ड जो अभिन्यास के अन्तर्गत या कालोनी में स्थित हो उनके मापदण्ड सारणी 4-सा-14 अनुरूप रहेंगे। | |

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

वर्तमान आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

4-सा-14

भू-खण्ड का आकार	आच्छादित	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3
90 वर्गमीटर से कम	66 प्रतिशत	1.25
90 वर्गमीटर से अधिक 180 वर्गमीटर तक	60 प्रतिशत	1.00
180 वर्गमीटर से अधिक	50 प्रतिशत	1.00

टीपः- मार्ग की चौड़ाई 9.0 मीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भू-खण्डों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा।

6. आवासीय विकसित कालोनियों हेतु मापदण्ड

जिन कालोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गये हो, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जावेगा। ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भू-खण्डों पर भवन निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाये गये मापदण्ड लागू होंगे। जबकि कालोनी के अन्य मार्गों पर विकास/निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

ब. वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक मार्गों पर पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकती है:-

- क. मार्गों की चौड़ाई विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप हो।
- ख. वाणिज्यिक क्षेत्र में भू-तल के अलावा अन्य तल यदि आवासीय उपयोग में हो, तो आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित कुल फर्शी क्षेत्र के 3/4 से अधिक मान्य नहीं होगा।
- ग. वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर स्थित हो, उस मार्ग की चौड़ाई के 1.5 गुना या 30 मीटर जो भी कम हो उससे अधिक नहीं होगी।
- ड. वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में वाणिज्यिक परिसरों के लिए अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होंगे:-

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड	100 प्रतिशत
25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड	80 प्रतिशत
फर्शी क्षेत्र अनुपात	2.0

टीप:-

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जावेगी।
2. किसी भू-खण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू-खण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती हैं, तो ऐसी दशा में उक्त भू-खण्ड पर निर्मित किया जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि का दुगुना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार होगा। इसमें भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।

स - सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक

इस उपयोग अन्तर्गत स्वीकार्य निर्मित क्षेत्र तथा क्षेत्रानुपात सारणी 4-सा-15 अनुसार मान्य होगा।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक विकास हेतु मापदण्ड

4-सा-15

क्र.	विवरण	निर्मित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4
1	.महाविद्यालय	40 प्रतिशत	1.5
2	उच्चतर माध्यमिक शाला	40 प्रतिशत	1.5
3	प्राथमिक शाला	50 प्रतिशत	1.5
4	पूर्व प्राथमिक शाला	50 प्रतिशत	1.5
5	अस्पताल	40 प्रतिशत	1.5
6	स्वास्थ्य केन्द्र	50 प्रतिशत	1.5
7	पुलिस थाना	50 प्रतिशत	1.5
8	अग्नि शमन केन्द्र	50 प्रतिशत	1.5
9	सामुदायिक	40 प्रतिशत	1.0
10	शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालय	40 प्रतिशत	1.5

टीप:- 5 प्रतिशत अतिरिक्त,आच्छादन,गैरेज तथा सायकल स्टैण्ड के लिये होगा।

अध्याय – 5 विकास योजना क्रियान्वयन

सीहोर विकास योजना 2011 का क्रियान्वयन अपेक्षानुसार न होने का मुख्य कारण विकास से संबंधित संस्थाओं, निकायों के शिथिल प्रबंधन एवं योजना काल की समयबद्धता के परे अन्य कार्य करना है। जिसके फलस्वरूप जनसाधारण से संबंधित मूलभूत अधोसंरचना का विकास प्रस्ताव अनुरूप नहीं हो सका। योजना क्रियान्वयन का ठोस प्रयास न केवल नगरीय विकास बल्कि नगरीय जीवन स्तर एवं आर्थिक विकास हेतु अति-आवश्यक है। जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार क्रियान्वयन आवश्यक है।

भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में निहित है। सीहोर विकास योजना का क्रियान्वयन नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा। इसके गठन होने तक का दायित्व नगर पालिका विदिशा द्वारा वहन किया जावेगा। विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में निर्माण किया जाता है। इसलिए यह अपेक्षित होगा कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु सभी शासकीय, अर्द्ध शासकीय निकाय, विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें।

5.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2031 तक की कालावधि के लिए है। वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में 100620.34 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। इसमें विभिन्न भूमि उपयोगों हेतु 38058.30 भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं 60 प्रतिशत भूमि के विकास पर व्यय जिसमें नए मार्गों पर पुलों का निर्माण एवं अन्य विकास कार्य शामिल है।

भू-अर्जन की औसत दर 30 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मानी गई है। इस पर विकास संबंधी व्यय लगभग भूमि व्यय का दस गुना अनुमानित है। विकास व्यय का जहां तक प्रश्न है, वह भूमि के उपयोग प्रकार के अनुसार अलग-अलग मानी गई है। संपूर्ण विकास योजना 2031 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारिणी 5-सा-1 में दर्शायी गयी है।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

सीहोर : योजना क्रियान्वयन की लागत (2031)

5-सा-1

क्र.	भूमि उपयोग विवरण	क्षेत्र (हेक्टेयर में)			भू-अर्जन लागत (रु 30. 00 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से)	अर्जित भूमि के 60 प्रतिशत			कुल लागत (रूपये लाख में)
		प्रस्तावित	वर्तमान	शेष		क्षेत्र हेक्टेयर में	विकास दर प्रति हे. (लाख रु. में)	लागत (लाख रूपये में)	
1.	आवासीय	591.71	1199.51	607.80	18234.00	364.68	80	29174.40	47408.40
2.	वाणिज्यिक	47.92	213.63	165.70	4971.30	99.43	90	8948.34	13919.64
3.	औद्योगिक	85.22	175.94	90.72	2721.60	54.43	90	4898.88	7620.48
4.	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक	136.58	235.52	98.94	2968.20	59.36	80	4749.12	7717.32
5.	सार्वजनिक उपयोगिताएँ	24.81	37.63	12.82	384.60	2.69	80	615.36	999.36
6.	आमोद-प्रमोद	31.77	189.91	158.14	4744.20	94.88	65	6167.46	10911.66
7.	यातायात एवं परिवहन	213.38	347.86	134.48	4034.40	80.69	85	6858.48	10892.88
8.	गंदी बस्तियों का पर्यावरण सुधार	—	—	—					
9.	ओवर ब्रिज	—	—	—				800.00	800.00
10.	अंडर पास	—	—	—				350.00	350.00
	योग-	1131.39	2400.00	1268.61	38058.30	761.17		62562.04	100620.34

5.2 योजना क्रियान्वयन नीति

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है। सीहोर विकास योजना 2011 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट होता है। कि बहुत से प्रस्तावों का वास्तविक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। उपयुक्त प्रबंधन की कमी के कारण जिन क्षेत्रों की योजना प्रभावित हुई है, उनका उल्लेख अध्याय-1 में किया गया है जिस पर पुनर्विचार करते हुए योजना के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन हेतु नीति निर्धारण अनिवार्य है।

अतएव निम्नलिखित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारण की नितान्त आवश्यकता है।

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू-स्वरूप ।
2. सांस्कृतिक धरोहरों के क्षेत्रों का संरक्षण एवं संवर्द्धन ।
3. भूमि का कुशलतम उपयोग ।
4. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/संधारण ।
5. भूमि प्रदाय तथा अधोसंरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव ।
6. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना ।
इन उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है।
अ. पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम
ब. नगर संरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम
स. राज्य आवास एवं पर्यावास नीति 2007 के तहत भूमि विकास ।
7. मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू-उपयोग के विकास हेतु अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जावेगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय प्राधिकारी को विकास हेतु उपलब्ध हो सके ।
8. किसी भी तरह के भू-उपयोग 9 मीटर चौड़े मार्ग से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर विकसित नहीं किये जा सकेंगे ।
9. आवासीय परिक्षेत्रों में चिकित्सा एवं इलेक्ट्रॉनिकी व्यवसाय से संबंधित उपक्रम विद्युत शक्ति की सीमा से मुक्त होंगे ।
10. प्रत्येक अभिन्यास के खुले क्षेत्र में प्रत्येक 100 आवासीय इकाईयों के लिए एक बालवाड़ी एक झूलाघर हेतु क्षेत्र आरक्षित रखना होगा। इसके अतिरिक्त उपयुक्त स्थान पर बन्द कचरा घर हेतु कम से कम 20x20 फीट स्थान आरक्षित रखना होगा जहां से स्थानीय संस्थाएँ सुविधापूर्वक कचरे का उठान कर सकें जिससे कि पर्यावरणीय दुष्प्रभाव न पड़े।
11. ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र में भूखण्ड का आकार मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 53(1) एवं (2) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

के अनुसार जहां कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो नियंत्रित होगा।

5.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण से तात्पर्य उन समस्त पर्यावरण संबंधी समस्याओं से है, जो प्रमुख रूप से तालाबों के संरक्षण उनकी जल गुणवत्ता उत्कृष्ट भू-स्वरूप तथा जल स्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है। अन्य पर्यावरणीय समस्यायें जैसे नगरीय व अवशिष्ट के उपचार निराकरण, इनके पुनर्चक्रीकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष में जनसंख्या के व्यवस्थापन से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है।

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय हैं:-

1. तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों में जल-मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम।
2. तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना।
3. जल फैलाव क्षेत्रों में स्टाप डेम द्वारा भूक्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक उपयोग निषेध।
4. तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदण्डों का प्रभावीकरण।
5. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण।
6. सभी जल स्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय पर्यवेक्षण।

5.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा :-

- संस्था गठन
- विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि सक्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन।
- भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग।
- नगर के रहवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान।
- उक्त के तीन प्रमुख तत्व हैं :-

1. नियंत्रित विकास

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

विकास कार्यक्रमों में भू-स्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जावेगा। यहां समन्वयक संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थाएँ, प्रमुख सेवा तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी। परिसीमन विकास आवास एवं पर्यावास नीति 2007 में उल्लेखित विकास संस्थाओं द्वारा किया जावेगा। इस प्रकार विकसित बड़े भूमि क्षेत्र का आवंटन परिसीमन अधोसंरचना की सुगमता के अनुकूल राज्य आवास एवं पर्यावास नीति 2007 के परिपेक्ष्य में गृह निर्माण संस्थाओं को आवास संघों एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा दिया जावेगा। उक्त व्यवस्था पर राज्य शासन द्वारा परीक्षण कर अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से आनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा।

वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा जिससे पांच वर्षीय नगर विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम होगा। वार्षिक विकास कार्यक्रम नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वयकारी द्वारा वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जायेगा जो कंडिका 5.6 के संदर्भ में होगा। यह कार्यक्रम भूमि अर्जन लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्तखण्ड एवं उपवृत्तखण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शाएगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किए जाने वाले नगर तंत्र तथा प्रमुख सेवा सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्र में नगर

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि को समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। योजना क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका सुविधादायक के रूप में होगी।

योजना क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका "सुविधादायक" के रूप में होना चाहिये। इस हेतु क्रियान्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अंगीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना उपयुक्त होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्रोतों का एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं पर निवेश करने का प्रयास किया जायेगा। एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है।

1. एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान।
2. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान।
3. विकास योजनाओं का प्राथमिकता निर्धारण।
4. एकीकृत नगरीय विकास योजनायें तैयार करना।
5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना जिसमें सहभागिता के आधार समन्वित हो सके जिससे विकास गतिशील हो सके।
6. समन्वय प्राधिकारियों और अन्य वृत्त खण्डीय/एजेन्सियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।

5.5 भूमि विकास नीति

5.5.1 विकास प्रबंधन

भूमि प्रदाय करने को बढ़ाने के लिए राज्य आवास एवं पर्यावास नीति 2007 में भूस्वामियों को निम्न प्रलोभन दिए जाने का प्रावधान रखा गया है :-

- (क) भूमि स्वामियों को उनकी भूमि के बदले में विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराना। इससे भूमि प्रदाय सरल होगा एवं निकायों को भूमि आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
- (ख) पुर्नविकास के क्षेत्रों के लिए फर्शी क्षेत्र अनुपात को बढ़ाए जाने के प्रावधान रखे गये हैं।

5.5.2 योजनायें एवं कार्यक्रम

आलोच्य क्षेत्रों के विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन दो चरणों में करने का प्रावधान है। प्रथम चरण में सन् 2015 तक की आवश्यकताओं तथा द्वितीय चरण योजना की शेष अवधि हेतु रहेगा। योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों, विकास कर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से संसाधन गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है।

योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिए नीति का सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास क्रियान्वित किया जावेगा।

1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना।
2. मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारित करना, जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी कार्यरूप दे सके।
3. भूमि स्वामियों विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी भूमि विकास कार्यक्रम की नीतियों को तैयार करना।
4. परिसीमन अधोसंरचना के प्रावधान के साथ-साथ लगभग पांच से दस हेक्टेयर आकार के अर्द्ध विकसित भूखण्डों को सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु विकास कार्यक्रम को मूर्त रूप देना।
5. योजना के दोनो चरणों की आवश्यक जलापूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्रोत का विकास।
6. नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु उपयोगिता अधोसंरचना, पावर ग्रिड, जल निकास व्यवस्था का विकास।
7. भूमि विकास कार्यक्रम, नगरीय विकास परियोजनायें साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास के क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुमति प्रणाली तैयार करना चाहिये।
8. एक विशेष परिणाम मूलक भूमि निष्पादन नीति तैयार करने की आवश्यकता है ताकि निवेश इकाइयों के विकास तथा सभी सहभागियों के संसाधन में गतिशीलता लाई जा सके।
9. मुख्य जल स्रोत में वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

5.5.3 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धान्त निम्नानुसार है :-

- यह सुनिश्चित हो कि भूमि की उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना में कमी के कारण विकास अवरूद्ध न हो।
- उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।
- बिखरे हुए नगरीय विकास के लिए पहुंच मार्ग उपलब्ध कराना।
- अर्द्ध विकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन।
- भू-स्वामियों, सार्वजनिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।

5.6 प्रथम चरण कार्यक्रम

प्रथम चरण कार्यक्रम में सार्वजनिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को निम्नानुसार चिन्हित किया गया है।

सीहोर : प्रथम चरण क्रियान्वयन घटक

5-सा-2

क्रमांक	उपयोग	क्षेत्र का विवरण
1.	आवासीय	निवेश इकाई क्रमांक 1, 2 एवं 3 में सामान्य आवासीय
2.	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक कोरिडोर
3.	औद्योगिक	भोपाल मार्ग
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएँ एवं सेवाएँ	निवेश इकाई क्रमांक 3
5.	आमोद-प्रमोद	वृक्षारोपण एवं स्टेडियम
6.	यातायात एवं परिवहन	बस स्टेण्ड एवं मार्गों का विकास



प्रथम चरण कार्यक्रम में आचोच्य क्षेत्रों में भौतिक अधोसंरचना विकास में नवीन नगरीय विस्तार का लगभग 591.67 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। भूमि अधिग्रहण की लागत को मिलाकर उक्त क्षेत्र के वर्तमान दर से विकास में आने वाली लागत लगभग 46397.32 लाख रुपये अनुमानित है। उक्त का विवरण 5-सा-3 में दर्शाया गया है-


FIRST PHASE

SEHORE DEVELOPMENT PLAN 2031



Legend

-  Planning Area 2031
-  Planning Unit
-  Village Boundary
-  SNP Boundary
-  Residential
-  Commercial
-  Industrial
-  PSP
-  PUF
-  recreation
-  Transportation
-  Water Body
-  Railway Line
-  Proposed Road
-  Existing Road



सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

सीहोर : प्रथम चरण क्रियान्वयन लागत

5-सा-3

क्र	भूमि उपयोग विवरण	भू अर्जन की लागत		अर्जित भूमि के 60 प्रतिशत का विकास व्यय		कुल लागत (4+6)
		भौतिक लक्ष्य	लागत (लाख में)	क्षेत्र हेक्टेयर में	लागत (लाख में)	
1.	आवासीय	304.66	9139.82	182.80	14623.70	23763.52
2.	वाणिज्यिक	73.43	2202.79	44.06	3965.03	6167.82
3.	औद्योगिक	15.31	459.34	9.19	826.81	1286.15
4.	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक	58.66	1759.80	35.20	2815.68	4575.48
5.	सार्वजनिक सेवा सुविधाएं	10.77	322.98	6.46	516.77	839.75
6.	यातायात एवं परिवहन अ. उप बस स्थानक ब. पिकअप स्टेशन स. मार्ग	72.83	2184.90	47.70	3714.33	5899.23
7	आमोद प्रमोद	56.02	1680.66	33.61	2184.78	3865.37
	योग -	591.67	17750.23	355.00	28647.10	46397.32

5.7 संसाधन गतिशीलता

योजना क्रियान्वयन हेतु संसाधन गतिशीलता के लिए संभावित निम्न संभावित निम्न उपाय हो सकते हैं:-

बेटरमेंट शुल्क, भूमि उपयोग व्यपवर्तन शुल्क, स्वीकार्य गतिविधियों की अनुमति हेतु शुल्क (आवासीय के अलावा) हस्तांतरण शुल्क, लीज शुल्क, खुले क्षेत्रों के उपयोग का शुल्क आदि इस तरह से संकलित की गई राशि का उपयोग आलोच्य क्षेत्रों में अधोसंरचना में निवेश के लिए ही केवल उपयोग किया जाना चाहिये । वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिन्हित किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए । यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगा ।

5.8 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

1. विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रम के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करते हैं। यह योजना क्रियान्वयन एवं पुनर्विलोकन के साथ-साथ विकास योजना के अंगीकृत होने उपरांत ही तदनुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र के स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है।
2. अतः योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित है :-
 - (अ) पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना ।
 - (ब) आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण ।
 - (स) प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रम से संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना ।
 - (द) वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश का निर्धारण ।
 - (इ) आलोच्य क्षेत्रों के सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमि का निर्धारण ।
 - (फ) समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना ।
 - (ग) वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण ।
 - (ह) सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम को परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना ।

3. नियोजन पर्यवेक्षण तंत्र

योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य की पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है :-

- (अ) स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति ।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

- (ब) नगर विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना।
- (स) नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन।
- (द) समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- (इ) वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन।

पर्यवेक्षण समिति का गठन

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व सीहोर विकास प्राधिकरण का होगा। अपितु इनके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएं एवं विभाग भी सहभागी होंगे, अतः क्रियान्वयन की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3/130/32/97 दिनांक- 30.01.1998 एवं एफ 3/55/32/98 दिनांक - 12.08.1998 द्वारा जिलाध्यक्ष सीहोर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है जो संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के ज्ञाप क्रमांक - 2876 दिनांक - 15.05.1998 में उल्लेखित कार्यपद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी।

4. वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

विकास प्राधिकरण द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी जिसे संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

5.9 योजना की व्याख्या

सीहोर विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं :-

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषय वस्तु में साथ-साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग, सारणी एवं विकास नियमन के अध्याय 4 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगा। नेवरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।
3. ऐसे भूमि उपयोग, गतिविधियां जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग (मेजर लेण्ड यूज जोन) में परिभाषित नहीं है, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी, किन्तु जो स्वीकार्य/स्वीकृत भूमि उपयोग सूची में तथा सम्बद्ध तालिका क्रमांक 4-सा-18 में शामिल है, के भू-उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आवेगी।
4. विकास योजना प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक बदलाव अपरिहार्य होता है। स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जावेगा।
5. राज्य आवास एवं पर्यावास नीति 2007 के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

डरलशलषुठ

परिशिष्ट क-1

(नियम 14 देखिए)

नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 या 29 (1) के अधीन विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

महोदय,

मैं.....नगर.....तहसील.....जिला.....
.....के कॉलोनी या मोहल्ला या बाजार.....ग्राम..... में स्थित खसरा
क्रमांक भूखण्ड क्रमांक क्षेत्र.....
हेक्टर/वर्गमीटर.....(विकास के प्रयोजन का उल्लेख करें) में तथा मध्यप्रदेश भूमि
विकास नियम 2012 के नियम 16 के अनुसार विकास करना चाहता हूँ और मैं इसके साथ मेरे
तथा.....वास्तुविद या संरचना इंजीनियर नगर निवेशक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) अनुज्ञप्ति
क्रमांक.....जो इसके विकास का पर्यवेक्षण करेगा द्वारा सम्यक हस्ताक्षरित तथा प्राधिकृत
निम्नलिखित रेखांक दस्तावेज तथा विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता हूँ :-

1. मुख्य रेखांक नियम 16(3) अनुसार.....
2. स्थल रेखांक नियम 16(4) अनुसार.....
3. उप विभाग/अभिन्यास योजना नियम 16(5) अनुसार.....सब डिवीजन/ले-आउट प्लान)
4. सेवा आयोजन रेखांक नियम 16 (7) अनुसार.....
5. प्रस्तावित विकास कार्य को दर्शाते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट.....
6. स्थल के संबंध में भूमि स्वामित्व अथवा कोई विधिक अधिकार के सबूत दर्शाने वाले दस्तावेज नियम 16(11) अनुसार.....
- 7.. नजूल अनापत्ति की कापी नियम 16(11) अनुसार.....
8. आवेदन शुल्क की पावती की प्रति नियम 21 (2) (झ) अनुसार.....
9. इस आवेदन के साथ स्वामी द्वारा अधिकृत किये गये आवेदक के सबूत प्रस्तुत करें(जहाँ आवेदक स्वामी से भिन्न हो).....
- 10.. पार्किंग संगणना के साथ पार्किंग प्लान.....
11. ऊपर दिये गये अनुक्रमांक 1 से 10 की इल्ट्रानिक कॉपी.....

सीखेर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

मैं निवेदन करता हूँ कि प्रस्तावित कार्यों को अनुमोदित किया जाए और मुझे/हमें कार्य निष्पादित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाये।

आवेदक के हस्ताक्षर.....
आवेदक का नाम.....
आवेदक का पता
ई-मेल पता.....
दूरभाष/मोबाईल नम्बर.....
दिनांक

परिशिष्ट क-1

(नियम 14 देखिए)

स्थानीय प्राधिकारी से भवन अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

.....
स्थानीय प्राधिकारी का नाम एवं पता

.....
.....

महोदय,

मैंकॉलानी या मोहल्ला या बाजारग्राम या
नगर.....तहसील.....जिला में स्थित भवन क्रमांक
..... भूखण्ड क्रमांक या खसरा क्रमांक..... क्षेत्रफल
हेक्टर/वर्गमीटर.....निर्माण के प्रयोजन हेतु भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार
परिनिर्माण अथवा पुर्ननिर्माण अथवा परिवर्तन करना चाहता हूँ और मैं इसके साथ मेरे तथा.....
..वास्तुविद या संरचना इंजीनियर नगर निवेशक (नाम स्पष्ट अक्षरों में)जो कि उस
परिनिर्माण का पर्यवेक्षण करेगा, सम्यक रूप से हस्ताक्षरित (हार्ड या साफ्ट कॉपी में) निम्नलिखित रेखांक
दस्तावेज तथा चार प्रतियों में विशिष्ट विवरण प्रस्तुत करता हूँ :-

1. मुख्य रेखांक (की-प्लान)
2. स्थल रेखांक (साइट प्लान).....
3. उप विभाग/अभिन्यास (सब डिवीजन/ले-आउट प्लान)
4. भवन के नक्शे.(प्लानर्स)
5. सेवा आयोजना (सर्विस प्लान).....
6. विशिष्टियाँ (स्पेसिफिकेशन) सामान्य तथा विस्तृत.....
7. स्थल के संबंध में भूमि स्वामित्व अथवा कोई विधिक अधिकार (लीगल राइट) के सबूत दिखाते हुए दस्तावेज.....
8. नजूल अनापत्ति की कॉपी.....
9. आवेदन शुल्क की पावती की कॉपी.....
10. इस आवेदन के साथ भू-स्वामी द्वारा अधिकृत किये गये आवेदक के सबूत प्रस्तुत करें (जहाँ आवेदक भू-स्वामी से भिन्न हो)
11. पार्किंग संगणना के साथ पार्किंग प्लान
12. अनुक्रमांक 1 से 11 की इल्ट्रानिक कॉपी

सीखेर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

मैं निवेदन करता हूँ कि प्रस्तावित कार्यों को अनुमोदित किया जाए और मुझे/हमें कार्य निष्पादित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाये।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम.....

आवेदक का पता

ई-मेल पता.....

दूरभाष/मोबाईल नम्बर.....

दिनांक

प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में सीधे उपयोग हेतु प्ररूप (फारमेट)तैयार किया जा सकता है।

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

परिशिष्ट-3

परिशिष्ट छ
(नियम 49 टिप्पणी 4 देखिए)

विकास अथवा क्षेत्रीय अयोजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्ररूप

प्रति,

प्राधिकारी

.....

.....

.....

मध्य प्रदेश

महोदय,

मैं एतत द्वारा शहर/जिलामोहल्ला
/बाजार/तहसील.....कॉलोनी/गली /मार्ग..... में भूखण्ड
क्रमांकखसरा क्रमांक की भूमि के विकास/पुनर्विकास
करने का इच्छुक हूँ। क्षेत्र से सम्बंधित विकास योजना/परिक्षेत्रीक योजना से संबंधित
प्रस्ताव ऊपर निर्दिष्ट भूमि के लिये उपखण्ड योजनाएं तैयार करने के लिये उपलब्ध किये
जा सकेंगे। विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिये
आवश्यक भुगतान किया जा चुका है और रसीद भी अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

आवेदक के अथवा स्वामी के हस्ताक्षर.....

आवेदक अथवा स्वामी का नाम.(स्पष्ट अक्षरों में).....

आवेदक अथवा स्वामी का पता

दिनांक

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

परिशिष्ट-4

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक 2876 / नग्रानि / वि.यो. / 98

भोपाल दिनांक 15 मई 1998

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र प्राधिकरण
2. आयुक्त / मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर निगम / नगरपालिका

विषय – विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति की कार्यवाही हेतु रूप रेखा।

मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-3/130/32/97 दिनांक 20 जनवरी 1998 द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी गठित की गई नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति की कार्य पद्धति की संक्षिप्त रूप रेखा निम्नानुसार है –

1. पर्यवेक्षण समिति निम्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन स्थिति का पर्यवेक्षण करेगी।
 - (अ) नगरीय अधोसंरचना का विकास
 - (ब) आवासीय एवं आश्रय योजनाओं का विकास
 - (स) सार्वजनिक सुविधाओं एवं नगरीय केन्द्रों / उपकेन्द्रों का विकास
 - (द) आमोद-प्रमोद क्षेत्रों का विकास
2. समिति निम्नलिखित कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु तीन माह में एक बार बैठक करेगी।
 - (अ) कार्यक्रम का चयन
 - (ब) परियोजना तैयारीकरण
 - (स) परियोजना क्रियान्वयन एवं वित्तीय व्यवस्था
 - (द) कार्यक्रम क्रियान्वयन के मूल्यांकन के फलस्वरूप वांछित सुधार
3. समिति निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। विकास प्राधिकरण / स्थानीय निकाय द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष

सीछोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश के विचारार्थ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। तथा संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन का अनुमोदन राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

हस्ताक्षर

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल, मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश शासन
नगर तथा ग्रामीण नियोजन, विभाग

अधिसूचना

भोपाल दिनांक-30.10.73

क्रमांक 2644/1/79/तैंतीस/73, मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार एतद् द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सीहोर के निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसकी सीमायें नीचे दी गई अनुसूची द्वारा परिनिश्चित की गई है।

अनुसूची

1. उत्तर-पश्चिम में - सेमली खुर्द, बिजोरी, बिजोरा, अवंन्तीपुर, शिवपुरी, गोपालपुरा तथा शाहपुर कोड़िया ग्राम की उत्तरी-पश्चिमी सीमा तक।
2. पश्चिम-दक्षिण में- मुगीसपुर, रफीकगंज, गुरमैला, हसनाबाद, काला पहाड़, अल्हदाखेड़ी तथा जहाँगीर ग्राम की पश्चिमी -दक्षिणी सीमा तक।
3. दक्षिण-पूर्व में - सारंगखेड़ी, बोरियाखेड़ी चंदेरी, भगवानपुरा, तकीपुर, लसुड़ियापुर तथा खुर्शीदपुर ग्राम की दक्षिण सीमा तक।
4. पूर्व-उत्तर में - जमानिया, थूनाखुर्द, थूनकला, मुरली, पचामा, अब्दुल्लापुर तथा शेरपुर ग्राम की पूर्वी-उत्तरी सीमा तक।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

हस्ताक्षर
(एम.एन.बुच)
विशेष सचिव
मध्य प्रदेश शासन

**कार्यालय उप संचालक
नगर तथा ग्रामीण नियोजन, भोपाल संभाग भोपाल**

सूचना

एतत् द्वारा यह सूचना दी जाती है, कि सीहोर निवेश क्षेत्र के लिये भूमि उपयोग के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्रों को म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 की धारा 15 (3) के अधीन अंगीकृत कर लिया गया है और उसकी एक प्रति नगर पालिका कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये दिनांक. 16.01.78 से 21.01.78 तक उपलब्ध है।

सीहोर निवेश क्षेत्र की अनुसूची

1. उत्तर-पश्चिम में – सेमली खुर्द, बिजोरी, बिजोरा, अवन्तीपुर, शिवपुरी, गोपालपुरा तथा शाहपुर कोड़िया ग्राम की उत्तरी-पश्चिमी सीमा तक।
2. पश्चिम-दक्षिण में- मुगीसपुर, रफीकगंज, गुरमैला, हसनाबाद, काला पहाड़, अल्हदाखेड़ी तथा जहाँगीर ग्राम की पश्चिमी -दक्षिणी सीमा तक।
3. दक्षिण-पूर्व में – सारंगखेड़ी, बोरियाखेड़ी चंदेरी, भगवानपुरा, तक्रीपुर, लसुड़ियापुर तथा खुर्शीदपुर ग्राम की दक्षिण सीमा तक।
4. पूर्व-उत्तर में – जमोनिया, थूनाखुर्द, थूनकला, मुरली, पचामा, अब्दुल्लापुर तथा शेरपुर ग्राम की पूर्वी-उत्तरी सीमा तक।

हस्ताक्षर

(बी.एस.मुदलियार)

उप संचालक

**नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र नियोजन
भोपाल संभाग भोपाल**

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
आदेश

भोपाल दिनांक 15.04.2010

क्रमांक एफ-3-45/32/2010 राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-3-130/32/97 दिनांक 20.01.1998, आदेश क्रमांक एफ-3-55/32/98, दिनांक 12.08.1998 एवं आदेश क्रमांक एफ-3-130/32/97 दिनांक 3 मई 2000 के द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति को एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

1.	संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	सांसद, संबंधित क्षेत्र	सदस्य
3.	अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण	सदस्य
4.	अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत	सदस्य
5.	महापौर, संबंधित नगर पालिक निगम	सदस्य
6.	निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के विधायक	सदस्य
7.	अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका	सदस्य
8.	अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत	सदस्य
9.	मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
10.	संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरपालिका/ नगर पंचायत	सदस्य
11.	लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
12.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
13.	मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री	सदस्य

सीहोर विकास योजना 2039 (प्रारूप)

14	संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सदस्य
15	संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संबंधित जिला कार्यालय	सदस्य सचिव

- (अ) इस समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ब) सदस्य सचिव विकास योजना के विभिन्न घटकों की प्राथमिकता का सकारण निर्धारण कर वार्षिक योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- (स) क्रियान्वयन संस्थायें अपना वार्षिक बजट समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के आधार पर तैयार करेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(वर्षा नावलेकर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग